लोक-सभा
वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २९, १९५९/१८८१ (शक)

[९ अप्रैल से २० अप्रैल, १९५९/ १९ चैत्र से ३० चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-5-97
Fumigated
On 1.11.83
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८१ (शक)
(खण्ड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

79 (Ai) LSD—9.

विषय-सूची

पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ४१ से ५०—६ अप्रैल से २० अप्रैल १६५६/१६ चैत्र से ३० चैत्र १८८१ (शाक)]

अंक ४१ सोमवार, ६ अप्रैल, १६५६/१६ चैत्र १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ से १६६८, १६७०, १६७१, १६७४, १६७५ और १६७८ से १६८३ . . . ४७६३—४८१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६६, १६७२, १६७३, १६७६, १६७७ और १६८४ से १६६० . . . ४८१७—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०८ से २७६१ ४८२३—४२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४८४३

लोक-लेखा समिति—

बारहवां प्रतिवेदन. ४८४३

याचिकायें ४३४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नहरी पानी के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अन्तरिम करार. ४८४३—४४

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर की शुद्धि ४८४५

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४८४५—६७

दैनिक संक्षेपिका. . . . . . ४७६८—४६०२

अंक ४२, मंगलवार, ७ अप्रैल, १६५६/१७ चैत्र, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६३, १६६६ से १७०१, १७०३, १७०७, १७११ से १७१५ और १७१८ से १७२० ४६०३—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६१, १६६२, १६६४, १६६५, १७०२, १७०४ से १७०६, १७०८ से १७१०, १७१६ और १७१७ ४६२५–३०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६२ से २८०६ और २८११ से २८१४ . . . ४९३०—५०

स्थगन प्रस्ताव

दलाई लामा के भारत पहुंचने के समाचार की नई दिल्ली से पहले पीकिंग द्वारा घोषणा ४९५०–५१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ४९५१–५२

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश . . ४९५२

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के उत्तर की शुद्धि . . ४९५३

अनुदानों की मांगें . . . . ४९५३—५७, ४९५८—५०२०

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ४९५३—५७, ४९५ —५०२०

सभा का कार्य ४९५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५०२१—२५

अंक ४३, बुधवार, ८ अप्रैल, १९५९/१८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ से १७२६, १७२८ से १७३२, १७३४, १७३५, १७३७ से १७३९ और १७४१ से १७४३ . . ५०२७—५३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ . . ५०५३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२७, १७३३, १७३६, १७४० और १७४४ से १७४८ . . . . . . ५०५५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या २८१५ से २८६७ . . ५०५९—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५०८३

अनुदानों की मांगें . . . . . ५०८३—५१३५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५० ३—५१०३

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ५१०४—३५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५१३६—३९

अंक ४४, बृहस्पतिवार, ९ अप्रैल, १९५९/१९ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५४, १७५६ से १७६२, १७६४, १७६६, १७६७, १७६९ से १७७१, १७७३ और १७६५ ५१४१—६७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७५५, १७६३, १७६८ और १७७२ . ५१६७—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ से २९१७ . ५१६८—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . ५१९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५१९१

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर की शुद्धि ५१९१

विधेयक पर राय ५१९१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५१९२

प्राक्कलन समिति

पचासवां प्रतिवेदन . . . ५१९२

अनुदानों की मांगें . . . ५१९२—५२४६

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ५१९२—५२३०

पुनर्वास मंत्रालय ५२३०—४६

दैनिक संक्षेपिका ५२४६—५०

अंक ४५, शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९/२१ चैत्र, १८८१ (श.क)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ५२५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ से १७७६, १७७८, १७७९, १७८१, १७८३ से १७८५, १७८७, १७८८, १७९० से १७९३, १७९५, १७९६, १७९८, १८०० और १८०१, १७८२ ५२५१—७५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ . ५२७६—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८०, १७८६, १७८९, १७९४, १७९७ और १७९९ . . . ५२७७—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९१८ से २९३० और २९३२ से २९६६ ५२७९—९७

स्थगन प्रस्ताव . ५२९७—९८

सभा-पटल् पर रखा गया पत्र . ५२९८

सभा का कार्य . . . . ५२९८—९९

सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद् की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . ५२९९

अनुदानों की मांगें . . . . ५२९९—५३३५

पृष्ठ

पुनर्वास मंत्रालय . . . ५२६६—५३२८

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५३२८—३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन ५३३५

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . ५३३५—४३

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . ५३४३—४७, ५३५०—५२

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के एक विमान को गोली मार कर गिरा देने के बारे में वक्तव्य ५३४७—५०

दैनिक संक्षेपिका ५३५३—५७

अंक ४६, मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०२ से १८०६, १८०८, १८१३, १८१६, १८१७, १८१९ से १८२१ और १८२४ से १८२७ ५३५९—८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ ५३८२—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०७, १८०९ से १८१२, १८१४, १८१५, १८१८, १८२२, १८२३ और १८२८ . . . ५३८४—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६७ से ३०२१ और ३०२३ से ३०३१ . ५३८९—५४२०

स्थगन प्रस्ताव—

सीमा घटना ५४२१—२२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४२२

प्राक्कलन समिति—

बावनवां प्रतिवेदन ५४२३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित ५४२३

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५४२३

अनुदानों की मांगें . . . ५४२३—७२

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५४२३—७२

दैनिक संक्षेपिका . ५४७३—७७

अंक ४७, बुधवार, १५ अप्रैल, १९५९/२५ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ से १८३५, १८३७, १८३८, १८४० से १८४३, १८४५ से १८४७ और १८४९ से १८५२ ५४७९—५५०४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३६, १८३६, १८४४, १८४८ और १८५३ . ५५०४—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३२ से ३०८१ और ३०८३ से ३१११ . ५५०६—३८

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५५३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५५३६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ५५३६

प्राक्कलन समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . ५५३६

अनुदानों की मांगें . . . ५५३६—६३, ५५६४—८६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५५३६—५५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५५५५—६३, ५५६४—८६

याचिकायें . . . . ५५६३—६४

अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध के बारे में . ५५८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५५८८—६२

अंक ४८, गुरुवार, १६ अप्रैल, १६५६/२६ चैत्र, १८८१ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५४ से १८५७, १८५६, १८६०, १८६३, १८६५, १८६७, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८ और १८८० . . . . . ५५६५—५६१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५८, १८६१, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७१, १८७४, १८७५, १८७६, १८८१ से १८८३ और १७७७ . ५६१६—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३११४ से ३१६० . ५६२४—५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५६५४—५५

प्राक्कलन समिति .

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ५६५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . ५६५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर की शुद्धि ५६५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ५६५६—५७०१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५६५६—७७

पृष्ठ

वित्त मंत्रालय . . . . ५६७८—५७०१

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन ५७०१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५७०२—०७

अंक ४९, शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८४, १८८६, १८८७, १८८९, १८९१ से १८९७, १९०० से १९०३ और १९०५ . . ५७०९—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . . ५७२९—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८५, १८८८, १८९०, १८९८, १८९९, १९०४ और १९०६ . . . . . ५७३२—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९१ से ३२४५ ५७३५—५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५७५७

प्राक्कलन समिति

(१) कार्यवाही सारांश ५७५७

(२) अड़तीसवां प्रतिवेदन ५७५७

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन ५७५७

सभा का कार्य ५७५८

अनुदानों की मांगें . . . . . . ५७५८—८०

वित्त मंत्रालय . . . . . . ५७५८—८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन ५७८०

विधेयक पुरस्थापित . . . . . . ५७८०—८१

(१) श्री काशीनाथ पाण्डे का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३८३ क का रखा जाना) . . . ५७८०—८१

(२) श्री बाल्मीकी का अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक ५७८१

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ५७८१—८७

पृष्ठ

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . . ५७८७—९६

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापस लिया गया

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५७९७—५८०१

अंक ५०, सोमवार, २० अप्रैल, १९५९/३० चैत्र, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०७ से १९११, १९१३ से १९१५, १९१७, १९२०, १९२२, १९२४, १९२५ और १९२७ से १९३१ . ५८०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९१२, १९१६, १९१८, १९१९, १९२१, १९२३ और १९२६ . . . . . . ५८२७—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४६ से ३३१६ . . . ५८३०—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर की शुद्धि . . ५८५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८५८–५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५८५९

प्राक्कलन समिति

उनचासवां प्रतिवेदन . . . ५८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१६ अप्रैल, १९५९ को इरोड पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना ५८६०–६१

अनुदानों की मांगें . ५८६१—८२

वित्त मंत्रालय . ५८६१—८२

वित्त विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५८८२—५९०४, ५९०५—१६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पारित . . ५९०४—०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५९१७—२२

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

79(Ai) LSD—10.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९
२६ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था,[1] खड़गपुर

+

†*१८५४ {
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, खड़गपुर की कार्य-पद्धति और विकास का पुनरीक्षण करने के लिये सरकार ने एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उसने अपना काम करना आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) पुनरीक्षतण समिति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संस्था के विजिट के रूप में की गई थी।

(ख) पांच ।

(ग) और (घ). समिति ने अपना कार्य १२ जनवरी, १९५९ से आरम्भ कर दिया था और २९ जनवरी, १९५९ को उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Institute of Technology.

73 (Ai) LSD—1.

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या पुनरीक्षण समिति की स्थापना पहली बार की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इस संस्था के लिये तो पहली बार ही की गई है ?

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या खनिज इंजीनियरिंग विभाग में सामान और कर्मचारियों की कमी पर भी पुनरीक्षण समिति ने विचार किया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं बता चुका हूं कि पुनरीक्षण समिति ने पहले ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस दृष्टि से कि यह सब से अच्छी संस्था है जिसे सारे देश की आवश्यकता पूरी करनी चाहिये इसे देखते हुए क्या अम्बाला में परीक्षा केन्द्र खोलने पर विचार किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** विजिटर के निदेश में फिलहाल संस्था के शासी निकाय द्वारा विचार किया जा रहा है ; और जब तक विजिटर द्वारा उस पर विचार नहीं कर लिया जाता तब तक उसे गुप्त रखा जायेगा। विजिटर द्वारा विचार कर लेने के पश्चात् और उस पर उनका आदेश प्राप्त कर लेने पर मैं उसे सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**श्री आचार :** क्या सरकार ने कालेजों में प्रवेश के प्रश्न पर विचार किया है और यदि किया है तो उसको क्या सिफोरिशें हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह प्रतिवेदन के ब्यौरे के बारे में पूछ रहे हैं। यह सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** संस्था में क्या बुराई देखी गई थी जिसके कारण पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ गई ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** बुराई का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, हम संस्था की कार्य-पद्धति से सन्तुष्ट हैं। अधिनियम के अधीन विजिटर समय-समय पर संस्था की प्रगति और कार्य के पुनरीक्षण के लिये कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और इसी शर्त के अनुसार समिति की नियुक्ति की गई है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या यह सच नहीं है कि इस संस्था की ख्याति बहुत है किन्तु विश्व की अन्य संस्थाओं के स्तर पर लाने के लिये ऐसा किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम पहले से ही इसे विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं में से एक समझते हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह समिति प्रवेश के प्रश्न की भी जांच करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसकी जांच की जा चुकी है और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वाजपेयी : क्या जांच करने के बारे में सरकार की इच्छा संस्था को बता दी गई थी और उस पर उसकी जो प्रतिक्रिया हुई वह प्राप्त कर ली गई थी ?

†श्री हुमायून् कबिर : निस्संदेह, यह अधिनियम में दिया हुआ है ।

विदेशी प्राचीन ग्रन्थ[1]

+

†*१८५५. { **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री दी० चं० शर्मा :** }

क्या **शिक्षा** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५५ के उत्तर के के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन के लिये विदेशी प्राचीन ग्रंथों और बायोलाजी पुस्तकमाला की पाण्डुलिपियों का चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) क्या वैयक्तिक लेखक को केन्द्रीय सरकार से उस प्रकार की सहायता की मांग कर सकते हैं जो सामान्यतः प्रकाशकों को दी जाती है ; और

(ग) प्रस्तुत पाण्डुलिपियां किन-किन भाषाओं में लिखी गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) योजना समाप्त कर दी गई है ?

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या नव साक्षरों के लिये सर्वोत्तम पुस्तकों के भारतीय रचयिताओं को दस पुरस्कार देने के बारे में यूनेस्को का प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह भिन्न प्रश्न है। जहां तक मुझे स्मरण है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है । किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि प्रस्ताव की अवस्था क्या है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस प्रस्ताव को समाप्त कर देने के क्या कारण हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जिस समय मंत्रालय प्रकाशकों से इस सम्बन्ध में वार्ता कर रही थी उसी समय प्रकाशकों ने स्वतंत्र रूप से उनका काफी सुन्दर प्रकाशन निकाल दिया। इस कारण प्रकाशकों को राज्य सहायता देने का प्रस्ताव त्याग देना पड़ा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना पर किन कारणों से विचार किया जा रहा था और क्या वह कारण समाप्त हो गये हैं जिनकी कि वजह से इन्हें छोड़ा जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने निवेदन किया कि कुछ विषयों में फ़ारेन क्लासिक्स की पुस्तकें निकालने वाले थे । एक प्रेस कम्मुनिके निकाला और उसके बाद कुछ पबलिशर्स से बातचीत भी हुई । इस बीच में कुछ पबलिशर्स ने स्वतंत्र रूप से इन पुस्तकों को निकाला और चूंकि वे पुस्तकें अच्छी समझी गई इसलिये आवश्यकता नहीं रही कि कोई किसी प्रकार की भी सहायता पबलिशर्स को इस बारे में दी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Foreign Classics.

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या विदेशी भाषाओं की गवेषणा संस्थाओं को यह अनुमति मिलेगी कि वे इस प्रकार के अलभ्य प्रकाशनों को प्रकाशित कर सकें, अथवा यह विचार ही त्याग दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कोई भी संस्था जिसे अधिकार प्राप्त हो प्रकाशित कर सकती है, और उसे कोई रोक नहीं सकता ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस काम को करने के लिये कौन-कौन से प्रकाशक आगे बढ़े थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास उनके नाम नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य चाव रखते हों तो मैं पता लगा कर बता सकता हूं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** उनकी संख्या कितनी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मेरे पास उनकी संख्या भी नहीं है ।

प्लेनटेरियम (कृत्रिम नभोमण्डल)

†*१८५६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता को दिखाने के लिये प्लेनेटेरियम (कृत्रिम नभोमंडल) का ढांचा बनाने के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** प्लेनेटेरियम (कृत्रिम नभो मंडल) के लिये प्रस्तावित इमारत का नक्शा वास्तुशिल्पियों ने तैयार कर दिया है और निर्माण कार्य भी यथा शीघ्र आरम्भ करने का विचार है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** यह प्लेनेटेरियम (कृत्रिम नभोमंडल) कहां स्थित किया जायेगा ?

†**श्री हुमायून कबिर :** इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

†**श्री जोकिम आल्वा :** जर्मनी का जेना नामक एक बड़ा प्रसिद्ध नगर है जिससे संसार के सभी नभमंडलों की उत्पत्ति हुई है । जेना विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा० शेवार्ज जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य संसदीय प्रतिनिधि मंडल में भारत आये थे । क्या उनसे कोई चर्चा की गई थी और कुछ सहायता मांगी गई थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** और आगे सहायता मांगने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । हमारे पास एक छोटा सा प्लेनेटेरियम (कृत्रिम नभोमंडल) है जो १९५६ में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला को भेंट किया गया था । हम उसे लगा रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस 'प्लेने-टेरियम' शब्द का हिन्दी अनुवाद "कृत्रिम नभोमंडल" किया गया था तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में ऐतराज किया था और क्या उसके लिये कोई अन्य सरल शब्द ढूंढा जा रहा है ?

श्री हुमायून कबिर : कोई सरल शब्द ज़रूर ढूंढा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फेरो-मैंगनीज संयंत्र

†*१८५७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायघाडा के लौह मैंगनीज़ संयंत्र में उत्पादन कब से आरम्भ होने की आशा है; और

(ख) इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख) संयंत्र की अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षमता १०/१२,००० टन प्रति वर्ष है । किन्तू फर्म इसको दो अवस्थाओं में करेगी जिसमें से प्रथम अवस्था पूरी हो चुकी है तथा प्रथम विद्युत भट्टी ने जिसकी क्षमता ७२०० टन प्रतिवर्ष है उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है । दूसरी अवस्था का निर्माण कार्य अब हो रहा है और जिसके पूरे हो जाने पर १२,००० टन प्रति वर्ष क्षमता बढ़ जायेगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इस समय हमारा कुल उपयोग कितना है और इस्पात संयंत्र के कार्य आरम्भ कर देने पर हम कितना उपभोग करने की आशा करते हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अधिकांश लौह मैंगनीज का तो हम विदेशों को निर्यात कर देते हैं क्योंकि उसका एकाधिकार हमें प्राप्त है और उसकी खपत भी काफी है। इस देश में उसकी खपत भी अधिक नहीं है ।

†**श्री रामेश्वर टांटियां** : १९५८ में कुल कितना निर्यात किया गया था ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : द्वितीय योजना का लक्ष्य १,६०,००० टन था जिसमें हमारा विचार है कि देश में ६०,००० टन मात्रा का उपभोग हो जायेगा तथा एक लाख टन हम निर्यात करने की आशा करते हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि भारत में अब तक जितना भी लौह मैंगनीज़ तैयार किया जाता है वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग के लिये जितना शुद्ध होना चाहिये उतना नहीं होता, इस कारण उसके निर्यात में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा है, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये हम क्या उपाय करने का विचार रखते हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : हम किस्म सुधारने और उसी आकार-प्रकार का रखने के प्रश्न की जांच कर रहे हैं किन्तु मैं नहीं समझता कि निर्यात में कमी का कारण घटिया किस्म होना अथवा निर्धारित स्तर का न होना है ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : १९५७-५८ में कितने लौह मैंगनीज़ का निर्यात किया गया और क्या इस देश से १९५९-६० में निर्यात करने के लिये कोई अग्रिम संविदा किया गया है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : अप्रैल से नवम्बर, १९५७ में ५,००० टन लौह मैंगनीज़ का निर्यात किया गया किन्तु अप्रैल से नवम्बर में हमने इसकी मात्रा बढ़ा कर ८,७५३ टन कर दी है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि फैरो मैंगनीज की मांग बाहर से काफी है और हम उसको इसलिये नहीं भेज सकते हैं कि हमारे यहां पर फैरो मैंगनीज के जितने कारखाने होने चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

उतने नहीं हैं, और क्या ऐसी हालत में जहां जहां पर मैंगनीज़ अधिक तादाद में निकलता है, जैसे मध्य प्रदेश, वहां से कोई दरखास्त कारखाने लगाने के लिये आयी हैं, और अगर आयी हैं तो कितने और नये कारखाने इस साल बनने वाले हैं ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यह बात नहीं है कि फैरो मैंगनीज के जितने कारखाने चाहिये उतने नहीं हैं। अभी आखिरी मतबा जब हम जवाब दे रहे थे उस वक्त हमने बताया था कि पांच फैरो मैंगनीज़ प्लांट चालू किये गये हैं, जिनकी कैपेसिटी ८५,००० टन के करीब है। इनके अलावा हम लोग तीन और प्लांट चालू करने जा रहे हैं। उनके अलावा भी दो और प्लांट्स के लिये मंजूरी दी जा रही है। इन सब का टोटल प्रोडक्शन २,२५,३०० टन हो जायेगा। इसको मद्दे नजर रखते हुये हम यह नहीं कह सकते कि जितना हमको बाहर भेजना है उससे हमारी फैक्टरीज की रेटेड कैपेसिटी कम है।

सेठ गोविन्द दास : क्या मध्य प्रदेश में फैरो मैंगनीज का कोई नया कारखाना लग रहा है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : अभी तक जितने कारखाने लगे हैं उनमें मध्य प्रदेश में तो कोई कारखाना नहीं लगा है। अगर वहां की कोई दरखास्त होगी तो उस पर विचार किया जायेगा। मध्य प्रदेश में फैरो मैंगनीज़ काफी होता है और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी काफी होता है। लेकिन जहां के लोग दरखास्त देते हैं वहां के लिये मंजूरी दी जाती है।

श्री जोकिम आल्वा : हिन्दुस्तान में फैरो मैंगनीज के कारखाने बहुत कम हैं। कुछ बड़े बड़े कारखाने टाटाज़ के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे कारखाने हैं उनको आप क्या मदद देते हैं ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मैंने अभी जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहां फैरो मैंगनीज के कारखाने कम हैं। हमारा टारजेट है १,६०,००० टन का। उससे ज्यादा के लिये हम लोगों ने कारखाने एलाऊ कर दिये हैं। शायद माननीय सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में जानना चाहते हैं। उनकी कांस्टीट्यूएंसी का तो हमें पता नहीं लेकिन बम्बई में तो हमने पहले ही दे दिये हैं।

डा० मेलकोट : मैं जानना चाहता हूं कि जब इंटरनल कंजम्पशन के लिये हमारे पास काफी फैरो मैंगनीज है और बाहर एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो और नई फैक्टरीज़ खोलने से क्या फायदा होगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** फैरो मैंगनीज़ बाहर भेजने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** माननीय मंत्री ने कहा है कि लौह मैंगनीज़ में अशुद्धता के अतिरिक्त कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं जिन के कारण निर्यात ५ से ८ टन तक होता है। इस प्रकार निर्यात किये जाने वाले में से कितना लौह मैंगनीज़ बचता है, और उस सभी का निर्यात क्यों नहीं कर दिया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक ही प्रश्न को दूसरे रूप में पुनः पूछ रहे हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां, हाल में निर्यात में कमी हो गई है। जितने का हमें आर्डर मिला है, अधिष्ठापित क्षमता हमारी उससे कहीं अधिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये। ऐसा या तो किस्म की खराबी से हो सकता है या अन्य कहीं उत्पादन अधिक होने अथवा प्रतिद्वंदिता के कारण हो सकता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** अथवा कहीं और मंदी के कारण ऐसा होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि या तो यथासंभव निर्यात होना चाहिये अथवा देश में उसका उपभोग होना चाहिये। माननीय मंत्री जब इसका कारण नहीं जानते हैं तो और भला कौन जानेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कभी-कभी खनिज व्यापार में मंदी आ जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो उन्हें यह कहना चाहिये कि मंदी के कारण ऐसा हो रहा है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं निश्चित कारण तो नहीं बता सकता किन्तु वास्तविकता यह है कि इस समय मंदी चल रही है और उसका निर्यात जितना होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह पर्याप्त है।

टाटा की ट्रकें

+

†*१८५६. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा (टेल्को) द्वारा प्रतिरक्षा विभाग को जिन ट्रकों का संभरण किया गया है उनका मूल्य अन्य खरीदारों को संभरण की गई ट्रकों से ७००० रुपये अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अब तक इस सौदे में कितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) टाटा द्वारा इतना अधिक मूल्य वसूल करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख) १९५७ के आरम्भ में टाटा (टेल्को से ४ × ४ तीन टन वाली ३०० मर्सिडीज़ बेन्ज़ आर्मी ट्रकों के ढांचे ३१,००० प्रति ट्रक के हिसाब से खरीदे गये थे। ये विशेष प्रकार की ट्रकें थीं जिनकी सेना के लिये आवश्यकता थी जो ४ × २ की असैनिक ट्रकों से भिन्न थीं। जहां तक हमें पता है टेल्को ने ये सेना के काम की ट्रकें भारत में और किसी खरीदार के हाथ नहीं बेची हैं।

१९५८ में ४ × ४ की १००० मर्सिडीज़बेंन्ज़ ट्रक के ढांचे टेल्कों से खरीदने का विचार किया गया था जिसके लिये उन्होंने लगभग ८,००० रुपये प्रति ढांचे की कीमत १९५७ में जिस हिसाब से भुगतान किया गया था उससे अधिक मांगी थी। चूंकि मांगी गई कीमत अनुचित जान पड़ी इसलिये टेल्को से ट्रकें खरीदने का विचार छोड़ दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) टेल्को के अनुसार ट्रकों के ढांचे की कीमत इसलिये अधिक मांगी गई थी कि जर्मनी में ढांचों की कीमत और देश में बने पुर्जों की गीमत बढ़ जाने तथा पिछले सौदे में हानि हो जान आदि के कारण ऐसा किया गया।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि जब कि आयुध कारखानों में ट्रकें बनाने के लिये मैन की फर्म और आयुध कारखाने में समझौता हो गया तो टेल्को वाले भी कीमत घटाने को तैयार हो गये थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन** स्थिति यह नहीं थी। बात-चीत में टेल्को वाले ६०० या ८०० रुपये घटा देने को तैयार हो गये थे, जो कोई अधिक बड़ी राशि नहीं है। प्रबन्ध हो जाने के बाद यदि आकड़ों में कुछ हेर फेर हो जाता है तो उसका सौदे से कोई सम्बन्ध नहीं होता और मंत्रालय ने कोई प्रस्ताव इस मामले में नहीं किया था।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या हिन्दुस्तान मोटर्स और प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने भी प्रतिरक्षा मंत्रालय को ट्रकों का संभरण किया था। यदि ऐसा है तो क्या यह सच है तो क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय से बाहर के खरीदारों से यह मूल्य ५० प्रतिशत अधिक था ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यदि माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछें तो सरकार यह जानकारी सहर्ष देने को तैयार है।

†**श्री स० म० बनर्जी** अब ट्रकें आयुध कारखाने में बनाने से प्रति ट्रक कितना व्यय आयेगा, क्या वह टेल्कों से कम होगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह प्रश्न भी इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता अर्थात् यदि माननीय सदस्य इसके सही सही आंकड़े जानना चाहते हैं तो इतना अवश्य है कि यह मूल्य टेल्कों से कहीं कम आयेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** १९५७ में जो ३१,००० रुपये के हिसाब से भुगतान किया गया था उसे सरकार उचित मूल्य समझती है अथवा असाधारण ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सरकार ने उचित ही मूल्य समझा होगा तभी तो उसका भुगतान किया था।

दिल्ली में झुग्गियों और झोंपड़ियों सम्बन्धी समिति

+
*१८६०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में झुग्गियों और झोपड़ियों की समस्या की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर कब रखी जायगी । कम से कम इस समय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की मुख्य रूप से क्या सिफारिशें हैं ?

†**श्री दातार** : इस अवस्था में सिफारिशों का बताना ठीक नहीं है । सरकार उन पर विचार कर रही है । सरकार द्वारा निर्णय कर लेने के पश्चात् ही माननीय सदस्य के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट गवर्नमेंट के हाथों में किस तारीख को आयी और कब तक इस बारे में फैसला हो जायेगा ।

†**श्री दातार :** यह प्रतिवेदन पिछले मास प्राप्त हुआ था और सरकार एक मास में इस पर निर्णय कर लेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि पिछले कुछ वर्षों के अन्दर इन झोपड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है जो कि राजधानी के लिये एक कलंक की बात है । क्या इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई निर्णय किया जायेगा ताकि उस पर अमल किया जा सके ?

†**श्री दातार :** सरकार निर्णय करने और यथाशीघ्र उसे कार्यान्वित करने की इच्छुक है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि ये झुग्गियां और झोपड़ियां हटाई जा रही हैं ?

†**श्री दातार :** कुछ गिराई जा रही हैं किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है । जो अभी हाल ही में बनाई जान पड़ती हैं वे ही गिराई जा रही हैं ।

श्री भ० दी० मिश्र : क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि ये झोपड़ियां स्थायी रूप से बनी हुई हैं या अस्थायी रूप से बनी हुई हैं ?

†**श्री दातार :** ये सारी झुग्गियां और झोंपड़ियां एकदम बन जाती हैं जो अस्थायी हैं ।

डा० मेलकोटे : मैं जानना चाहता हूं कि इन झोपड़ियों को हटाने के बाद यहां जो लोग रहते हैं उनके लिये दूसरा क्या इन्तिजाम किया जायेगा ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि उनके पक्ष में कौन-कौन से साम्याधिकार हैं ।

श्री वाजपेयी : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार की झोंपड़ियों की संख्या कितनी है और उन में कितने व्यक्ति निवास करते हैं ?

†**श्री दातार :** सरकार इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का विचार करती है ।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : जब तक ये झोंपड़ियां नहीं उठाई जातीं, क्या तब तक के लिये वहां रहने वालों के लिये अस्थायी तौर पर रास्ते और पानी की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** निर्णय करते समय सरकार इन बातों पर विचार करेगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने जो समिति नियुक्त की थी, क्या उस ने इस बात का पता लगाया कि जो लोग इन झोंपड़ियों में रहते हैं, वे देश के किन भागों से आते हैं, किन कारणों से आते हैं और इन झोंपड़ियों में किन कारणों से रहते हैं ?

†**श्री दातार :** इन सारी बातों पर विचार किया जायेगा ।

"पद्म भूषण" स्वीकार करने से इन्कार

+
†*१८६३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सुबिमन घोष :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री विमल घोष :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के किसी व्यक्ति ने "पद्म भूषण" पुरस्कार स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या नाम है और इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) श्री शिशिर कुमार भादुड़ी । उन्होंने सिद्धांत और व्यक्तिगत कारणों पर पुरस्कार को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्रिंसिपल क्या था, जिसके आधार पर उन्होंने इसको लेना अस्वीकार किया और अब तक कितने महानुभावों ने इन एवार्डज़ को लेने से इन्कार किया है ।

†**श्री दातार :** ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं । इस उदाहरण विशेष में वह सिद्धांत के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं । वह सरकार से पुरस्कार नहीं लेना चाहते हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या जिन लोगों को पुरस्कार देने का विचार किया जाता है उनसे पहले परामर्श लेने की संभावना पर सरकार ने विचार किया है जिससे इस प्रकार के उदाहरण न दिखाई दें ।

†**श्री दातार :** पहले से इस बारे में परामर्श कर लेना वांछित नहीं होगा । उस दशा में तो किसी के बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले ही सबको ज्ञात हो जाया करेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये टाइटल्स किस आधार पर और किस की सिफारिश पर दिये जाते हैं ?

†**श्री दातार :** सरकार को राज्य सरकारों और मंत्रालयों से सिफारिशें प्राप्त होती हैं । तत्पश्चात् उन पर विचार करके अन्तिम निर्णय किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सिंहासन सिंह : जिस व्यक्ति को ये टाइटल दिये जाते हैं, क्या उससे पहले स्वीकृति ली जाती है या नहीं कि उसको यह विभूति दी जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी इसका उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पहले स्वीकृति नहीं ली जाती है।

श्री सिंहासन सिंह : उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की रीकमेंडेशन्ज़ आती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट पहले उस व्यक्ति से दर्याफ्त कर लेती है या नहीं कि यह विभूति—खिताब— उसको दिया जायेगा और यह उस को स्वीकार है या नहीं, ताकि बाद में अस्वीकार करने की नौबत ही न आये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस गुप्त बात को पहले से प्रकट कर देना वांछनीय नहीं है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इसमें गुप्त रखने की क्या बात है ?

†**श्री सुबिमन घोष** : निस्सन्देह वह बंगाल के सबसे अच्छे अभिनेता हैं। किसी समय वह विद्यासागर कालेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। क्या यह सच है कि उनको छोड़ दिया गया था और १९५७ में किसी और को उपाधि दे दी गई थी और क्या उन्होंने इसी कारण उपाधि लेने से इंकार कर दिया था ?

†**श्री दातार** : हमें इस प्रश्न के बारे में जांच करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास उनकी अस्वीकृति है। मुझे पता लगा है कि सांस्कृतिक-कार्य मंत्री उनसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने शिशिर कुमार भादुड़ी, जिन्होंने 'पद्म भूषण' की उपाधि स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, राजाजी का यह सिद्धान्त बताया है "कि लोकतंत्र में तुलना न होने से कोई आनन्द नहीं है"?

उड़ीसा में लौह अयस्क

†*१८६५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बड़जमदा के निकट मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी की सहायता से भारत सरकार द्वारा एक लौह अयस्क की खान का विकास किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से इस बारे में कोई करार किया है ; और

(ग) क्या करार की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) से (ग). बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा उड़ीसा के गुआ प्रदेश में (बोलानी) नामक एक नई खान का विकास किया जा रहा है जिसमें भारत सरकार के ५०.५ प्रतिशत अंश होंगे और शेष ४५·५ प्रतिशत अंश उड़ीसा खान विकास कम्पनी के हैं। सरकार ने मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से कोई करार नहीं किया है अपितु उनको मेसर्स बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा मंत्री और खजांची नियुक्त किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार को विदित है कि बर्ड एण्ड कम्पनी उड़ीसा खान विकास कम्पनी के मालिक या प्रबन्धक हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** जी हां। सरकार को इस बात का पता है कि उड़ीसा खान विकास कम्पनी में बर्ड एण्ड कम्पनी के अंश हैं किन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि कम्पनी में उनका कितना हिस्सा है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या बोलानी क्षेत्र से किसी इस्पात कारखाने को लौह अयस्क का संभरण किया जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** बोलानी का विकास दुर्गापुर को लोहे का संभरण करने के लिये किया जा रहा है।

†**श्री विद्या चरण शुल्क :** बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड को रूरकेला और दुर्गापुर के लिये आरम्भ से ही लौह अयस्क का संभरण क्यों सौंपा गया है और इसी कारण से हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड को विभाग की कोयला खानें लौह अयस्क का संभरण नहीं कर सकीं जैसा कि भिलाई में किया जा रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** यदि मुझे ठीक स्मरण है तो भिलाई और रूरकेला को संभरण करने के लिये रजौरा और बरसुआ खानों का विकास किया गया है। इसलिये स्वाभाविक था कि सरकार गुआ क्षेत्र की किसी गैर-सरकारी फर्म के सहयोग से दुर्गापुर को अयस्क संभरण करने के बारे में सोचती।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा खान निगम जो भारत सरकार और उड़ीसा सरकार का सरकारी निगम है, पिछले तीन वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था ? यदि ऐसा है तो इस कम्पनी से सरकार को करार करने की क्या आवश्यकता थी जबकि राज्य में एक अन्य सरकारी निगम इसी कार्य के लिये बना हुआ था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** सरकार को खनन अपने नियंत्रण में लेने के लिये हर्ष होना चाहिये। किन्तु यह निर्णय इस कारण किया गया था कि गुआ प्रदेश में खनन कार्य पहले गैर-सरकारी उद्योगों के हाथ में था और सब से अच्छा क्षेत्र गैर-सरकारी लोगों के पास पट्टे पर था। दुर्गापुर के लिये लौह-अयस्क संभरण करने के लिये उपयुक्त भूमि का पट्टा आसानी से पट्टे पर मिलना सरल नहीं था और तैयारी करना भी सरल काम नहीं था। अतः दूसरा सर्वोत्तम उपाय यह था कि उड़ीसा खनन विकास कम्पनी के साथ समझौता किया जाये, वही करने का हमने निश्चय किया।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच नहीं कि किरुबुरु क्षेत्र में सरकार के पास खनन संबंधी पट्टे हैं जैसाकि वरमजदा में हैं। इन खानों का विकास समय के भीतर क्यों नहीं किया गया जिससे दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्रों को लौह अयस्क का संभरण किया जा सकता ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह अपनी राय की बात है। हम समय के भीतर संभरण करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु प्रत्येक पहलू को देखते हुये विशेषकर आर्थिक और टेक्निकल दृष्टिकोण से हमने यह सोचा कि दुर्गापुर को संभरण करने के लिये गुआ प्रदेश का विकास किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** क्या करार की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : करार को सभा-पटल पर रखा जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

तेईसवां इंडियन मांटिसरी ट्रेनिंग कोर्स

†*१८६७. **श्री राम शरण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों से यह सिफारिश की है कि वे नई दिल्ली के तेईसवें मांटिसरी ट्रेनिंग कोर्स को मान्यता प्रदान करें; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस संस्था के डिप्लोमों को मान्यता प्रदान की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** ऐसोसियेशन मांटिसरी इंटरनैश्नेल के डिप्लोमों को मान्यता देने की सामान्य रूप से सिफारिश की गई थी । तेईसवें इंडियन मांटैसरी ट्रेनिंग कोर्स, नई दिल्ली के बारे में विशेष रूप से कोई सिफारिश नहीं की गई थी ।

(ख) जी हां ।

†**श्री राम शरण :** क्या सरकार को विदित है कि संस्था की विवरण पुस्तिका में यह लिखा है कि ऐसोसियेशन मांटैसरी इंटरनैश्नेल द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान और मैसूर सरकारों ने मान्यता दे दी है और इसी आधार पर सैकड़ों छात्र उसमें दाखल हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विवरण पत्रिका में दी गई कथित सूची उस से नहीं मिलती जो मेरे पास है । मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या केन्द्रीय मंत्रालय अथवा राज्य मंत्रालयों के अधीन कहीं मांटैसरी स्कूल खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो इन डिप्लोमों को मान्यता देने का क्या मूल्य है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह ज़रा विस्तृत प्रश्न है । केन्द्रीय सरकार ऐसी संस्थायें आरम्भ करने के लिये आर्थिक सहायता देती रही है । जहां तक मुझे जानकारी है केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कोई मांटैसरी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है ।

†**श्री राम शरण :** क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली सरकार ने इस डिप्लोमा को मान्यता दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह सही है ।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या मांटैसरी स्कूलों और अन्य साधारण स्कूलों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर होता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** बहुत अन्तर होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य महोदय जा कर देखें कि मांटैसरी स्कूल क्या होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि देश में विभिन्न मांटैसरी टाइप के जो स्कूल हैं उनको सहायता देने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है, यदि की गई है तो क्या यह सत्य है कि वह इतनी अपर्याप्त है कि बहुत से स्कूल जो कि सहायता चाहते हैं, वह उनको नहीं मिल पाती है और क्या इस ग्रांट को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हमारे पास जो धनराशि होती है वह बड़ी सीमित है। जहां तक इस उम्र के बच्चों का ताल्लुक है, छः वर्ष की भी उम्र के बच्चों का, अभी तक सरकार ने उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो भी सार्वजनिक संस्थायें हैं, वे इस काम को लें और इसको करें तो हम को खुशी होगी और उनको हम कुछ सहायता दे देते हैं।

अनुसूचित जातियों के लिय होस्टल

†*१८६९. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि गैर-अनुसूचित जाति होस्टलों में अनुसूचित जातियों के लिये और अनुसूचित जाति होस्टलों में गैर-अनुसूचित जातियों के लिये १० प्रतिशत स्थान रक्षित रखे जायें; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं। फरवरी, १९५८ में नई दिल्ली में पिछड़े वर्गों के कल्याण के बारे में राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में होस्टलों में सीटों के रक्षण के बारे में जो दो निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं वे भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भेज दी हैं :—

(१) सभी सामान्य होस्टलों में, जो सरकार के नियंत्रण में हैं अथवा जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है, हरिजनों के लिये १० प्रतिशत सीटें रक्षित रखी जायें; और

(२) हरिजनों के लिये अलग होस्टल, संस्थायें अथवा बस्तियां नहीं होनी चाहियें। इन में कम से कम १० प्रतिशत गैर-हरिजन होने चाहियें ताकि लोग मिलजुल कर रहें। ऐसी संस्थाओं और बस्तियों में रहने का प्रोत्साहन देने के लिये इस संख्या तक गैर-हरिजन लोगों को भी उतनी ही सुविधायें दी जायें जो हरिजनों को दी जाती हैं।

(ख) (१) आसाम, केरल, मद्रास, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों ने उन सभी सामान्य होस्टलों में जो सरकार के नियंत्रण में हैं अथवा जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है, हरिजनों के लिये १० प्रतिशत सीटें रक्षित रखी जायें।

(२) आसाम, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल सरकारों ने हरिजन होस्टलों में गैर-हरिजनों के लिये १० प्रतिशत सीटें रक्षित रखने की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या किसी राज्य सरकार ने इस सिफारिश पर अमल किया है ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी हां, वे इस पर अमल कर रही हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या सरकार साम्प्रदायों के आधार पर होस्टल बनाने की प्रथा को समाप्त करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**श्रीमती आल्वा :** हमें ये सुझाव मिले हैं परन्तु देश भर में इन्हें कार्यान्वित करने से पूर्व हमें इस पर विचार करना होता है ।

†**श्री पहाड़िया :** अब तक गैर-अनुसूचित जाति होस्टलों में अनुसूचित जाति के और हरिजन होस्टलों में गैर-अनुसूचित जातियों के कितने छात्र दाखिल किये गये हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** यह राज्यवार किया जाता है । हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

वरिष्ठ सेवा समिति प्रतिवेदन

†*१८७०. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के पदाधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने वाली वरिष्ठ सेवा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उनके निर्णयों पर अमल किया गया है; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन और उस पर सरकार का निर्णय सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). वरिष्ठ सेवा समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार करके उसे कार्यान्वित करने के लिये जीवन बीमा निगम के पास भेज दिया था । इस सम्बन्ध में उस अनुभव को भी सामने रखा गया जो निगम स्थापित होने के बाद प्राप्त हुआ था । प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जा रहा है और काफी काम हो चुका है ।

(ग) जी नहीं । प्रतिवेदन एक गोपनीय दस्तावेज़ माना गया है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि 'लाल समिति' ने केवल एक-तिहाई प्रार्थियों से इंटरव्यू की और पदाधिकारियों के पद निर्धारित करते समय इस प्रकार पदोन्नतियां पदअवनतियां हुईं कि सब गड़बड़ हो गई और यह आरोप लगाया गया कि भेदभाव किया गया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** लाल समिति के पास केवल ३१ दिसम्बर, १९५५ तक के आंकड़े थे । स्वयं हम ने भी महसूस किया है कि उस के बाद के मामलों पर लाल समिति ने विचार नहीं किया और इसी कारण सरकार ने लाल समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया और इन पदाधिकारियों के बारे में जहां तक सम्भव हो समायोजन करने के लिये निगम से कह दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह देखते हुए कि बहुत से पदाधिकारी यह महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी कि ऐसे व्यक्तियों के एक स्वतन्त्र निकाय द्वारा, जो जीवन बीमा निगम से कोई ताल्लुक न रखते हों, वरिष्ठता की एक सूची तैयार करा कर कर्मचारियों में परिचालित कर दी जाये ताकि यदि किसी को शिकायत हो तो वह अभ्यावेदन भेज सके ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** इस बार भी जब अन्तिम आदेश जारी किये गये और सूची तैयार की गई थी तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सूची परिचालित की गई थी ताकि जो लोग चाहें वे अभ्यावेदन भेज सकें । लगभग १०५ अभ्यावेदन मिले हैं उन पर विचार किया जा रहा है और पूरा ख्याल रखा जायेगा । हम तो यही कह सकते हैं । परन्तु यह कहना गलत होगा कि बोर्ड में इन मामलों की जांच करने की क्षमता नहीं है और कोई स्वतन्त्र निकाय की स्थापना की जाये ।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की जो सूची तैयार की है उस में उल्लिखित पहले ७० पदाधिकारियों का वेतन इस से दुगना हो गया है जो वे जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के समय ले रहे थे ? क्या सरकार सभा-पटल पर एक विवरण रखेगी जिस में यह बताया गया हो कि राष्ट्रीयकरण के समय उनके वेतन क्या थे और अब क्या हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो मैं सूची सभा-पटल पर रखने के बारे में विचार करूंगा (अन्तर्बाधा) परन्तु यह सही नहीं कि पहले ७० पदाधिकारियों के वेतन दुगने हो गये हैं । मेरे ख्याल से यह सही नहीं है । परन्तु फिर भी इसकी जांच की जा सकती है ।

†**श्री फीरोज गांधी :** शायद माननीय मंत्री का यह अभिप्राय है कि मैंने जो कुछ कहा वह सही नहीं है । यदि वरिष्ठता सूची सभा-पटल पर रख दी जाये तो हम देख सकेंगे कि यह सही है या नहीं ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे ख्याल से लोक-सभा प्रत्येक मामले का सविस्तार परीक्षण नहीं कर सकेगी और निगम के लिये भी यह उपयुक्त नहीं होगा । इसीलिये मैंने कहा था कि इस पर विचार करके पता लगाया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्त तय करके सम्बन्धित पदाधिकारियों को बता दिये गये थे ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे ख्याल से ऐसा कहीं नहीं किया जाता । परन्तु लाल समिति ने अपने लिये कुछ सिद्धान्त तय कर लिये थे जिनके आधार पर उन्होंने निर्णय किये और वे स्वीकार किये गये थे । उन पर अब अभ्यावेदन मिले हैं जिन पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह देखते हुए कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पदाधिकारियों की नैतिकता को बनाये रखे, क्या मंत्री महोदय ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि अधिक महत्वपूर्ण पदों पर लगभग सभी वे लोग नियुक्त किये गये हैं जो बीमा समवायों के प्रबन्धक थे और जिन्हें बीमे के काम का सामान्य अनुभव नहीं थी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं इससे सहमत हूं कि कर्मचारियों और पदाधिकारियों की नैतिकता बनी रहनी चाहिये परन्तु यदि नैतिकता इस पर निर्भर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट रहे, तब तो स्वयं भगवान् भी नैतिकता को बनाये नहीं रख सकता । मैं इस बात का पूरा ध्यान रख रहा हूं कि किसी के साथ अन्याय न हो । बाद में सरकार इसमें कोई दखल नहीं देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या इस समिति ने कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ, उनकी पदोन्नतियां करने के तरीके के कारण, कार्यवाही करने की भी सिफारिश की थी और यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है और क्या उन पदाधिकारियों की पदअवनतियां कर दी गई हैं और यदि हां तो कितनों की ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** जब तक इन १०५ अभ्यावेदनों का ठीक प्रकार परीक्षण नहीं हो जाता और निर्णय नहीं हो जाते तब तक मैं यह स्वीकार नहीं करता कि ऐसे मामले हुए हैं ।

†**श्री त्यागी :** क्या पदोन्नतियां पदाधिकारी की कार्यकुशलता और योग्यता के आधार पर की जाती हैं या केवल वरिष्ठता के आधार पर ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** तीनों को मिला कर ।

उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार का जम्मू और काश्मीर राज्य तक विस्तार

+

†*१८७२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री हाल्दर :
श्री वारियर :
श्री तंगामणि :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य को भारत के उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के अधीन लाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). कुछ एक प्रयोजनों के इलावा जम्मू और काश्मीर राज्य पहले ही भारत के उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के अधीन है । भारत के निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय के सभी कृत्य राज्य पर वहां की सरकार की अनुमति से लागू किये जा सकते हैं । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि जम्मू और काश्मीर राज्यों को सभी प्रयोजनों के लिये निर्वाचन आयोग के अधीन लाया जाये ; यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

†**श्री दातार :** जी नहीं ।

†**श्री वाजपेयी :** यह देखते हुए कि जिन परिस्थितियों में संविधान में अनुच्छेद ३७० बढ़ाया गया था उनमें काफी परिवर्तन आ चुका है और जम्मू और काश्मीर राज्य के लोगों ने यह इच्छा प्रकट की है कि उन्हें संघ के अन्य राज्यों के समान माना जाये, क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद ३७० को हटाने के बारे में विचार करेगी ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री दातार** : जब तक संविधान में वह अनुच्छेद है तब तक उसका अनुसरण करना ही होगा।

†**श्री वाजपेयी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। क्या सरकार इस अनुच्छेद को हटाने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री दातार** : जी नहीं।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या सरकार को ज्ञात है कि सत्तारूढ़ दल ने बख्शी गुलाम मुहम्मद के नेतृत्व में यह निश्चय किया है कि भारत सरकार से कहा जाये कि जम्मू और काश्मीर राज्य को उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में ले लिया जाये और यदि हां, तो क्या सरकार संविधान का संशोधन करेगी ?

†**श्री दातार** : अखबारी समाचारों से पता चलता है कि दल की कार्यपालिका समिति ने निश्चय कर लिया है। यह मामला जम्मू और काश्मीर विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और तब सरकार हमें लिखेगी और उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सदस्यों द्वारा प्राइवेट फर्मों की नौकरियां स्वीकार करना

†*१८७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य सेवा निवृत्ति के बाद सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर सकते हैं।

(ख) क्या गत चार वर्ष में किन्हीं सदस्यों ने ऐसी नियुक्तियां स्वीकार की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्वीकार किये गये पदों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां, उन सदस्यों के अतिरिक्त जिन पर असैनिक सेवा विनियमों के अनुच्छेद ५३१-ख लागू होते हैं शेष सदस्यों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् दो वर्ष होने से पूर्व यदि वे नौकरी स्वीकार करना चाहें तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को मालूम नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सभापति ने एक गैर-सरकारी समवाय की नौकरी की है और जब वह नौकरी में थे तभी से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दातार** : इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह उत्पन्न होता है। आप प्रश्न के भाग (ख) और (ग). को देखें। क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री यह कहना चाहते हैं कि उन्हें यह मालूम नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सभापति ने प्राइवेट फर्म की नौकरी कर ली है ?

†**श्री दातार** : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं। जो बात मैंने नहीं कही वह मेरे ऊपर क्यों लादते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कृपया आप प्रश्न के (ख) और (ग) भागों को देखें, मेरा प्रश्न निश्चित है कि क्या संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत्त सभापति ने प्राइवेट कम्पनी में नौकरी कर ली है और जब वह नौकरी में थे तब से ही बातचीत शुरू कर दी थी ?

†**श्री दातार** : मैंने बता दिया कि जानकारी एकत्र की जायेगी और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि उन्हें ज्ञात नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उन सब सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहते हैं जिन्होंने कहीं और नौकरी की ।

†**श्री त्यागी** : कोई हज़ारों व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि केवल दर्जन आधी दर्जन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करना । पांच छः व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करने में मंत्रालय को इतना समय क्यों लगता है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी है और हमने जानकारी मांगी है । किसी विशेष पदाधिकारी के बारे में जानकारी नहीं मांगी गई है । प्रश्न स्पष्ट है कि क्या किन्हीं सदस्यों ने ऐसी नियुक्तियां स्वीकार की हैं । अब सरकार को पता लगाना होगा (**अन्तर्बाधा**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संघ लोक सेवा आयोग के ९ या १० सदस्य गत चार वर्ष की कुल संख्या ४० रही होगी । हर एक के बारे में यह पता लगाना होगा कि उसने प्राइवेट नौकरी स्वीकार की या नहीं । जानकारी मिलते ही माननीय मन्त्री उसे सभा-पटल पर रख देंगे ।

†**एक माननीय सदस्य** : सत्र समाप्त हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आगामी सत्र में जानकारी मिल सकती है, लोक-सभा का विघटन इतनी जल्दी हो जायेगा ?

†**श्री त्यागी** : हमें डर है कि गृह-कार्य मंत्रालय जान बूझ कर जानकारी देने में विलम्ब कर रहा है । इसलिये हम निश्चित रूप से पूछ रहे हैं कि क्या संख्या इतनी अधिक है कि गृह-कार्य मंत्री को जांच करने में कई मास लगेंगे ।

†**श्री दातार** : प्रश्न सामान्य रूप से पूछा गया था हमारे पास जो जानकारी है वह पैनशन वाली और बिना पैनशन की सेवा के बारे में है । सरकार को जानकारी एकत्र करना है क्योंकि कुछ सदस्य सेवा निवृत्ति पा चुके हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री ने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को प्राइवेट नौकरी करनी चाहिये या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नीति का प्रश्न है और इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं केवल यह पूछ रहा था कि क्या इस पर विचार किया गया है या नहीं?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नीति का प्रश्न है । माननीय मंत्री जानकारी सभा-पटल पर रख दें ।

†**श्री नाथ पाई** : सत्र समाप्त होने से पूर्व ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, माननीय सदस्य उसका विस्तृत अध्ययन कर के प्रश्न पूंछ सकेंगे । इस बीच कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री वाजपेयी** : प्रश्न संख्या १८७६ ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

†**सेठ गोविन्द दास** : मैं औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मूल प्रश्न हिन्दी में पूछा गया था । प्रतिरक्षा उपमंत्री हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं । पता नहीं वह सामान्य परम्परा का पालन क्यों नहीं करते । प्रश्न हिन्दी में पूछा जाने पर भी वे सदा उत्तर अंग्रेजी में ही देते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हिन्दी में उत्तर देने पर माननीय सदस्य उत्तर अंग्रेजी में चाहते हैं । उपमंत्री महोदय ने इस क्रिया को उलट दिया है । वह हिन्दी में बाद में उत्तर पढ़ देंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह औचित्य प्रश्न पूछ रहा हूं कि माननीय सदस्य हिन्दी की इतनी वकालत अंग्रेजी में क्यों कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न हिन्दी में हो तो अब से उत्तर पहले उस भाषा में दिया जाय जिस में प्रश्न पूछा गया हो । और यदि अंग्रेजी में उत्तर मांगा जाये तो अंग्रेजी में बाद में उत्तर दिया जाये ।

मैं यह भी कह दूं कि यदि कोई मंत्री महोदय हिन्दी में उत्तर न दे सकें तो चाहे प्रश्न हिन्दी में ही क्यों न पूछा गया हो, उन्हें उस का उत्तर अंग्रेजी में देने का अधिकार है । यह कोई परीक्षा भवन नहीं है । मैं हैरान हूं कि क्या मंत्री नियुक्त होने से पहले सभी सदस्यों को हिन्दी की परीक्षा देनी पड़ेगी ?

†**श्री त्यागी** : गृह-मंत्रालय ने अपने पदाधिकारियों के लिये हाल ही में हिन्दी कक्षायें आरम्भ की हैं, क्या वे मंत्रियों के लिये एक कक्षा नहीं चला सकते ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ४५ वर्ष से अधिक आयु के लोग उस से मुक्त हैं ।

जम्मू और काश्मीर में प्रवेश के लिये परमिट प्रणाली

†

१८७६. { **श्री वाजपेयी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर राज्य में प्रवेश के लिये परमिट दिये जाने की प्रणाली को समाप्त कर देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के कारण बारह वर्ष पूर्व इस प्रणाली को चालू किया गया था और अब इसे किस लिये समाप्त किया जा रहा है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जम्मू और काश्मीर सरकार की स्वीकृति ले ली गई है; और

(घ) परमिट प्रणाली के समाप्त होने के पश्चात् जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान से पंचमांगियों और अन्य अवांछनीय तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह प्रणाली काश्मीर में सीज फायर के शीघ्र ही बाद सुरक्षा के विचार से शुरू की गई थी । इस पर समय समय पर विचार किया जाता रहा है । काश्मीर राज्य के कहने पर लद्दाख और सीज फायर लाइन के पास के क्षेत्रों को छोड़ कर, इस प्रणाली का अन्त कर देने का फैसला इसलिये किया गया है, कि यात्रियों के यातायात में उन्नति हो ?

(घ) जम्मू काश्मीर के किसी भी स्थान के लिये पाकिस्तानियों को वीसा नहीं दिये जायेंगे । संदिग्ध लोगों से सावधान रहने के लिये साधारण सुरक्षा नियम अब भी बरते जाते हैं ।

†**श्री वाजपेयी** : पिछले १२ वर्षों में कितने भारतीय राष्ट्रजनों और कितने विदेशियों को उस राज्य में जाने की अनुमति नहीं ी गयी ?

†**सरदार मजीठिया** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रजन सीमा पार कर चोरी से जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आ रहे हैं और चोरी से इन का आना रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : चोरी से सीमा पार कर आने वाले कभी परमिट नहीं मांगा करते । उन का निबटारा दूसरे ढंग से किया जाता था । मुख्य प्रश्न उन लोगों के बारे में है जो सामान्य प्रक्रिया से जम्मू तथा काश्मीर जाते हैं । अब चोरी से आने वालों का सवाल उठाया गया है । उन पर परमिट नहीं लागू होती ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि जम्मू काश्मीर प्रदेश में परमिट सिस्टम हटने के बाद भी लद्दाख के इलाके में और सीज फायर लाइन के पास के क्षेत्रों में जाने के लिये परमिट लेना जरूरी होगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : क्या मैं प्रश्न अंग्रेजी में जान सकता हूं ? यह महत्वपूर्ण मसला है ।

श्री नाथ पाई : हिन्दी तो हमारे जवानों की जबान है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदयों को दुभाषिये का काम करने के लिये कुछ मंत्रियों को अपने साथ रखना चाहिये । इस सभा का गठन कुछ विचित्र प्रकार का है । मुझे लगभग ७० सदस्यों से यह सूचना मिली है कि वे अंग्रेजी कतई नहीं जानते । इसी प्रकार कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानते । यह ठीक है कि मंत्रियों को अपने पास कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिये जिसे हिन्दी आती हो क्योंकि मैं किसी ऐसे माननीय सदस्य को अंग्रेजी में ही बोलने के लिये बाध्य नहीं कर सकता जो अंग्रेजी में अपने भाव व्यक्त न कर सकते हों ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : श्री भक्त दर्शन अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं ने केवल प्रश्न दोहराने को कहा था और यदि वे महानुभाव अंग्रेजी न बोल सकते होते तो मैं ने उन से इस के लिये कहा भी न होता । मेरे ख्याल से यह शिष्टाचार और सहूलियत का प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम भाषा के प्रश्न पर काफी समय व्यय किये दे रहे हैं । मैं एक सुझाव दूं ? जब भी कोई माननीय सदस्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें जानते हों

†मूल अंग्रेजी में

और उन्हें पता हो कि अमुक मंत्री हिन्दी और अंग्रेजी अच्छी तरह समझ लेते हैं तो उनसे हीं हिन्दी में प्रश्न पूछे जायें। जहां तक अन्य मंत्रियों का प्रश्न है, प्रश्न यथासम्भव अंग्रेजी में ही पूछे जायें।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं ने यह जानना चाहा था कि क्या यह सत्य है कि प्रतिबन्ध हट जाने के बाद भी लद्दाख के इलाके में और सीज फायर लाइन के पास के क्षेत्रों में जाने के लिये परमिट लेना अनिवार्य होगा और यह किस कारण से किया गया है ?

†**सरदार मजीठिया :** इस का उत्तर दिया जा चुका है। जहां तक लद्दाख और युद्ध-विराम रेखा का संबंध है, लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

†**श्री वाजपेयी :** लद्दाख के मामले में अपवाद क्यों रखा गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सुरक्षा के लिये।

सिविल इंजीनियरिंग में मद्रास सरकार का हायरग्रेड सार्टिफिकेट

†*१८७७. **श्री केशव :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिविल इंजीनियरिंग में मद्रास सरकार के हायर ग्रेड सार्टिफिकेट की मान्यता वापस ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

जुलाई, १९५५ में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय प्रविधिक तथा व्यावसायिक योग्यता निर्धारण बोर्ड[1] को यह सूचना मिली कि मद्रास की सरकारी प्रविधिक परीक्षाओं के आयुक्त सिविल इंजीनियरिंग के कई विषयों में हायर ग्रेड की परीक्षायें ले रहे हैं। इस विश्वास पर कि यह परीक्षा पास कर लेने पर उत्तीर्ण उम्मेदवार सिविल इंजीनियरिंग का हायर ग्रेड सार्टिफिकेट पाने का अधिकारी हो जायेगा और इस सार्टिफिकेट को राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त है, बोर्ड ने सिफारिश की कि केन्द्रीय सरकार इस सार्टिफिकेट को मान्यता दे दे। राज्य-सरकार से पूछने पर ज्ञात हुआ कि राज्य-आयुक्त सिविल इंजीनियरिंग की हायर ग्रेड परीक्षा ले तो रहे हैं परन्तु वे "सिविल इंजीनियरिंग का हायर ग्रेड सार्टिफिकेट" नाम का कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। वे केवल कुछ विशिष्ट विषयों के बारे में ग्रुप सार्टिफिकेट प्रदान कर रहे थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकार की सहमति से कथित "सिविल इंजीनियरिंग के हायर ग्रेड सार्टिफिकेट" की मान्यता १६-३-१९५९ से वापस ले ली है। इस का किसी छात्र पर कुछ भी असर नहीं पड़ सकता क्योंकि "सिविल इंजीनियरिंग का हायर ग्रेड सार्टिफिकेट" राज्य आयुक्त ने कभी भी नहीं दिया था और न मद्रास सरकार ने उसे मान्यता

†मूल अंग्रेजी में

[1] Board of Assessment for Technical and Professional Qualifications.

दी थी। फिर भी, निर्धारण बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि १९५९ तक (जिस में १९५९ भी शामिल है) ली गयी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर बिल्डिंग, ड्राइंग और एस्टिमेटिंग के जो ग्रुप सार्टिफिकेट प्रदान किये गये हैं उन्हें अधीनस्थ पदों पर भर्ती के निमित्त मान्यता प्रदान कर दी जाय।

†**श्री केशव** : क्या मान्यता वापस लेने की कोई तारीख निश्चित की गयी है ?

†**श्री हुमायून कबिर** : यह विवरण में दी हुई है।

ऋण सूचना विभाग

***१८७८. श्री पद्म देव :** क्या वित्त मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ऋण सूचना विभाग के बारे में योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जिन बैंकों को लिखा गया था उनमें से कुछ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है और जिन्होंने जवाब दिया है उन्होंने बताया है कि इस योजना को अमल में लाने के रास्ते में कुछ प्रशासनिक और कानूनी अड़चनें हैं। कोई पक्का फैसला करने से पहले इस योजना पर सावधानी से विचार करना पड़ेगा।

प्रतिरक्षा भंडार

†***१८८०. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने १९५७-५८ और १९५८-५९ में अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में सामान मंगाने के वस्तु-आदेश दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उससे लगभग कितनी हानि हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) से (ग). प्रतिरक्षा विभाग के सामान का उपबन्ध सरकार द्वारा समय-समय पर निकाली गयी प्रक्रियाओं/निदेशों के अनुसार किया जाता है। कुछ-कुछ अवधियों के बाद उपबन्ध-समीक्षा की जाती है जिसमें आस्तियों और दायित्वों का हिसाब लगाकर केवल अवशिष्ट कमी के बारे में ही मांग की जाती हैं। मांगें पेश की जा चुकने के बाद ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनमें ऐसी बातों के कारण जिनकी आर्डर देते समय कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जैसे, स्केलों में कभी अनुमानित की अपेक्षा वास्तविक आवश्यकताओं में कमी, आदि या मानवीय त्रुटियों के कारण समायोजन अनिवार्य हो जाता है। १९५७-५८ और

†मूल अंग्रेजी में

१९५८-५९ में ऐसे छोटे-छोटे मामले हुए हैं जिनमें वर्ष की वास्तविक आवश्यकता से अधिक सामान मंगा लेने की बात सिद्ध होती बतायी जाती है लेकिन किसी भी मामले में राज्य को हानि नहीं हुई है। संबंधित फालतू वस्तु-आदेश या तो रद्द कर दिये गये होंगे या यदि उनका संभरण हो चुका होगा तो उन्हें उन आवश्यकताओं के लिये, जो शीघ्र ही उत्पन्न होंगी, समायोजित कर दिया जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इन अतिरिक्त उपकरणों के उपयोग के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है अथवा की जाने वाली है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** यह प्रश्न वास्तव में चार मदों पर लागू होता है जिनमें से तीन मदें रद्द की जा चुकी हैं। जो मद बची है वह असैनिक मद है और यह हैं राइट साइक्लोन इंजनों की रिंगस् जो विमानों के इंजिनों में लगती हैं। आप इस बात का कभी ठीक ठीक हिसाब नहीं लगा सकते कि यह कितनी अवधि में घिसेंगी। इनका मूल्य कुल २९,२५३ रुपये है। इन रिंगों की आवश्यकता आगामी वर्ष में पड़ेगी और हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे, और आगामी वर्ष के लिये इनका आर्डर नहीं देंगे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस खरीद की कोई जांच की जायगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** जांच की क्या ज़रूरत है?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि बाद में समीक्षा के फलस्वरूप वास्तविक आवश्यकता का निश्चय हो जाने पर भी अधिकांश मामलों में दोषपूर्ण ठेकों के कारण संभरणकर्त्ताओं ने संभरण में कमी करने से इंकार कर दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का हिसाब लगाया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में संभरणकर्त्ताओं से जो दोषपूर्ण ठेके किये हैं उनके फलस्वरूप सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ी है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह एक भिन्न और पृथक ही प्रश्न है। इस प्रश्न में जो मदें आई हैं उनके कारण कोई क्षति नहीं हुई है। यहां दोषपूर्ण संभरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रतिरक्षा उपकरणों की इन तीन मदों में संभवत: आवश्यकता से अधिक वस्तु-आदेश दिये ही नहीं गये हैं; और जैसे ही पता चला अतिरिक्त मात्रा के आदेश रद्द कर दिये गये थे।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान १९५८ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करता हूं जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि विदेशी निर्माताओं की सिफारिशों पर विमानों के तीन आर्डर दिये गये थे जिनमें लगभग ३५ लाख रुपयों का सामान फालतू हो गया है और यदि ये ठेके दोषपूर्ण न होते तो इस फालतू सामान में कमी की जा सकती थी। यदि ऐसी बात है तो इसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? क्या यह बात ठीक है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में जो बातें निकलती हैं उनका मुझे पता है, लेकिन यह इन मदों के संबंध में नहीं है—यह बात काफ़ी पहले की है। वस्तु-आदेश देते समय हर वर्ष पिछली बार से भी अधिक सावधानी बरती जाती है। कभी-कभी ऐसा इसलिये होता है कि वस्तु-आदेश देने पर वह चीज़ यहां नहीं बनती। फिर, जब वह यहां बनती है तो या तो उसे रद्द कर दिया जाता है या वह किसी प्रकार से फालतू हो जाती है।

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या विदेशी संभरणकर्त्ताओं और प्रतिरक्षा मंत्रालय के बीच दोषपूर्ण ठेका होने का यह एक ही मौका था या इसके पहले और भी दोषपूर्ण ठेके हुए थे जिनकी ओर महालेखा परीक्षक ने मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह पृथक प्रश्न पूछें। मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सब बातें पिछले लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों में भी मिल जायेंगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार के लिये इस्पात के कोटे

†*१८५८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी कार्यों के लिये बिहार को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम इस्पात दिया गया है ;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५८-५९ में बिहार को कुल कितने इस्पात का संभरण किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सितम्बर, १९५८ तक कृषि संबंधी कोटे में ९०२ टन और अन्य कोटों में ३,२८६ टन।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

†*१८६१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या पुनरीक्षण आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची के पुनरीक्षण के प्रस्ताव निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त हुए हैं :—

१. आंध्र प्रदेश (केवल अनुसूचित आदिम जाति की सूची के लये)
२. आसाम
३. बिहार
४. बम्बई
५. मद्रास
६. उड़ीसा
७. पंजाब
८. हिमाचल प्रदेश
९. पश्चिम बंगाल
१०. दिल्ली
११. लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह
१२. मनीपुर
१३ त्रिपुरा

---

†मूल अंग्रेजी में

शेष राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश (केवल अनुसूचित जातियों की सूची के संबंध में), केरल, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अपने प्रस्ताव भेजने में शीघ्रता करने को कहा गया है ।

सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रस्ताव आ जाने के बाद ही संसद् में आदेश का पुनरीक्षण करने का विधान लाया जायगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि आवश्यक विधान बनाने का काम संसद् में किया जायेगा ।

सम्पदा शुल्क

***१८६२. श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पत्ति के मूल्याकन में विलम्ब होने के कारण सम्पदा-शुल्क वसूल करने में देरी हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है उसके कारण यह सवाल पैदा नहीं होता ।

इस्पात के उत्पादों की बिक्री

†*१८६४. श्री मुरारका : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात के उत्पादों की बिक्री के बारे में कुछ नीति निर्धारित की है ;

(ख) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को आवश्यकताएं पूरी करने के लिये बिक्री की समान नीति रहेगी ;

(ग) क्या प्रादेशिक आधार पर वितरकों की नियुक्ति करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ङ) क्या सरकार फालतू स्टाक का निर्यात करनके प्रश्न पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो किस के माध्यम से ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात के उत्पादों की बिक्री लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, १९५६ द्वारा शासित होगी ।

(ख) से (च). वर्तमान नीति के अधीन इस्पात या तो उपभोक्ताओं को सीधे बेचा जाता है या नियंत्रित और पंजीबद्ध विक्रेताओं के जरिये से बेचा जाता है । सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी । आवश्यकता पड़ने पर वितरण के माध्यमों की संख्या बढ़ा दी जायगी । यदि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् कुछ इस्पात फालतू बचा तो उसका निर्यात कर दिया जायगा । निर्यात की रीति और उसके माध्यमों का निश्चय तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य बीमा योजनायें

†*१८६६. { श्री ले० अचौ सिंह :
श्री खुशवक्त राय : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि विभिन्न राजकीय बीमा निकाय भारत के जीवनबीमा निगम के हितों के विरुद्ध आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने कोई उपचार सुझाया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं। यह बात सच नहीं है कि विभिन्न राजकीय बीमा निकाय भारत के ज़ीवन बीमा निगम के हितों के विरुद्ध पड़ते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जनता बीमा योजना

†*१८६८. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की जनता बीमा योजना के प्रति जनता समुचित उत्साह दिखा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी पालसियां जारी की गयी हैं; और

(ग) कुल कितनी राशि के बीमे कराये गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां।

(ख) ४७,८८२ (फरवरी, १९५९ तक)।

(ग) २९३·६ लाख रुपये के।

गृह-गणना

†*१८७१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ की आगामी जन-गणना के साथ-साथ गृह-गणना कराने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) १९६१ की आगामी जनगणना के साथ-साथ कोई पूर्ण गृह-गणना कराने का तो कोई विचार नहीं है। लेकिन, १९६१ की जनगणना की तैयारी में मकानों की सूची तैयार करते समय मकानों और मकानों की अवस्था सम्बन्धी कुछ विषयों की जानकारी एकत्र कर ली जायगी जिसके आधार पर अधिक व्यौरे वार ढंग से गृह-गणना की जा सके। घरों की सूची तैयार करते समय जिन मदों के बारे में जानकारी एकत्र की जायगी उन का चुनाव राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन के उपयोग के लिये किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मकानों की सूची के फार्म का प्रारूप सभा-पटल पर रखा जाता है उससे मोटे तौर पर इसकी रूप रेखा ज्ञात हो जायगी। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११०]**

(ग) घरों की सूची को स्वीकार करने का निर्णय किया जा चुका है।

प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये वनस्पति और परिष्कृत तेल

†*१८७४. **श्री वें० प० नायर :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रतिरक्षा सेनाओं के लिये वर्ष में औसतन कितनी वनस्पति और परिष्कृत तेल ख़रीदे गये;

(ख) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध किया है कि इस आवश्यकता का कम से कम कुछ अंश कोजिकोड की सरकारी तेल जमाने की फैक्टरी के उत्पादों में से खरीदा जाय; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) सशस्त्र सेनाओं द्वारा किसी भी अवधि में उपयुक्त सामग्री के परिमाण के बारे में जानकारी देना लोक-हित में नहीं होगा।

(ख) जी हां।

(ग) प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये खाद्य सामग्री और खाने के काम आने वाले तेलों का प्रबन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय करता है। इसलिये यह अनुरोध भी विचारार्थ उसी मंत्रालय के पास भेज दिया गया था।

विभागीय कैन्टीन

†*१८७५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में विभागीय कैन्टीनों का पुनर्गठन करने के लिये कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है;

(ग) किस प्रकार के सुधार किये गये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने कितना व्यय किया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** यह बात सच नहीं है कि केन्द्रीय सचिवालय में विभागीय कैन्टीनों का पुनर्गठन किया जा रहा है। साउथ ब्लाक के, जिस में हटमेंट्स भी शामिल हैं, कैन्टीनों के बेहतर प्रबन्ध और देखरेख के लिये अब तक के बहुत से अंशकालिक अधिकारियों के स्थान पर एक पूरे समय काम करने वाला अधिकारी नियुक्त किया गया है और इस पर सरकार का कुछ भी अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर रबी की फसल की कटाई

†*१८७९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गंगा की धारा बदल जाने के फलस्वरूप बलिया (उत्तर प्रदेश) और शाहाबाद (बिहार) की सीमा पर स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद उठ खड़ा होने के कारण हजारों एकड़ में खड़ी रबी की फसल नहीं काटी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो रबी की फसल की शीघ्र कटाई के लिये विवाद का निबटारा कराने के उद्देश्य से सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) दोनों राज्य सरकारों से की गयी पूछताछ से पता चला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक स्थान पर खड़ी फसल के दखल और कटाई के सम्बन्ध में कुछ विवाद है।

(ख) राज्य सरकारें एक दूसरे के परामर्श से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन

*१८८१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन को स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : इस संगठन के लिये एक कार्य भारी अफसर (योजना) नियुक्त कर लिया गया है। संगठन के काम की व्यवस्था के लिए ज़रूरी कार्रवाही की जा रही है।

तेल कम्पनियां

†*१८८२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत की ऑयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनियों के संतुलन-पत्र मिल गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी ने कितने प्रतिशत लाभ और लाभांश[1] की घोषणा की है; और

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे बैठते हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं। आशा है कि ये संतुलन-पत्र जुलाई या अगस्त में सरकार को उपलब्ध हो जायेंगे क्योंकि आशा की जाती है कि तब तक ये कम्पनियां अपनी वार्षिक सामान्य बैठकें होने के बाद ये संतुलन-पत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार को दे देंगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Dividend.

राष्ट्रमंडल विकास बैंक

†*१८८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल देशों के विकास के लिये एक राष्ट्रमंडल विकास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस स्थिति में है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) तथा (ख). राष्ट्रमंडल व्यापार तथा आर्थिक सम्मेलन में, जो सितम्बर, १६५८ में मान्टरीयल में हुआ था, राष्ट्रमंडल विकास बैंक जैसी राष्ट्रमंडल वित्तीय संस्थाओं सम्बन्धी विचार पर, जिस में संभव है कि राष्ट्रमंडल देशों की सरकारें भागीदार हों, गंभीरता से विचार किया गया था। कोई निर्णय नहीं किया गया परन्तु इस बात पर सहमति थी कि यह निश्चित करने के लिये कि आर्थिक-विकास के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के लिये किसी नई राष्ट्रमंडलीय संस्था की आवश्यकता है, या होगी, अग्रेतर संयुक्त अध्ययन किया जाना चाहिये। ये संयुक्त अध्ययन आदि अभी आरम्भ होने हैं ।

फौजी कैन्टीन, नई दिल्ली

*१७७७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० दिसम्बर, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के साउथ ब्लाक की फौजी कैन्टीन से ११,००० रुपये की जो शराब चोरी गई थी, उसकी जांच पड़ताल कर के दोषियों को दण्ड देने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : पुलिस अभी जांच कर रही है। इस सिलसिले में अगला कदम रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उठाया जायेगा।

पंजाब में स्मारक

†३११४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५८-५६ में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में पंजाब में प्रत्येक स्मारक के संरक्षण व सुधार पर कितना धन व्यय हुआ है और १६५६-६० के लिये कितना धन मंजूर हुआ है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]**

भारतीय नागरिकता से वंचित होना

†३११५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५६ के बाद कितने भारतीयों की भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: जानकारी उपलब्ध नहीं है । जो भी भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है वह भारत का नागरिक नहीं रहता। परन्तु उसे भारत सरकार को इसकी कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

राज्य उपक्रम

†३११६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाभ उठाने वाले राज्य-उपक्रम की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) १९५८ में (उपक्रमानुसार) कुल कितना लाभ हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रखी जायेगी ।

भारत में चीनी राष्ट्रजन

†३११७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल आसाम और पश्चिमी बंगाल में कितने चीनी राष्ट्रजन या चीनी उद्भव के राष्ट्रजन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : आसाम और पश्चिमी बंगाल में पंजीबद्ध चीनी राष्ट्रजनों की संख्या क्रमानुसार ४९६ और ८०४२ है ।

तांबे का उत्पादन

†३११८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में (राज्यवार) तांबा-अयस्क का कितना उत्पादन हुआ ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : आजकल तांबा-अयस्क का उत्पादन केवल बिहार राज्य में होता है । १९५८ में वहां का कुल उत्पादन ४०४,९९२ टन था और इस में तांबा औसतन २.१६ प्रतिशत होता है ।

पौंड पावना

†३११९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८–५९ में भारत के पौंड पावना में वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो, १९५८–५९ में यह वृद्धि होनी कब से आरम्भ हुई है ; और

(ग) १९५८–५९ में उच्चतम और निम्नतम संख्या क्या थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). १९५८–५९ में भारत का पौंड पावना घटता बढ़ता रहा परन्तु इसमें कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई । मार्च, १९५८ के अन्त में अन्तर २९७.०० करोड़ रुपये था और मार्च १९५९ के अन्त में यह अन्तर केवल २१३.०६ करोड़ रुपये था । वह वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह सब से अधिक थे, अर्थात्, २८४.४१ करोड़ रुपये थे जबकि ब्रिटेन सरकार से पौंड पेंशन समझौता के अधीन बड़ी राशि प्राप्त हुई थी । न्यूनतम मात्रा ३१ अक्टूबर, १९५८ को १७८.४३ करोड़ थी और तब से इसमें कुछ सुधार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिप्लोमा संस्थायें

†३१२०. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २७ नई, डिप्लोमा संस्थाओं की स्थापना की योजना किस स्थिति में है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है और सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से उसकी कार्यान्विति की कार्यवाही आरम्भ हो गई है ।

बम्बई में स्त्रियों व बच्चों के लिये पुस्तकालय

†३१२१. श्री पांगरकर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६ में बम्बई राज्य में स्त्रियों व बच्चों के पुस्तकालयों के लिये स्वयं-सेवी समाज-कल्याण संस्थाओं को केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड ने कितना अनुदान दिया ; और

(ख) यदि हां, तो ये पुस्तकालय कहां खोले जा रहे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १६,६८० रुपये ।

(ख) (१) छलाला, (२) बादनगर, (३) सूरत, (४) धुलिया, (५) परभनी, (६) उरन, (७) शोलापुर, (८) अहमदनगर, (६) धमगांव, (१०) झनखेड़ा, (११) अकोला, (१२) जलगांव जमोद, (१३) नागपुर, (१४) इयोतमल, (१५) नजीराबाद नानडेड, (१६) भीर, (१७) बालपुर, (१८) सखरगांव दुकरे, (१६) उस्मानाबाद, (२०) बम्बई-४, (२१) फोर्ट—बम्बई, (२२) कोलाबा बम्बई, (२३) गिरगांव रोड, बम्बई, (२४) चिन्चपोकली, बम्बई, (२५) वीरमगाम, (२६) राजकोट, (२७) भावनगर (२८) वयोडिया, (२६) कोमाली, (३०) विले पार्ले, बम्बई, (३१) जामनगर, (३२) पाटन, (३३) बड़ौदा, (३४) जोडिया, (३५) जलालपुर, (३६) मंगरोल, (३७) अन्धेरी बम्बई, (३८) खार, बम्बई, (३६) मुलान्द, बम्बई, (४०) घटकोदार, बम्बई, (४१) विट्ठल भाई पटेल रोड, बम्बई, (४२) दादर, बम्बई, (४३) नासिक, (४४) यावल, (४५) कंदीवली ।

जम्मू तथा काश्मीर को लोहे की चादरों का कोटा

†३१२२. श्री वी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को लौह की चादरों का कितना कोटा दिया गया ; और

(ख) अब तक उन्होंने कितनी मात्रा ले ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). जानकारी निम्न है :

	आवंटन (अप्रैल, १९५८ से मार्च १९५९ तक)	संभरण (अप्रैल १९५८ से दिसम्बर १९५८ तक)
	२,४३४	१,१५८

जम्मू तथा काश्मीर में संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुदान

†३१२३. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **शिक्षा** मंत्री एक ऐसा विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें जम्मू तथा काश्मीर की उन लोक संस्थाओं के नाम हों जिन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १९५७-५८ और १९५८-५९ में सहायता दी थी और उन में से प्रत्येक को कितना धन दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६१, अनुबन्ध संख्या ११२]**

कुतुब मीनार

†३१२४. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में कुतुब मीनार की देख-रेख पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(ख) १९५९-६० में कुतुब मीनार की देख-रेख पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ४,३४५ रुपये (जनवरी १९५९ के अन्त तक) ।

(ख) ६,४०० रु० ।

मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†३१२५. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९५७-५८ और १९५८-५९ में बम्बई राज्य में (१) अनुसूचित जातियों, (२) अनुसूचित आदिम जातियों, और (३) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भारत सरकार की योजना के अधीन मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये धन का उल्लेख हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० म० मो दास)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११३]**

बम्बई में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†३१२६. **श्री पांगरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में बम्बई राज्य में बहु-प्रयोजनीय स्कूलों को कितना अनुदान दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : बम्बई सरकार को माध्यम शिक्षा, जिसमें बहु-प्रयोजनीय स्कूल भी सम्मिलित हैं, की पुनः व्यवस्था के सम्बन्धी सारी योजनाओं के लिये २६ · १० लाख रु० का तदर्थ अनुदान दिया गया था ।

तस्कर व्यापार

†**३१२७. श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ के उत्तरार्द्ध में तस्कर व्यापार विरोधी कार्यवाही पर कुल कितना व्यय किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९५८ के उत्तरार्द्ध में तस्कर व्यापार विरोधी कार्य पर कुल ६०,३७,५०० रुपये व्यय हुये जिनमें गांवों के क्रय भी व्यय हुये ६,८३,२०० रु० भी सम्मिलित हैं ।

बम्बई में तम्बाकू की खेती

†**३१२८. श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र में तम्बाकू की खेती हुई ; और

(ख) इससे कितना उत्पादन-शुल्क प्राप्त हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १,३८३ एकड़ ।

(ख) (१) २,०३,००० रु० (प्रत्याशित मूल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क)

(२) १३,००० रु० (अधिक उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, १९५७ के अधीन प्रत्याशित अधिक उत्पादन-शुल्क)

योग २,१६,००० रु०

छात्रवृत्तियां

†**३१२९. श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें १९५७-५८ और १९५८-५९ में पंजाब में (१) अनुसूचित जातियों, (२) अनुसूचित आदिम जातियों, और (३) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त अध्ययन के लिये भारत सरकार की योजना के अधीन छात्रवृत्ति के रूप में दिये गये धन का उल्लेख हो ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों की इमारतें

†३१३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के सहायता प्राप्त और उन गैर-सरकारी स्कूलों के लिये, जो आजकल डेरों में या अन्य अस्थायी ढांचों में चल रहे हैं, स्थायी इमारतों की व्यवस्था करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या १९५९-६० में कोई राशि मंजूर की जायेगी, यदि हां तो कितनी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जैसा कि १० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०४ के उत्तर में कहा गया है, सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के लिये स्थायी इमारतों की व्यवस्था करने का सरकार पर इसके सिवा कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि वह उन्हें रियायती मूल्य पर भूमि प्राप्त करने में सहायता देती है एवं प्रार्थना करने पर वित्तीय सहायता के उपबन्ध पर विचार करती है । १९५८-५९ में पांच सहायता प्राप्त स्कूलों को इमारतों के निर्माण के लिये पुनर्वास मंत्रालय से १,३५,००० का पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने में सहमती दी गई थी । दिल्ली प्रशासन ने भी तीन अन्य स्कूलों को ७८,७०० रु० का इमारत अनुदान दिया था । आठ स्कूलों को इमारतों के लिये रियायती दर पर भूमि प्राप्त करने में सहायता दी गई ।

(ख) १९५९-६० में सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों को इमारत-अनुदान के देने के लिये २ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

गोला-बारूद

३१३१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रतिरक्षा सेनाओं के पास ऐसा कितना गोला-बारूद है जिसका शेल जीवन समाप्त हो चुका है ;

(ख) क्या यह एक स्थान पर रखा हुआ है या बहुत से स्थानों पर ;

(ग) क्या इसमें विस्फोट-क्षमता उत्पन्न हो गई है ;

(घ) क्या इसे प्रयोग में लाने के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ङ) **यदि** नहीं, तो उसे अलग करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) और (ख). उस गोला-बारूद की राशि अथवा भण्डार स्थान के बारे में सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है, जो अपना शेल जीवन समाप्त कर चुका है ।

(ग) से (ङ) गोला-बारूद का केवल इसलिये ही निपटारा नहीं कर दिया जाता कि उसका शेल जीवन समाप्त हो गया है । गोला-बारूद के कई हिस्सों को तब्दील करके, जो अपनी अवधि समाप्त कर चुके हैं, उसका जीवन बढ़ाने का हर यत्न किया जाता है । गोला-बारूद को निपटाने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये तभी अलग किया जाता है जब गोलाम्बारूद के विशेषज्ञ उसकी जांच करने पर उसे निरुपयोगी अथवा खतरनाक घोषित कर देते हैं । निपटाने से पहले उपयोगी धातुएं जहां तक हो सके अलग कर ली जाती हैं ।

गन्दे बिरोजे और तारपीन के तेल का कारखाना, नाहन

३१३२. श्री खुशवक्त राय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित नाहन के गन्दे बिरोजे और तारपीन के तेल के कारखाने के कर्मचारियों ने अभी हाल ही में काम करना बन्द कर दिया था ;

(ख) इसका क्या कारण था ; और

(ग) क्या उक्त कारखाने के अधिकारियों और कर्मचारियों में कोई समझौता हो गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). कारखाने के कर्मचारियों ने, एक कर्मचारी को आदेशों का पालन न करने के आरोप पर मुअत्तल किये जाने के विरोध में, २७ फरवरी, १९५९ को हड़ताल कर दी थी लेकिन कारखाने के अफसरों और कर्मचारियों के बीच समझौता हो जाने पर वह उसी दिन समाप्त हो गई ।

राजस्थान में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†**३१३३. श्री कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९५४-५५ से १९५७-५८ तक बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के लये कितना अनुदान मंजूर किया गया ; और

(ख) यह अनुदान कैसे प्रयोग किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) ४८,३१,९६४ रु० ।

(ख) अब तक २३,२३,१०५ रु० ३५ बहु-प्रयोजनीय स्कूल खोलने पर प्रयोग हो चुके हैं ।

छात्रावास

३१३४. श्री सरजू पांडे : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में छात्रावास बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितना व्यय किये जाने की संभावना है ; और

(ख) भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस मद पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में श्रम और समाज सेवा शिविर

३१३५. **श्री सरजू पांडे** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की सहायता से १९५८ में छात्रों और युवकों के लिये कितने श्रम और समाज सेवा शिविर खोले गये ;

(ख) इन शिविरों पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) १९५९ में कितने शिविर खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) २१३ शिविर ।

(ख) *४,१०,३३३.०५ रुपये ।

(ग) सम्बधित संस्थाओं से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि १९५९ में उत्तर प्रदेश में कुल कितने शिविर लगेंगे । १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि में अब तक उत्तर प्रदेश में ५३ शिविर लग चुके हैं । अन्य ३६ शिवर मार्च, १९५९ में लगने वाले थे परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं कि ये शिविर वास्तव में लगे थे या नहीं ।

छावनियों में भूमि सम्बन्धी नीति

†३१३६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी-क्षेत्र सम्बन्धी भारत सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति को, जो फरवरी १९५७ में समाचारपत्रों में घोषित की गई थी, कार्यान्वित करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) छावनी क्षेत्रों में जमीन के पट्टों को उक्त जमीनों में बदलने में जिन सिद्धान्तों का ध्यान रखा जायेगा उनकी मोटी-मोटी बातों के सम्बंध में सरकारी आदेश अक्टूबर १९५७ में जारी किये गये थे । आदेशों की एक प्रति १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० के भाग (क) में उत्तर में पटल पर रखी गई थी । अग्रक्रयाधिकार प्रयोग, प्रयोग होने वाले परिवर्तन विलेख का निश्चित रूप, छावनियों में असैनिक क्षेत्रों की भूमि के पूराने पट्टों के परिवर्तन विलेखों पर सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार सैनिक सम्पदा अधिकारियों को अधिकार देना, आदि सम्बन्धी प्रशासकीय आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टेनोग्राफर

†३१३७. **श्री द० स० राजू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सचिवालय मे कितने स्टेनोग्राफर थे;

नोट : *खर्च के यह आंकड़े जांचे-लेखों का हिसाब हो जाने पर बदल भी सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनका परिवीक्षा-काल, यदि है तो, कितना है; और

(ग) कितने प्रतिशत 'स्टेनोग्राफर' संभावत: स्थायी कर दिये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सचिवालय और मुख्य सवद्ध कार्यालयों में स्टेनोग्राफरों के पद एक ही पदाली में, जो केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा कही जाती है और तीन श्रेणियों में विभाजित है, सम्मिलित हैं। १९५५ और १९५८ में इस सेवा में कितने पद सम्मिलित थे, इनकी जानकारी निम्न है। बीच के वर्षों की जानकारी अभी उपबन्ध में नहीं है।

१-५-१९५५	स्थायी पद	अस्थायी पद	योग
श्रेणी १	८३	२०	१०३
श्रेणी २	१४२	५०	१९२
श्रेणी ३	८९६	१५७	१०५३
१-५-१९५८			
श्रेणी १	८३	४	८७
श्रेणी २	१४२	५६	१९८
श्रेणी ३	१०००	४५४	१४५४

(ख) स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिये परिवीक्षा-काल एक वर्ष है। जो लोग अस्थायी पदों पर नियुक्त होते हैं वे भी इसी काल के लिये परिवीक्षा पर रखे जाते हैं।

(ग) जैसा कि उपरोक्त (क) में उल्लिखित है, तीनों श्रेणियों के कुल १७३९ पदों में से १२२५ १ मई, १९५८ को स्थायी होंगे। इस प्रकार, आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त स्थायी आदेश जारी होने पर उस तारीख को ७०·४४ प्रतिशत पदों पर स्थायी अधिकारी होंगे।

दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे के पास झगड़ा

†३१३८०. { **श्री वाजपेयी** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ मार्च १९५९ को दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के सामने विरोधी पक्षों में झगड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप एक १४ वर्षीय लड़के के गहरी चोट आई;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस झगड़े के दूसरे दिन गुरुद्वारे में एक अधेड़ आयु के व्यक्ति का शव पाया गया;

(ग) इन घटनाओं के क्या कारण थे; और

(घ) इनकी पुनरावर्ति रोकने के लिये पुलिस प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) २९ मार्च १९५९ को दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के दो दलों में शीशगंज गुरुद्वारे से लगभग १५० फीट दूरी पर झगड़ा हुआ। तुरन्त ही पुलिस वहां पहुंची और स्थिति संभाल ली। पुलिस अभी तक किसी घायल लड़के का पता नहीं लगा सकी है।

(ख) ३० मार्च, १९५९ को एक शव शीशगंज गुरुद्वारे के भीतर लड़कियों के स्कूल में पाया गया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और कुछ व्यक्तियों को बंदी बनाया है। मामले की आगे जांच हो रही है।

(ग) २९ मार्च १९५९ का झगड़ा गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के विरोधी दलों में दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा पर अधिकार सम्बन्धी मतभेद के कारण हुआ।

(घ) शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही की है।

जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

†३१३९. श्री राजन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनियोजन नीति निर्धारित होने के उपरान्त जीवन बीमा निगम में 'इक्विटीज' (साधारण अंश) में कुल कितना धन लगाया है; और

(ख) 'इक्विटीज' के अतिरिक्त और कितनी राशि विनियोजित है?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) २३ अगस्त १९५८ से २८ मार्च, १९५९ तक निगम का कुल विनियोजन (क्रम में से विक्रय निकालकर) २,७४,०६,६३४ रु० था।

(ख) उसी काल में 'इक्विटीज' के अतिरिक्त अन्य विनियोजन (क्रय में से विक्रय निकालकर) निम्न है :

		रुपये
(१)	केन्द्रीय व राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में	१३,२०,१८,६५७
(२)	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	७,१९,३८,४४०
(३)	ऋण पत्र	८२,९२,३,२४
(४)	प्राथमिक अंश	७७,०७,१२७
	योग :	२१,९९,५६,५४८

मंहगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय

†३१४०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को उनके मूल वेतन में मिलाने पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न वेतन आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से, जो अभी प्राप्त नहीं हुई हैं; विचार किया जायेगा ।

बैंक आय

†३१४१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६५८ में बैंक-आय १६५७ की अपेक्षा कम थी;

(ख) यदि हां तो, कितनी; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां ।

(ख) अभी सभी बैंकों की तफसील उपबन्ध नहीं हैं, अतः यह नहीं बताया जा सकता कि पूर्ण रूप से बैंकों के लाभ में कितनी कमी हुई है ।

(ग) लाभ में कमी होने का सामान्य कारण यह था कि आयात व्यापार में कमी होने तथा अन्य कारणों से निक्षेपों में जितनी वृद्धि हुई उतनी वृद्धि धन की मांग में नहीं हुई ।

दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय

†३१४२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वाजपेयी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश हिन्दी विद्यार्थी कान्फ्रेंस ने दक्षिण में एक हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये सरकार पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) हां, श्रीमान ।

(ख) संविधान के उपबन्धों के अधीन नये विश्वविद्यालय स्थापित करना राज्य सरकारों का काम है । आन्ध्र सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है ।

भाषाई अल्पसंख्यक

†३१४३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्र नाथ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री ५ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक आयुता का प्रथम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) प्रतिवेदन की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) मूल सम्बन्ध राज्य सरकारों का है। सारी राज्य सरकारों को प्रतिवेदन की प्रतियां भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

सोवियत रूस से इस्पात का आयात

†३१४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के तारांकित **प्रश्न** संख्या **१७४** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से इस्पात मंगवाने के सम्बन्ध में चल रही बातचीत अब पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). रूस की सरकार के साथ बातचीत पूरी हो गयी है और आशा है कि शीघ्र ही एक करार पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे। हमारा विचार है कि हम इस करार के अधीन १९५९ में रूस से १९८,००० टन इस्पात खरीदेंगे।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†३२४५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६" के अधीन अभी तक कितने संरक्षण गृह बनाये गये हैं अथवा उनके सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है; और

(ख) उन गृहों में इस समय कितनी स्त्रियां और लड़कियां हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ५९, जिनमें बचाव गृह (रेस्क्यु होम्स) तथा स्वागत केन्द्र (रिसेप्शन सेंटर) भी सम्मिलित हैं जो कि सामाजिक और नैतिक सुधार तथा बाद की देख-रेख के कार्यक्रम के अधीन खोले गये थे और वे अब इस अधिनियम के अधीन संरक्षण-गृहों के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

(ख) उक्त संस्थाओं में कुल ८९८ स्त्रियां और लड़कियां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेना मोटर गाड़ी डिपो अवाड़ी

†३१४६. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अवाड़ी में सेना मोटर गाड़ी डिपो को बन्द करने का विचार अब छोड़ दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : जी, नहीं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उस डिपो को निकट भविष्य में बन्द नहीं किया जायेगा। अवाड़ी में किसी अन्य प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान को स्थापित करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक वस्तुओं का निर्माण

†**३१४७. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारत १६५८ प्रदर्शनी" के प्रतिरक्षा मण्डप में जिन असैनिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था, उनका अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ वस्तुओं के लिये किन्ही व्यक्तियों अथवा सार्थों की ओर से युद्ध सामग्री कारखानों को कोई आर्डर प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन आर्डरों को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) भारत, १६५८ प्रदर्शनी में प्रतिरक्षा मण्डप में जिन असैनिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था, उनमें से बहुत सी वस्तुओं का पहले से ही उत्पादन किया जा रहा है। युद्ध सामग्री कारखानों में सामान्य इंजीनियरिंग तरीकों से हाल ही में कुछ वस्तुओं का निर्माण किया गया था। प्रदर्शनी में उनका भी प्रदर्शन किया गया था। अब वे अधिक मात्रा में तैयार की जा रही हैं। युद्ध-सामग्री कारखानों में केवल आर्डर करने पर ही अधिक मात्रा में वस्तुयें तैयार की जाती हैं।

(ख) जी हां। कुछ एक वस्तुओं के लिये समय-समय पर नियमित रूप से आर्डर आ रहे हैं।

(ग) जी, हां। उन वस्तुओं के लिये जिनका पहले ही पर्याप्त मात्रा में हो रहा है।

लघु बचत

†**३१४८. श्री पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री २६ फरवरी, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६-५७, १६५७-५८ और १६५८-५६ में लघु बचत से इकट्ठी की गयी राशि में विभिन्न राज्य सरकारों का कितना-कितना अंश था;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों को उसमें से वास्तव में कितनी-कितनी राशि मिली है; और

(ग) क्या १६५६-६० में लघु बचत की राशि इकट्ठी करने के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ (जनवरी के अन्त तक) विभिन्न राज्य सरकारों को लघु बचत राशि से अदा की की गयी राशियों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

राज्य	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९ (जनवरी तक)
१. आन्ध्र प्रदेश	२७	३,०८	१,५८
२. आसाम	७४	१,०९	१,७३
३. बिहार	१,८९	३,३५	२,६९
४. बम्बई	४,९८	७,७०	९,८६
५. केरल	२७	१,०३	७२
६. मद्रास	५६	५,३४	१,१५
७. मध्य प्रदेश	१,०१	१,८८	१,०४
८. मैसूर	७७	२	९४
९. उड़ीसा	३९	८३	५५
१०. पंजाब	२,७५	३,८६	२,४८
११. राजस्थान	६०	१,२२	८६
१२. उत्तर प्रदेश	२,४६	६,९९	१,४३
१३ पश्चिमी बंगाल	२,००	५,९४	५,३४
कुल :	१८,९९	४२,३३	३०,३७

(ग) जी, नहीं। पर हां १९५९–६० के आयव्ययक में लघु बचत योजना के ८५ करोड़ रुपये की राशि जमा की जाने का अनुमान लगाया गया है।

पश्चिमी बंगाल के मान्यता प्राप्त कालेजों को अनुदान

†३२४९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य मान्यता प्राप्त कालेजों को वहां के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों को अभी पक कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) उस से अध्यापकों को कितना लाभ हुआ है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) : कलकत्ता विश्वविद्यालय को उससे सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के १९५७–५८ के वेतनों को बढ़ाने के लिये ६,८८,००० रुपये दिये गये हैं। यह राशि उस योजना की कार्यान्विति के लिये अपने अंश के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से दी गयी है।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

निम्नलिखित ९ बड़े कालेजों को अनुदान दिये गये हैं, परन्तु शर्त यह लगायी गयी कि ये कालेज पांच वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे अपनी संख्या घटा कर १५०० कर दें :—

(१) आशुतोष कालेज

(२) चारुचन्द्र कालेज

(३) सिटी कालेज

(४) सुरेन्द्र नाथ कालेज

(५) बंगवासी कालेज

(६) महाराज महेन्द्र चन्द्र कालेज

(७) विद्यासागर कालेज

(८) ऋटीवकिंम चन्द्र कालेज, नैहाटी

(९) नरसिह दक्ष कालेज, हावड़ा

अनुदान प्राप्त करने वाले कालेजों क सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से कुछ एक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। प्रत्येक कालेज को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा :—

(१) पुनरीक्षित वेतन क्रम ६० वर्ष की आयु से कम आयु के पूर्वकालिक स्थायी अध्यापकों को ही दिया जायेगा।

(२) पुनरीक्षित वेतन क्रम प्राप्त करने वाले अध्यापक सप्ताह में ४ घण्टे से अधिक समय के लिये प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट ट्यूशन का काम प्रारम्भ करने से पहले प्रिंसिपल से अनुमति लेना आवश्यक है।

क्योंकि पुनरीक्षित वेतन क्रम १-४-५७ से लागू किये जायेंगे, इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या उक्त शर्तों को १९५७–५८ के अनुदान पर लागू किये जाये या नहीं।

(घ) इससे निश्चित रूप से कम वेतन प्राप्त करने वाले कालेज के अध्यापकों को पर्याप्त लाभ हुआ है।

गुप्त आय[1] पर आय-कर

†**३१५०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में गुप्त आय पर कुल कितना आय-कर लगाया गया था ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसमें से कुल कितनी राशि इकट्ठी की गयी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). गुप्त आय पर आय-कर की मांगी गयी राशियां और वास्तव में प्राप्त की गयी राशियों के आंकड़ों को अलग-अलग नहीं रखा जाता । फिर भी आय-कर अधिनियम की ३४(१)(क) और ३४(१)(ख) धाराओं के अधीन १९५७–५८ में कुल १०·१४ करोड़ रुपये की मांग की गयी थी । धारा ३४ (१) (क) और ३४(१)(ख) के अधीन निबटायें गये मामलों के सम्बन्ध में १९५७–५८ में २·५१ करोड़ रुपये की राशि मांगी गयी थी । उस वर्ष स्वेच्छा से गुप्त आय पर अदा किये गये आय-कर की कुल राशि २० लाख रुपये है ।

१९५८–५९ के लिये इसी प्रकार के आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं और वे नवम्बर, १९५९ में उपलब्ध हो सकेंगे ।

इस्पात पुनर्बेलन मिलें

†**३१५१. श्री पांगरकर**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में विभिन्न राज्यों में इस्पात के पुनर्बेलन की कितनी मिलें स्थापित की गयी हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : १९५८–५९ में किसी भी राज्य में इस्पात के पुनर्बेलन की कोई भी नयी मिल स्थापित नहीं की गयी है।

प्रविधिक शिक्षा

†**३१५२. श्री पांगरकर**: क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिये १९५८–५९ में विदेशों से और क्या-क्या सहायता प्राप्त हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : जुलाई, १९५८ से मार्च, १९५९ तक प्राप्त होनी विदेशी सहायता का ब्योरा निम्नलिखित है :—

देश/अभिकरण	सहायता		
	वैज्ञानिक-उपकरण, वर्कशाप-उपकरण आदि	प्राप्त होने वाले विशेषज्ञों की संख्या	जितने व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हुई हैं
१. प्रविधिक सहयोग मिशन (अमरीका)	११.७५ लाख	४	६३*
२. गेहूं ऋण कार्यक्रम (अमरीका)	२.५९ लाख	१	—

*उनमें ५९ प्रशिक्षार्थी भी हैं जो कि प्रविधिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन भेजे गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(३) कोलम्बो योजना (ब्रिटेन तथा कनाडा)	०.०८ लाख	२	२
(४) यूनेस्को यू०एन०टी०ए०ए०	३३.३१ लाख	७	८
कुल .	४७.७३ लाख	१४	७३

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†३१५३. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पंजाब विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान देने का विचार है ; और

(ख) १९५८–५९ में वास्तव में कितना अनुदान दिया गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) आशा है कि १९५९–६० में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पंजाब विश्वविद्यालय को १८,०१,२३३ रुपये अनुदान देगा।

(ख) २१,७०,४३४.२२ रुपये ।

हिन्दी में विधि सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली

†३१५४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२५ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी में विधि सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिये स्थापित की गयी विशेषज्ञ समिति ने अभी तक कितनी प्रगति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १८–१२–१९५८ को जब अतारांकित प्रश्न संख्या २०२५ का उत्तर दिया गया था, उसके बाद उक्त समिति ने ३३१ और शब्द बना लिये हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती

†३१५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(१) १९५८ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कितने पदाधिकारियों को भर्ती किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) उक्त अवधि में सरकारी विभागों द्वारा सीधे ही विभिन्न श्रेणियों के कितने पदाधिकारियों को भर्ती किया गया था;

(३) १९५८ में सीधे ही भर्ती किये गये पदाधिकारियों में से कितनों को बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सामने मौखिक परीक्षा के लिये आना पड़ा है ;

(४) उन में से कितने अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है ;

(५) क्या वे अस्वीकृत अधिकारी अभी भी अपने स्थान पर काम कर रहे हैं ; और

(६) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (१) से (६). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद

†**३१५६. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **विधि** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५९ तक कितने अधिनियमों के शीर्षों का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० क० गोपालन)** : दिसम्बर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५८ तक हिन्दी में अनुवाद किये गये अधिनियमों के शीर्ष बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३१वां) (प्रकाशित)

२. प्रादेशिक परिषदें अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०३) (प्रकाशित)

३. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ (१९५८ का २०वां) (प्रकाशित)

४. उपहार-कर अधिनियम, १९५८ (छप रहा है)

५. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ (छप रहा है)

६. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ (अब तक रूप भेद किया गया) (छप रहा है) ।

अहिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद हिन्दी में शिक्षा ग्रहण के लिये छात्रवृत्तियां

†**३१५७. सरदार इकबाल सिंह**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा पंजाब राज्य के कितने विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद हिन्दी में शिक्षा-ग्रहण के लिये १९५७–५८ और १९५८–५९ में छात्रवृत्तियां दी गयी थीं ; और

(ख) वे छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) १९५७–५८ . . ३

१९५८–५९ . . अभी तक राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में सिफारिशें नहीं आयी हैं ।

(ख) गुणावगुणों के आधार पर ।

माध्यमिक शिक्षा

†३१५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये दी गयी राशियों में से राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्नमलई विश्वविद्यालय

३१५९. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्नमलई विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने विश्वविद्यालय की अनुदान राशि को बढ़ा देने के सम्बन्ध में त्रिदाम्बरम् में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति से भेंट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) १७ अक्तूबर, १९५७ को जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति उस विश्वविद्यालय में गये थे तो अन्नमलई ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में विश्वविद्यालय की मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन पेश किया था ।

(ख) मानव शास्त्र विकास योजनाओं पर विचार करने वाले आयोग द्वारा नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों के आधार पर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति के स्वयं वहां जाने पर आयोग ने संस्कृत, तामिल, दर्शन, मनोविज्ञान, ग्राम्य नागरिक शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान तथा संगीत के विकास के लिये कुछ योजनायें मंजूर कर दी थीं । आयोग ने मई, १९५७ में समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रीडर, लेक्चरार आदि के कई पदों की मंजूरी दे दी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्च वैज्ञानिक शिक्षा तथा गवेषणा के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशों पर आयोग ने विज्ञान के विभिन्न विभागों अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, आदि के विकास के लिये तथा पोर्टोनोवों के स्थान पर समुद्रीय जीव विद्या सम्बन्धी स्टेशन के विकास के लिये कुछ एक योजनायें मंजूर कर दी हैं। इनमें से कुछ एक विभागों में रीडर और लेक्चरारों के नये पद स्थापित करने की भी मंजूरी दे दी गयी है।

अध्यापकों के लिये क्वार्टर बनवाने और खेल के मैदान तैयार करने, ब्याज सहित ऋण प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालय से अभी तक कोई निश्चित सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

जहां तक अनुदान देने के आधार में परिवर्तन करने का सम्बन्ध है, अन्नमलई तथा अन्य विश्व-विद्यालयों को एक जैसे आधार पर ही विशेष सहायता देने की संभावना के प्रश्न पर इस समय आयोग विचार कर रहा है।

जहां तक जल संभरण, भूमि को कृषि योग्य बनाने आदि की योजनाओं के लिये अनुदान देने का सम्बन्ध है, ये ऐसी योजनायें हैं जो कि विश्वविद्यालयों की उन विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत नहीं आतीं जिनके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ सहायता देता है।

भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के त्याग पत्र

†३१६०. **श्री अरविन्दु घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में किन्हीं भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारियों के त्याग पत्र स्वीकार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) छः ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†३१६१. { **श्री ब्रजराज सिंह** :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन दिसम्बर, १९५८ तक कितने मामले भारत के महाअभ्यर्थी के पास भेजे गये थे और उसके बाद कितने मामले पुनरीक्षण समिति के पास भेजे गये ; और

(ख) उक्त मामलों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कोई भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के लिये वित्तीय सहायता

†३१६२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेजों में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स चलाने के लिये राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) वित्तीय सहायता किस आधार पर दी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६,अनुबन्ध संख्या ११५] ।

सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाना

†३१६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिये जाने वाले असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा के परिणाम के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों को स्थायी बनाने का क्या आधार है ;

(ख) इस प्रकार से नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को कितने समय के बाद स्थायी बनाया जाता है ;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को उस तिथि से स्थायी बनाया जाता है जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है , अथवा जिस दिन से उन्हें नियुक्त किया जाता है अथवा जिस दिन से वे स्थायी पद पर रिक्त थे ;

(घ) उन व्यक्तियों की क्या स्थिति है जो कि १९५१ की परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये थे, परन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है ; और

(ङ) इस प्रकार के कितने व्यक्ति हैं और उन्हें कब तक स्थायी बना देने की आशा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). असिस्टेण्ट ग्रेड के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दो प्रकार की परीक्षायें ली जाती हैं । (१) उपयुक्त आयु तथा शिक्षात्मक अर्हताओं के अभ्यर्थियों को खुली मार्किट से सीधा ही भर्ती करने के लिये खुली प्रतियोगिता की परीक्षायें (२) विभागीय प्रतियोगिता की परीक्षायें। असिस्टेण्ट ग्रेड में स्थायी बनाने के लिये सीधे ही भर्ती किये अभ्यर्थियों तथा विभागीय अभ्यर्थियों के लिये रिक्त स्थानों का एक अनुपात निश्चित कर दिया गया है । जहां तक सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों का सम्बन्ध है उनका स्थायी बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वे प्रोबेशन की एक निश्चित अवधि को सन्तोषजनक ढंग से पूरा कर दें और वे कुछ एक प्रारम्भिक परीक्षाओं जैसे कि डाक्टरी परीक्षा आदि में पास हो जायें । जहां तक विभागीय अभ्यर्थियों का सम्बन्ध है उनका स्थायी बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिये निर्धारित कोटे में से कितने स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध हैं । सम्बद्ध कोटे में स्थायी रिक्त स्थान की उपलब्धि की तिथि से पहले की किसी भी तिथि पर उन्ह स्थायी नहीं बनाया जा सकता ।

(घ) और (ङ). १९५१ में हुई विभागीय परीक्षा में लगभग ४५० असिस्टेण्टों ने सफलता प्राप्त की थी परन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है। आशा है कि इन में से ११५ व्यक्तियों

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को असिस्टेण्टों की द्वितीय नियमित अस्थायी कर्मचारी वर्ग सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा और निकट भविष्य में ही स्थायी बना दिया जायेगा। शेष व्यक्तियों को अन्य विभिन्न ग्रुपों के स्थायी असिस्टेण्टों के साथ ही स्थायी होने के लिये अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि अन्य ग्रुपों के असिस्टेण्टों को भी स्थायी बनने के लिये पूरा पूरा अधिकार है।

गिलट

†३१६४. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-परिमाप की रसायनिक प्रयोगशालाओं में हुये कार्य से पता लगा है कि कुछ भारतीय बजरी में निकल का प्रतिशत काफी है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में निकल कहां कहां पाया जाता है ; और

(ग) क्या औद्योगिक प्रयोग के लिये इससे लाभ उठाया जा रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्। भूतत्वीय विचारों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बजरी के नमूने मंगाये गये और भारतीय भू-परिमाप ने उनकी रासायनिक जांच की थी। परिणाम उत्साहवर्द्धक होते हुये भी उनमें से किसी में भी इतना निकल नहीं है कि उसे निकल अयस्क कहा जा सके।

(ख) अभी तक बजरी-निकल के किसी निक्षेप की सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था

†३१६५. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हिमालय पर्वतारोहण संस्था पर कुल कितना पूंजीगत व्यय हुआ है ;

(ख) क्या संस्था में पर्वतारोहण की उच्च प्रशिक्षण के लिये कोई प्रवेश परीक्षा होती है; और

(ग) अब तक कितने गैर सरकारी व्यक्तियों ने संस्था में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) संस्था पर १८-३-५६ तक लगभग ५,८१,००० रु० व्यय हुये। इसमें ७० प्रतिशत भारत सरकार का अंश है जो प्रतिरक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयों में २ : १ के अनुपात में विभक्त है।

(ख) नहीं, श्रीमान। संस्था में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वालों में से इच्छुक व्यक्ति लिये जाते हैं। अन्तिम संवरण इच्छुकों में से उनकी आयु, शारीरिक उपयुक्तता और प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में सापेक्ष कार्य की दृष्टि को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ग) ११८ गैर सरकारी व्यक्तियों ने अर्थात्, वे जो सरकारी सेवा में नहीं हैं, अब तक संस्था में बुनियादी पाठ्यक्रम की शिक्षा ली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

Leterite Stone

पुरी के आलगम गांव में गटीश्वर मन्दिर

†३१६६. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के पुरी जिले के आलगम गांव में गटीश्वर मन्दिर पुरातत्वीय महत्व का एक पुराना स्मारक है और इसकी मरम्मत की जरूरत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक की मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) मन्दिर का पुरातत्वीय महत्व है परन्तु क्योंकि यह सुरक्षित स्मारक नहीं है, इसलिये पुरातत्व विभाग को नहीं मालूम कि इसमें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है या नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली जन-सम्पर्क समिति

†३१६७. **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगरपालिका निगम की स्थापना के उपरान्त दिल्ली प्रशासन की लोक-सम्पर्क समिति के बने रहने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** दिल्ली प्रशासन की लोक सम्पर्क समिति दिसम्बर १९५६ की नियुक्त की गई थी एवं इसका कार्य प्रशासन और पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यान्विति के मामलों में जनता का सहयोग प्राप्त करना, प्रशासन और जनता के सम्पर्क बनाये रखना और जनता को सरकारी कार्यवाही की प्रत्यक्ष सूचना देना था। जिन उद्देश्यों से समिति बनाई गई थी वे, निगम बनने पर भी, जो दिल्ली राज्य क्षेत्र के स्थानीय निकायों का स्थानापन्न है, अब भी विद्यमान हैं ।

प्रविधिक नियुक्तियां

†३१६८. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों को प्रतिरक्षा सेवा की अन्य प्रविधिक शाखाओं में भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो सेना, नौ सेना और विमान बल में उनकी कितनी संख्या है ; और

(ग) ऐसे प्राविधिक व्यक्तियों को अन्य-प्राविधिक पदों पर भेजने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) नहीं। फिर भी, कुछ इंजीनियर अधिकारियों को अन-प्राविधिक पदों पर या सेवाओं की ऐसी शाखाओं में, जो उनकी मूल शाखाओं से भिन्न हैं, अवधि के आधार पर रखा गया है ।

(ख) १ मार्च, १९५९ को सेना में ग्यारह इंजीनियर अधिकारी अपनी मूल कोरों/शाखाओं के बाहर अन-प्राविधिक नियुक्तियों पर थे । नौ सेना और विमान बल में ऐसा कोई मामला न था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) ऐसी नियुक्तियों का उद्देश्य इंजीनियर अधिकारियों को कर्मचारियों से ठीक तरह काम लेने और यथा समय पद संभालने के लिये आवश्यक अनुभव कराना है ।

देवली छावनी में इमारतें

†३१६९. **श्री पहाड़िया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में देवली छावनी में अनेकों इमारतें खाली पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) उन्हें प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) देवली छावनी नहीं है और न ही देवल में प्रतिरक्षा मंत्रालय की कोई इमातर है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

निवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति

†३१७०. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ के बाद उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के कितने न्यायाधीशों ने अपने सेवा काल में या सेवा से निवृत्त होकर सरकारी कार्यालयों या कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित बोर्डों, या परिनियत निकायों में सेवा कर ली है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (ी गो० ब० पन्त)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

संयुक्त अरब गणतंत्र के विमान बल के अधिकारियों को भारतीय विमान बल अधिकारियों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण

†३१७१. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) संयुक्त अरब गणतंत्र के विमान बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये भारतीय विमान बल के जो अधिकारी वहां गये थे, क्या वे लौट आये हैं ; और

(ख) यदि हां तो उन्होंने संयुक्त अरब गणतंत्र के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, श्रीमान् । कुछ अधिकारी लौट आये हैं ।

(ख) यह जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है । किसी भी स्थिति में यह जानकारी संयुक्त अरब गणतंत्र सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती ।

मैसूर में सीसे का निक्षेप

†३१७२. **श्री शिवनंजप्पा**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मेतरी, हस्पेट के पास सीसा-अयस्क के लिये भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां तो इसके परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). भारत के भूतत्वीय परिमाप ने १६५७–५८ की फसल में मेतरी क्षेत्र का विद्युत और चुम्बकीय सर्वेक्षण किये थे। प्राप्त परिणामों के आधार पर मैसूर सरकार के खान तथा भतत्व विभाग से जांच-छिद्रण की सिफारिश की गई है।

कच्चा लोहा, मैंगनीज और क्रोम अयस्क की खानें

†३१७३. **श्री पाणिग्रही**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कच्चा लोहा, मैंगनीज़ और क्रोम की विद्यमान खानों की कुल कार्यक्षमता कितनी है ;

(ख) उड़ीसा में कच्चा लोहा, मैंगनीज़ और क्रोम के खानों की कुल उत्पादन-क्षमता कितनी है ;

(ग) उड़ीसा में कच्चा लोहा, मैंगनीज़ और क्रोम के परिवहन के लिये कितनी परिवहन क्षमता उपलब्ध है ; और

(घ) कार्य क्षमता, उत्पादन क्षमता और परिवहन क्षमता का अन्तर दूर करने के लिये सरकार का क्या सुझाव है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) तथा (ख). खानों की कार्य व उत्पादन क्षमता नहीं आंकी जा सकती क्योंकि वे विनियोजन की मात्रा, सिद्ध अयस्क की क्षमता, लगी हुई मशीनों और मजदूरों की किस्म और मात्रा तथा अन्य अनेकों बातों पर, जो केवल एक खान से दूसरी खान को ही नहीं आते जाते अपितु समय समय पर बदलते भी रहते हैं, निर्भर है।

(ग) परिवहन में सड़क व रेल दोनों ही सम्मिलित हैं। कुल क्षमता नहीं आंकी गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण

†३१७४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा के कटक, पुरी और बालासोर जिलों में, जो नये परदीप बन्दरगाह के पीछे के इलाके हैं, विभिन्न खनिजों के विस्तृत भू-तत्वीय व भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने का कोई नया प्रस्ताव है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: उड़ीसा के कटक, पुरी और बालासोर जिलों का भारत के भूतत्वीय परिमाप ने १६४८ के बाद समय समय पर सर्वेक्षण किया है। इस क्षेत्र में हो चुके कार्य से आगे भूतत्वीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने का विचार है।

उड़ीसा में उद्योग

†३१७५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में निम्न उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है :

(१) एक इस्पात मिल ;

(२) कच्चा क्रोम संयंत्र ; और

(३) 'स्टेनलेस स्टील' संयंत्र ?

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(१) रूरकेला में एक समन्वित इस्पात संयंत्र बन रहा है ।

(२) नहीं, श्रीमान ।

(३) अभी तक 'स्टेनलेस स्टील' संयंत्र के लिये स्थान का निश्चय नहीं हुआ है ।

इस्पात-तार के आयात के लिये लाइसेन्स

†**३१७६. श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक कितने व्यक्तियों को इस्पात-तार के आयात के लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात-तार वितरण करने की क्या प्रणाली है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १९५८-५९ में ५१९ व्यक्तियों को इस्पात-तार के आयात के लाइसेंस दिये गये ।

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों को देश में बना इस्पात-तार उस कोटा के अनुसार दिया जाता है जो विकास आयुक्त, छोटे पैमाने के उद्योग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किये जाते हैं । आयात किये हुये इस्पात-तार के लाइसेंस उन उत्तरदायी प्राधिकारियों की सिफारिशों पर दिये जाते हैं ; जो, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये राज्य सरकारें हैं । औद्योगिक कबाड़ भी जिसमें तार के टुकड़े, आदि होते हैं लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित उत्तरदायी प्राधिकारियों की सिफारिशों पर तदर्थ वितरित किया जाता है ।

विशिष्ट बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खंड समिति

†**३१७७. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशिष्ट बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों के कार्य का अध्ययन करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों की तफसील और समिति के निदेश-पद क्या हैं ; और

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध

†**३१७८. श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार-उद्देश्य से किसी देश-विशेष जाने पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी तफसील क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). भारत के रक्षित बैंक को सन्तोषजनक कारण बताने पर देशों में बिना किसी भेद भाव के व्यापार-यात्राओं के लिये विदेशी मुद्रा मंजूर हो जाती है। डालर देशों के लिये यात्रा का टिकट लेने पर प्रतिबन्ध है और इन के लिये रिजर्व बैंक की अनुमति का होना आवश्यक है। परन्तु यह प्रतिबन्ध केवल व्यापार-यात्राओं पर ही नहीं है अपितु डालर-देशों को प्रत्येक प्रकार की यात्रा पर है।

'ब्रिटेनिका में अशुद्धियां

†३१७९ **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन से प्रकाशित १९५८ की 'ब्रिटेनिका बुक' के पृष्ठ २४४ पर 'भारत' नामक लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें (१) पश्चिमी हिन्दी की परिभाषा तथा इस के बोलने वालों के प्रतिशत, (२) दिल्ली राज्य क्षेत्र की राजधानी के नाम, और (३) कुछ राज्यों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों, आदि के सम्बन्ध में कुछ अशुद्धियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बातों का ठीक रूप में प्रस्तुत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) तथा (ख). मामले पर प्रकाशक से वार्ता हो रही है, जिन्होंने स्वयं १९५९ की 'ईयर बुक' के लिये भारत के महा रजिस्ट्रार से वार्ता की थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पब्लिक स्कूल छात्रवृत्ति

†३१८०. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को कितनी योग्यता छात्रवृतियां दी गईं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

अनुसूचित जातियां	२
अनुसूचित आदिम जातियां	--
अन्य पिछड़े वर्ग	५

आन्ध्र प्रदेश में 'पोलीटेक्निक' संस्थायें

†३१८१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रोदतूर और निजामाबाद में दो नई 'पोलीटेक्निक' संस्थायें खोलने के लिये प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् की दक्षिण प्रदेश समिति को आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जो सुझाव दिये थे, उनपर यदि कोई निश्चय हुआ है तो क्या हुआ है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: मामला प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् की दक्षिण प्रदेश समिति के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुलबर्ग में छात्रावास

†३१८२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य में गुलबर्ग में छात्रावासों के निर्माण के लिये इंजीनियरिंग कालिजों को ६ लाख रु० ऋण देने के लिये प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् की दक्षिण प्रदेश समिति ने जो सिफारिश की थी उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् ने १३ अप्रैल, १९५९ को हुई अपनी बैठक में दक्षिण प्रदेश समिति की सिफारिश पृष्ठांकित की । अब सरकार इस पर विचार करेगी और निर्णय करेगी ।

शिमला में सचिवालय भवन

३१८३. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में पंजाब सरकार के सचिवालय का भवन खाली पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या शिमला के इस खाली भवन को हिमाचल-धाम के रूप में काम में लाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) यह सारी इमारत खाली नहीं है ।

(ख) इमारत में जितनी भी जगह मिल सके उसे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिये प्राप्त करने के सवाल पर विचार हो रहा है ।

मतदान की चिह्नांकन प्रणाली

†३१८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **विधि** मंत्री ३० मार्च १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सारे उपचुनावों में, जिनमें मतदान को चिह्नांकन प्रणाली अपनाई गई थी, कितने अमान्य मत पड़े ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मतदान की चिह्नांकन प्रणाली के अधीन अब तक हुए उपचुनावों में पड़े अमान्य मतों की संख्या १,३७,३९१ थी ।

आयकर अपवंचन

†३१८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में वर्णवार व राज्यवार आयकर अपवंचन के कितने मामले थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भूविज्ञान का क्षेत्र-प्रशिक्षण शिविर

†३१८६. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५८ में भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण द्वारा आयोजित भूतत्वीय क्षेत्र प्रशिक्षण शिविर में कितने विश्वविद्यालय-कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों-विद्यार्थियों ने भाग लिया;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ और यह कहां कहां आयोजित किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्यवार किन संस्थाओं के कर्मचारी व विद्यार्थी प्रशिक्षण के लिये आय ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) विश्वविद्यालयों के १२ कनिष्ठ कर्मचरियों ने क्षेत्र-प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया । आजकल विभिन्न विश्वविद्यालयों के ३९ स्नातकोत्तर विद्यार्थी क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिये भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण शिविरों में हैं ।

(ख) अब तक लगभग २०,००० रु० व्यय हुए हैं । विश्वविद्यालय-कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण शिविर कटासगढ़ कोयला-खान-क्षेत्र और रानी खान-क्षेत्र में आयोजित किया गया था । स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, पाण्डेचेरी, बम्बई, राजस्थान और मैसूर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ग) प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये जिन संस्थाओं से कर्मचारी व विद्यार्थी आये उनके नाम राज्यवार निम्न हैं :

विश्वविद्यालय कर्मचारी

उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिमी बंगाल, गोहाटी विश्वविद्यालय, आसाम; मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर; बड़ौदा विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, बम्बई; केरल विश्वविद्यालय, केरल; पटना विश्वविद्यालय, बिहार; मद्रास विश्वविद्यालय अनामलाई विश्वविद्यालय, मद्रास; आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश ।

स्नातकोत्तर विद्यार्थी

राज्य का नाम	संस्था का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
आंध्र प्रदेश .	आंध्र विश्वविद्यालय	२
बिहार . .	पटना विश्वविद्यालय	३
जम्मू तथा काश्मीर	जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय	१
मद्रास . .	अनामलाई विश्वविद्यालय	१
	मद्रास विश्वविद्यालय	१
मध्य प्रदेश .	सागर विश्वविद्यालय	३
मैसूर . .	करनाटक विश्वविद्यालय	२
	मैसूर विश्वविद्यालय	५
बम्बई . .	गुजरात विश्वविद्यालय	१
	पूना विश्वविद्यालय	२
राजस्थान .	राजस्थान विश्वविद्यालय	१
उत्तर प्रदेश .	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	२
	मुसलिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	२
	लखनऊ विश्वविद्यालय	२
पश्चिमी बंगाल .	कलकत्ता विश्वविद्यालय	४
	जादवपुर विश्वविद्यालय	४
आसाम .	गोहाटी विश्वविद्यालय	२
		३९

†मूल अंग्रेजी में

ग्वालियर में जमीनें

३१८७. श्री राधा चरण शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में भूतपूर्व ग्वालियर रियासत की सेना के उपयोग में आने वाली कितनी कृषि योग्य भूमि और वन प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस जमीन और वन क्षेत्र को प्राप्त करने के लिये निवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :(क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन जमीनें

३१८८. श्री राधा चरण शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन कुल कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) वर्ष १९५८–५९ में कितनी भूमि में खेती की गयी और उससे कुल कितनी पैदावार हुई और उस पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) फार्म संगठन समिति ने भविष्य में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सुझाव दिये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) लगभग ३,६०,००० एकड़ ;

(ख) १०,६४० एकड़ भूमि को छोड़ कर जो चारे के लिये मिलिटरी फार्म्ज के अधीन बोई गई थी, लगभग १७,७८४ एकड़ । उस पर कुल उत्पादन और आय खर्च के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और जभी **प्राप्त** हुई सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) आर्गेनाइजेशन कमेटी ने साधारण हिदायतें दी हैं जिन पर मिलिटरी फार्म्ज की योजनायें बनाई जानी चाहिये । इस समय इस रिपोर्ट का निरीक्षण किया जा रहा है

सवर्ण हिन्दुओं द्वारा सफाई करना

†**३१८९. श्री सिद्धया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के १९५७–५८ के प्रतिवेदन की इस सिफारिश पर कि सवर्ण हिन्दुओं को झाड़ लगाने तथा सड़क साफ करने का व्यवसाय अपनाने को प्रोत्साहन देना चाहिये, कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) आयुक्त की यह सिफारिश तथा अन्य सिफारिशें जो उसने अपने १९५७–५८ के प्रतिवेदन में की हैं, राज्य सरकारों आदि से उनके मत जानने के लिये भेज दी हैं और अभी वे प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल

३१९०. श्री पद्म देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को किस आधार पर अनुदान दिये जाते हैं और १९५८-५९ में प्रत्येक स्कूल को कितना-कितना अनुदान दिया गया ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन स्कूलों में परीक्षायें ली जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार इन स्कूलों का निरीक्षण करती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) अनुदान नीचे लिखे आधार पर दिये जाते हैं :—

(i) **आवर्ती अनुरक्षण अनुदान** :—घाटे का ९० प्रतिशत (अनुमोदित आवर्ती खर्च और फीस की आमदनी का अन्तर)।

(ii) **साज सामान के लिय अनावर्ती अनुदान** :—फर्नीचर, विज्ञान का साज सामान, नकशे चार्ट आदि खरीदने में हुये वास्तविक अनुमोदित खर्च का दो तिहाई।

(iii) **इमारतें बनाने के लिय अनावर्ती अनुदान** :—वास्तविक खर्च का दो तिहाई, परन्तु अधिक से अधिक १.० लाख रुपये तक।

१९५८-५९ के सहयक अनुदान का पूरा हिसाब अभी तक नहीं हो सका है इसलिये प्रत्येक स्कूल के अनुदान की राशि अभी मालूम नहीं है।

(ख) हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को छोड़ कर, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली, द्वारा ली जाती हैं, अन्य परीक्षायें स्कूलों द्वारा ही ली जाती हैं।

(ग) हां, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा।

(घ) यह सवाल ही नहीं उठता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** मैं सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-१३५४/५९]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : इसकी कुछ सिफारिशें अखबारों में आ गई हैं। इन पर कुछ चर्चा होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसके लिये माननीय सदस्य को सूचना देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१२ की, जिसमें, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में आगे कुछ संशोधन किये गये हैं, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१३५२/५९**]

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन नियम

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: मैं, स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, लक्कद्वीप, मिनिकोय तथा अमीन दीवी द्वीप समूह स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन नियम, १९५९, जो अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३०० दिनांक १४ मार्च, १९५९ में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-१३५३/५९**]

प्राक्कलन समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़): मैं गृह-कार्य मंत्रालय—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में प्राक्कलन समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** :(जंजगीर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर की शुद्धि

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: लोक-सभा में २ मार्च, १९५९ को सर्वश्री वारियर, साधन गुप्त और अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के भाग (क) में, मैंने कहा था कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के तीन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था, उनको सफाई पेश करने के नोटिस दिये गये थे और बाद में पद-च्युत कर दिया गया था ।

लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उनको पद-च्युत नहीं किया गया था, बल्कि उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : क्या उनसे कोई भी सफाई मांगे बिना ही उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस विवरण से उत्पन्न नहीं होता । इसके लिये दूसरा प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रखेगी ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : कल माननीय मंत्री ने इस मंत्रालय की सफलताओं की एक बड़ी शानदार तसवीर हमारे सामने पेश की थी । हमने भारी मशीनों, बुनियादी कच्चे माल और भारी रसायनिकों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारी प्रगति की है । माननीय मंत्री ने औद्योगिक उत्पादन की प्रगति के बारे में भी काफी संतोषजनक बातें बताई थीं । यह तो स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले, १९५८ में औद्योगिक उत्पादन की गति कुछ धीमी रही है । जबकि १९५५ से १९५६ तक औद्योगिक उत्पादन में आठ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी, १९५७ में वह ३.५ प्रतिशत ही रह गई थी और १९५८ में तो उससे भी कम रह गई थी । इसका कारण समझने के लिये, हमें अपने बड़े-बड़े उद्योगों की कठिनाइयों को भी समझना चाहिये । उदाहरण के लिये कपड़े के उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी हो गई थी । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उत्पादन की प्रगति की गति को पहले से भी अधिक बढ़ाने के लिये कुछ अधिक उपाय करें । तभी बेरोजगारी की समस्या भी हल की जा सकती है । अधिकाधिक औद्योगिकरण के कार्यक्रम में निजी और सरकारी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिये ।

हमारे देश में निर्माण लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर भी, संबंधित उद्योग पहले के ही मूल्यों को बनाये हुये हैं । उदाहरण के लिये, औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य-सूचनांक फरवरी, १९५८ में १११.१ थे, पर जनवरी, १९५९ में ११४.१ हो गये हैं । लेकिन निर्मित वस्तुओं के मूल्य उसी काल में १०७.५ से बढ़कर १०९.४ ही हुये हैं । मूल्य में यह बहुत थोड़ी सी वृद्धि भी कुछ एसे कारणों से हुई है जिन पर उद्योग का कोई नियंत्रण नहीं है ।

इसलिये औद्योगिक लागत को एक उचित स्तर पर बनाये रखने की समस्या पर विचार करना जरूरी है । यदि हमारे विभिन्न उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता करना चाहते हैं और आंतरिक बाजार की आवश्यकतायें भी पूरी करना चाहते हैं, तो निर्मित वस्तुओं के मूल्य एक उचित स्तर पर रखे जाने चाहियें । लेकिन इसके नियंत्रण के लिये जरूरी है कि योजना आयोग और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय निर्माण लागत की विभिन्न मदों के मूल्यों की वृद्धि के कारणों की जांच करे । हमें बड़े वैज्ञानिक ढंग से निर्माण लागत घटाने की कोशिश करनी चाहिये । अन्यथा हमारे निर्यात-व्यापार पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

निर्यात संवर्धन के लिये, मंत्रालय ने कई उपाय किये हैं । उनका इतना प्रभाव तो हुआ ही है कि १९५८ के उतरार्द्ध में गिरावट नहीं आ सकी । इस संबंध म मेरे अपने कुछ सुझाव हैं ।

सूती कपड़ा उद्योग ने १९५७ के पहले दो महीनों में, १९७७.१ लाख गज का निर्यात किया था, जबकि १९५८ के पहले दो महीनों में ९५४.८ लाख गज का ही निर्यात हुआ । इससे स्पष्ट है कि गिरावट की प्रवृत्ति जारी है ।

इसका एक बड़ा कारण यह है कि कपास के मूल्य बहुत ज्यादा चढ़ गये हैं । उदाहरण के लिये बम्बई में विजय कपास की एक कैंडी का मूल्य ९७० रुपया है, जबकि कराची में उसका मूल्य करीब

†मूल अंग्रेजी में

३०० रुपये कम है। पाकिस्तान सरकार, हमारी सरकार की अपेक्षा, निर्यातसंवर्धन के लिये अधिक सुविधायें भी देती है।

इसके अलावा हमारे सूती कपड़ा उद्योग को जापान, इंगलैंड और चीन से प्रतियोगिता भी करनी पड़ती है। सरकार को उद्योग की इन कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। सूती कपड़ा उद्योग को निर्यात के लिये कुछ और सुविधायें दी जानी चाहिये।

इसी तरह, मैंगनीज और लौह अयस्क का भी हमारा निर्यात घट गया है। रेलवे वस्तु भाड़े की अधिकता के कारण, राजस्थान में लौह अयस्क की कई खानें बन्द पड़ी हैं। मंत्रालय और रेलवे बोर्ड दोनों ही को इस पर विचार करना चाहिये। रेलवे वस्तु भाड़ा निर्धारित करने की नीति ऐसी होनी चाहिये जो निर्यात संवर्धन में सहायता कर सके। मैंगनीज और लौह अयस्क के बारे में कुछ सुविधायें जुटाने के इस मामले को तय करने में बड़ा विलम्ब किया जा रहा है।

राजस्थान के सूती कपड़ों के सामने इसके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां हैं। उनमें कई तो बन्द होने ही वाले हैं। चार तो बन्द हो ही चुके हैं। सरकार को राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार और सभी अन्य राज्यों के सूती कपड़ा उद्योग की अपनी विशेष परिस्थितियों और समस्याओं पर अलग-अलग विचार करना चाहिये और कुछ ऐसे उपाय करने चाहियें जिससे कि और अधिक कारखाने बन्द न हो पायें।

इसमें सन्देह नहीं कि मंत्रालय ने पिछड़े हुये क्षेत्रों में उद्योगों का प्रसार करने के लिये कुछ उपाय किये हैं। लेकिन वे उपाय अधिक प्रभावशाली नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री को पिछड़े हुये क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये प्रेरणा देने के लिये प्रादेशिक असमानताओं के पूरे प्रश्न का फिर से पुनरीक्षण करना चाहिये। कराधान जांच आयोग ने सिफारिश की थी कि जो उद्योग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, उन पर छः वर्ष तक कोई भी कर नहीं लगना चाहिये। पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिये भी यही नीति अपनाई जानी चाहिये। कल-कारखानों की संख्या बढ़ने से सरकार को राजस्व भी अधिक मिलने लगेगा। और इससे उन क्षेत्रों की समस्या भी हल हो जायेगी।

मैं बिल्कुल मानता हूं कि सरकार ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है, लेकिन यह समस्या इतनी टेढ़ी है कि सरकारी प्रयास से वह हल नहीं हो पाई है। अभी और अधिक प्रयास की जरूरत है। यह भी बिलकुल सही है कि इस काल में विदेशी मुद्रा की भी बड़ी कठिनाई रही है। विदेशी मुद्रा के संकट के बारे में निजी क्षेत्र की ओर से समय-समय पर कई सुझाव रखे गये हैं। यदि मंत्रालय निजी क्षेत्र को पर्याप्त सुविधायें दे, तो वह विदेशी उद्योगपतियों के सहयोग से देश के औद्योगीकरण की गति को और तेज करने में काफी हाथ बटा सकता है।

मैंने कई बार कहा है कि निजी क्षेत्र को विदेशी मुद्रा का उतना संकट नहीं है जितना कि सरकारी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र जर्मनी, अमरीका और इंगलैंड के कई उद्योगपतियों को हमारे देश के निजी क्षेत्र में सहयोगी के तौर पर विनियोजन करने के लिये राजी कर सकते हैं। मंत्रालय को उनको कुछ सुविधायें और रियायतें देनी पड़ेंगी। देश से बेरोजगारी दूर करने के लिये जरूरी है कि औद्योगिक प्रगति की गति को और तेज किया जाये।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** (राजमपेट) : मैं छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों तथा खादी उद्योग के बारे में ही कहूंगा। ये उद्योग देश को बड़े-बड़े उद्योगों के उतार चढ़ाव के अन्धड़ों में भी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

स्थिरता देते हैं। यही इनका महत्व है। जापान ने छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में बड़ी सफलतायें प्राप्त की हैं। अमरीका में भी ४० लाख ऐसे छोटे-छोटे उपक्रम हैं, जो इस देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का आधा उत्पादन खुद करते हैं। हमें अमरीका के स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। फिर भी, एक आदर्श के रूप में उसे सामने रखा जा सकता है।

अमरीका में इसकी एक दूसरी विशेषता यह है कि वहां के बड़े बड़े उद्योग अपने बहुत से छोटे-छोटे सहायक उपक्रमों को साथ रखते हैं। उदाहरण के लिये अमरीका का 'दी जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन' अपने निर्माण के लिये आवश्यक वस्तुएं तैयार करने का आर्डर १७,००० छोटे-छोटे सहायक कारखानों को देता है। अन्य सभी बड़े-बड़े उद्योग भी यही करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब छोटे पैमाने के उद्योगों का हमारा निगम भी इसी दिशा में प्रयास कर रहा है।

हमारे देश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये जो ढंग अपनाया गया है, उसमें विभिन्न संगठनों की, उनके प्रयासों की अनेकता रहती है, जो अनावश्यक है। छोटे उद्योगों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा है। उसके अलावा, उनके ऊपर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है। उसके बाद आते हैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त संयुक्त विकास आयुक्त। लेकिन अब राष्ट्रीय लघु उद्योग बोर्ड की सलाह पर यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य में एक ही राज्य संगठन रहेगा। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन, मंत्रालय को इससे भी आगे बढ़कर लघु उद्योग निगम और विभिन्न सेवा प्रतिष्ठानों तथा संयुक्त विकास आयुक्तों के प्रकार्यों का एकीकरण करने की बात भी सोचनी चाहिये। इन अलग-अलग संगठनों की कोई जरूरत ही नहीं। इन सभी के प्रकार्य निगम को ही सौंप दिये जाने चाहियें।

हमारे तीन-चार साल के काम का फल यह निकला है कि छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये एक देश-व्यापी संगठन बन गया है। निस्सन्देह ही, हम भविष्य में इस दिशा में और अधिक प्रगति करते जायेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की आलोचना की है कि वह कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि शुरू के कुछ वर्ष तो उचित वातावरण तैयार करने में ही लग गये थे। उसका सुसंगठित रूप तो अब सामने आया है।

कल कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि प्रादेशिक औद्योगीकरण का भार भी भारत सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये। माननीय मंत्री ने इसका उपयुक्त उत्तर दे दिया है। हां, मैं श्री सोमानी की इस बात से सहमत हूं कि पिछड़े हुये क्षेत्रों के नये उद्योगों, बड़े ही नहीं, सहायक लघु उद्योगों को भी कुछ वर्ष के लिये कर से विमुक्ति दी जाये।

हमारे देश में बम्बई, बंगाल और पंजाब के क्षेत्रों में ही अधिकांश छोटे उद्योग केन्द्रित हैं। शुरू के तीन-चार वर्ष के लिये यह स्वाभाविक भी था। मुझे विश्वास है अब अन्य क्षेत्रों में भी लघु उद्योगों का प्रसार होगा।

छोटे पैमाने के उद्योगों के इस आंदोलन में कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां भी हैं। सभी संगठनों को निगम में एकीकृत करने की बात तो मैं बता ही चुका हूं।

लघु उद्योगों संबंधी प्रचार-साहित्य तैयार करने और नये उद्योगों के प्रस्ताव रखने का कार्य अभी आम तौर से कुछ अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। इन चार वर्षों में करीब २०० ऐसे प्रस्ताव प्रकाशित और, उनमें दिलचस्पी रखने वाले लोगों में, परिचालित किये जा चुके हैं। हमारे पास अब अधिक उपकरण हैं, आज निर्यात-आयात की जाने वाली बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देश में ही लघु उद्योगों से तैयार कराया जा सकता है। इस पर विचार करने के लिये एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिये।

रासायनिकों के क्षेत्र में भी लघु उद्योग आरम्भ करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

खादी और ग्रामोद्योग के संबंध में भी सरकार की बड़ी आलोचना की जाती है । अभी मैंने एक लेख देखा था जिसमें कहा गया था कि सरकार खादी के हर गज के उत्पादन पर १० रुपये खर्च करती है । यह बिलकुल गलत है ।

हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी और ग्रामोद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये १७५ करोड़ रुपये रखे थे, जिसमें से १०५ करोड़ रुपये खादी और ग्रामोद्योग के लिये मिल पाये थे । यह सारी राशि अनुदान के रूप में नहीं, और न सहायता के रूप में, बल्कि चार-पांच सालों में अदा हो सकने वाले ऋण के रूप में ही दी गई है । यदि यह ऋण ४५ करोड़ रुपये मान लिया जाये, तो खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये ६० करोड़ रुपये ही दिये गये हैं । लेकिन इतने खर्च का फल क्या निकला है ?

आज खादी तथा ग्रामोद्योग के कारण २६ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है । यदि बड़े-बड़े उद्योग २६ लाख व्यक्तियों को रोजगार देना चाहें, तो १,००० करोड़ रुपये की पूंजी दरकार होगी । इसलिये, देश में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता तभी तक है जब तक कि बेरोजगारी खत्म नहीं होती । खादी तथा ग्रामोद्योग का यही परम उद्देश्य है । आलोचकों को इस कार्यक्रम के मानवीय तत्व को अनदेखा नहीं करना चाहिये ।

अब-अन्त में, मैं माननीय मंत्री से एक बात यह पूछना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के उटकमंड में अग्फा फैक्टरी स्थापित करने में क्या अड़चनें पड़ रही हैं । इसकी वार्ता पिछले दो साल से चल रही है । मेरी सूचना तो यह है कि भारत सरकार का निर्णय होते ही, करार पर हस्ताक्षर करते ही, कुछ ही महीनों में जर्मनी उसकी मशीनें भेजने को तैयार है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं कई बार इसका स्पष्टीकरण कर चुका हूं । पूर्वी जर्मन सरकार ने अपना अन्तिम प्रस्ताव रखने में काफी विलम्ब कर दिया है, और अब उस प्रस्ताव में भी कहा यह गया है कि वह १९६४ से पहले हमें मशीनें भेजना शुरू नहीं कर सकता । इसलिये अब हम अन्य देशों की व्यावसायिक संस्थाओं से वार्ता चला रहे हैं । उनके प्रस्ताव आने पर उन पर विचार किया जायेगा । हमारी ओर से इसमें कोई भी विलम्ब नहीं हुआ ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैं पूर्वी जर्मनी में वूल्फान स्थित अग्फा फैक्टरी देखने गया था । वहां मुझे बताया गया था कि मशीनें तैयार रखी थीं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : वह फैक्टरी कच्ची फिल्म बनाने की मशीनें तैयार नहीं करती ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैंने जो फैक्टरी देखी थी वह कच्ची फिल्म बनाने की मशीनें ही तैयार करती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह वही फैक्टरी नहीं है जिसकी सहायता से उटकमंड की फैक्टरी खड़ी की जानी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मनुभाई शाह** :जी, हां। मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य पूर्वी जर्मनी गये थे। पश्चिमी जर्मनी में भी एक अग्फा फैक्टरी है। हम पूर्वी जर्मनी की सरकार, पूर्वी जर्मनी की फेडरल डेमोक्रैटिक रिपब्लिकन सरकार के साथ सहयोग की वार्ता कर रहे थे।

उन्होंने मशीनें तैयार नहीं की थीं। उन्होंने हमको लिखा था कि परियोजना संबंधी प्रतिवेदन तैयार करना १९६१ के अन्त तक ही शुरू किया जा सकेगा, और, पूर्वी जर्मन सरकार के अनुसार, मशीनें भेजना १९६४ से ही शुरू किया जा सकेगा, यानी तृतीय योजना काल में। उस हिसाब से परियोजना १९६८ तक ही पूरी हो सकती थी, और वह हम नहीं चाहते।

†**अध्यक्ष महोदय** : पूर्वी जर्मनी से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे यहां आया हुआ है।

†**श्री मनुभाई शाह** : वह संसदीय प्रतिनिधि मंडल है। कच्ची फिल्मों से उसका कोई संबंध नहीं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : पता नहीं गड़बड़ी कहां है। मुझे तो वूल्यान में वे मशीनें भी दिखाई गई थीं, जो यहां भेजने के लिये तैयार थीं। जो भी हो, यह तो दोनों सरकारों के आपस में तय करने की ही चीज है।

बड़ी प्रसन्नता की बात है अब लोग राज्य व्यापार निगम के कार्यों को पसन्द करने लगे हैं। पहले शुरू में इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। मुझे विश्वास है कि निगम का और भी आगे विस्तार होगा और उससे देश का हित होगा।

†**श्री अजित .सह सरहदी** (लुधियाना) :वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को उसकी सफलताओं के लिये मैं मुबारकबाद देता हूं। इसका कार्य बहुत अच्छा रहा है। परन्तु मेरा कहना है कि कृषि सम्बन्धी औजार, ट्रैक्टर तथा उर्वरक बनाने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, विशेषकर उस हालत में जब कि हम सहकारी खेती आरम्भ कर रहे हैं। इससे जोत की सीमा काफी बड़ी हो जायेगी और हमें उसके लिये कृषि मशीनरी की आवश्यकता होगी। अतः उसके उत्पादन के प्रति समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। ट्रैक्टर रोलर और पम्पिंग के मामले में भी ऐसी ही अवस्था है।

उर्वरकों के मामले में हम राज्यों की ५० प्रतिशत तक मांग भी पूरी नहीं कर रहे, जब कि राज्यों की ओर से जो मांग आ रही है वह उनकी आवश्यकता का २० से २५ प्रतिशत ही है। नंगल में भी एक कारखाना बनाया जा रहा है। उसकी उत्पादन क्षमता को शुरू से ही क्यों न बढ़ाया जाये। उससे पंजाब की यह भी शिकायत दूर हो जायेगी कि औद्योगिक विकास के मामले में पंजाब की उपेक्षा की जा रही है।

एक अन्य बात की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। पंजाब में कपास पैदा होती है और करोड़ों रुपयों की कपास का निर्यात होता है। परन्तु आप थोड़ा ध्यान दीजिये कि सूती कपड़े के उत्पादन की अवस्था वहां क्या है। पंजाब में १९५८ के शुरु में केवल दो स्पिनिंग मिलें और तीन कम्पोजिट मिलें थीं जब कि भारत में कुल ४७० मिलें। पंजाब में स्थिति सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्तर्गत भी सहकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की मनाही नहीं है, प्रत्युत उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। भारत सरकार को पंजाब में लघु उद्योगों और सूती कपड़ा मिलों को प्रोत्साहित करने के लिये सहकारी संस्थाओं की सहायता करनी चाहिये। लघु उद्योगों में, कई लाभ तुरन्त उपलब्ध हो जाते हैं। पंजाब में सब से अधिक लघु उद्योग हैं। परन्तु मंत्री महोदय सब कुछ जानते हुये भी, इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे।

हौज़री उद्योग की पंजाब में बहुत उन्नति हो रही है। लुधियाना ही इसका केन्द्र है और ३ करोड़ रुपये के लगभग पूंजी इस उद्योग में लगी हुई है। १०,००० से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। ४, ५ करोड़ रुपये का माल हर वर्ष तैयार होता था और इसका एक चौथाई निर्यात हो जाता था। परन्तु अब इसकी अवस्था खराब हो रही है। इस दिशा में कोई सहकारी प्रयत्न नहीं किये जा रहे। सहकारी आधारों पर इस उद्योग को चलाना चाहिये और इसकी ओर समुचित ध्यान देना चाहिये। लभगभग इसी प्रकार की अवस्था साइकिल उद्योग की है मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इन दोनों उद्योगों के लिये कच्चे माल की व्यवस्था की जानी चाहिये। साइकिलों के पुर्जों के निर्माण में छोटे और बड़े यूनिटों में परस्पर सहयोग होना चाहिये ताकि साइकिल निर्माण के कार्य को समुचित प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

रेशमी कपड़े का उद्योग किसी समय बहुत उन्नत था और उसकी बड़ी व्यापक मांग थी। काश्मीर का रेशम सब से अच्छा माना जाता था। परन्तु अब यह उद्योग गिरता जा रहा है। इसके विकास के लिये भी सहकारी प्रयत्नों की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयत्नों से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार पठानकोट में अचार-मुरब्बे का एक कारखाना खोलने की आवश्यकता है, इसमें काश्मीर के सुन्दर फलों का प्रयोग किया जा सकता है। अन्त में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गुड़ के लिये वायदे के सौदों का केन्द्र दिल्ली न हो कर रोहतक में होना चाहिये। इससे पंजाब वालों को लाभ पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में भी चार केन्द्र रख ले गये हैं।

इन शब्दों से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री नारायणस्वामी** (पेटियाकुलम्): स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा देश प्रत्येक दिशा में प्रगति की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। संसार हमारी प्रगति को देख रहा है। हमारे साधन सीमित हैं फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी विनिमय की कमी के कारण वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय कच्चा माल और मशीनरी समुचित भाग मात्रा में आयात नहीं कर सका है और यही कारण कुछ उद्योगों के उत्पादन की कमी का भी है। लघु उद्योगों के विकास के लिये विदेशी विनिमय की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये विशेष पग उठाने की आवश्यकता है। खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सामुदायिक विकास संगठन का प्रयोग किया जाना चाहिये और प्रशासन के नीचे स्तर पर जो कठिनाइयां लोगों के सामने आती हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। यद्यपि मंत्रालय के कार्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक था, तथापि उसने प्रत्येक दिशा में अच्छी प्रगति की है।

बागान उद्योगों के बारे में मेरा मत है कि चाय और काफी के जो बोर्डों का निर्माण हो गया है, इससे इन उद्योगों में काफी सुधार हुआ है और कार्य काफी सन्तोष जनक ढंग से चल रहा है। मेरे क्षेत्र में इलायची के बाग हैं, अतः इलायची बोर्ड के बारे में मुझे यह कहना है कि यह बोर्ड अभी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायण स्वामी]

हाल ही में बनाया जाना है। इलायची अधिकतर मद्रास, केरल और मैसूर में होती है। १९५८ में ३,५६,७४,७९४ रुपये की इलायची का भारत से निर्यात किया गया। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें इलायची की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये संविहित इलायची बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये और इसे सब से अलग रखना चाहिये। केन्द्र द्वारा उसे सहायता दिये जाने की बहुत ही आवश्यकता है। इसका एक केन्द्रीय संगठन भी होना चाहिये।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं कुछ मिनटों में एक दो बातों के बारे में ही कहूंगा। मसाले काफी समय से हम निर्यात करते आ रहे हैं। अभी हाल इसमें काफी कमी हो गई है। इलायची में तो कोई कमी नहीं हुई परन्तु मिर्चों, हल्दी, सोंठ इत्यादि चीजों में कमी हुई है। इस से इतना पता लगता है कि हालात क्या है। ये हमारी निर्यात व्यापार की चीज़ें हैं। निर्यात कम हुये हैं और इनका कारण हमारे मुकाबले के साधनों का बढ़ जाना है। इतिहास बताता है कि कोई समय था कि इन चीजों का सम्भरण केवल हमारा देश ही करता था। अब अन्य देश भी अपनी चीजें मंडी में ला रहे हैं और उन चीजों की किस्म हम से अच्छी है। मूल्यों में भी वे हम से सस्ती हैं। अतः हमें अन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की भांति, इन चीजों की ओर भी समुचित ध्यान दे कर इनकी किस्म का सुधार करना होगा और इनकी मात्रा में वृद्धि करनी होगी। हमारे देश में जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है और आन्तरिक तौर पर देश में इन चीजों की मांग बढ़ रही है। अतः निर्यात के मामले में देश की आन्तरिक मांग भी एक महत्वपूर्ण अंग है।

मैंने मसालों का उल्लेख इस लिये किया ताकि पता चले कि आखिर हमारे विदेशी व्यापार में रोग क्या है। सरकार किस्म में सुधार करने के लिये कोई न कोई पग उठाती ही रहती है। इन्हें और अन्य कई चीजों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है। युद्ध के पश्चात् हमने ही नहीं सभी राष्ट्रों ने यह शिक्षा ली है कि हाथ पर हाथ रखे रहने से तो व्यापार हमारे पास आयेगा नहीं। अतः हमने बिक्री में तेजी लाने के लिये प्रबन्ध करने की अन्य सेवाओं की व्यवस्था की है। इस दिशा में राज्य व्यापार निगम की, उसको गति विधियों के लिये, काफी सराहना की गई है। उसने दो ही वर्ष के अल्प काल में देश के व्यापार के लिये अनुपम सेवा की है। प्रथम वर्ष में जो व्यापार हुआ, उससे दो गुणा व्यापार द्वितीय वर्ष में किया गया। प्रथम वर्ष १० करोड़ रुपये का व्यापार था और द्वितीय वर्ष में यह बढ़ कर २८ करोड़ ५७ लाख रुपये हो गया। इसके अतिरिक्त इसने वे सेवायें भी की हैं, जो कि आज के बदलते युग के अनुसार अपेक्षित थीं। इसके प्रयत्नों से काफी चीजों को विश्व की मंडी में लाना सम्भव हुआ और नये देशों को निर्यात का मार्ग खुला। ऐसी नई व्यापार दिशायें भी उपलब्ध हुई जो कि इससे पूर्व हमारे समक्ष नहीं थीं। उदाहरणतः हम जूतों, दस्तकारी की चीजों और ऊनी कपड़े का उल्लेख कर सकते हैं।

मैंगनीज़ अयस्क के बारे में अमरीका से माल के बदले माल लेने के सौदे के कार्यान्वित करने में देरी के बारे में कुछ कहा गया है। हमें यह याद रखना चाहिये कि इस सौदे को दूसरे देश की सरकार की स्वीकृति से, उसकी अपनी एजेन्सियों द्वारा, अन्तिम रूप दिया जाना है। दूसरी सरकार की अन्तिम स्वीकृति मार्च, १९५९ में मिली थी। उसके पश्चात्, किस्म आदि बातों पर चर्चा की जानी है; इसलिये यह देरी कोई अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। सौदे पर, मार्च में हस्ताक्षर हुये हैं और अब उसके ब्योरे पर विचार करना है और मेरा विचार है कि यह सौदा पक्का हो जायेगा। इस से हमारा ध्यान इस ओर भी आकृष्ट होना चाहिये कि विश्व मंडी में

†मूल अंग्रेजी में

मैंगनीज़ में बहुत गिरावट आ गई है और इसके द्वारा मैंगनीज़ की गिरती हुई हालत को ठीक करने का कदम उठाया जा रहा है। ऐसे समय में राज्य व्यापार निगम की सेवायें अद्वितीय है। ऐसे समय में अन्य देशों को यह भी पता चला कि खरीदारी के लिये हम किस अभिकरण से बातचीत कर सकते हैं और लम्बे अर्से के लौह अयस्क के सौदे हो सकते हैं। गत दो वर्षों में निगम ने जापानी सौदों को निपटाने की अपनी क्षमता भी सिद्ध कर दी है। यह श्रेय उसको है और अन्य देशों को भी इसके द्वारा अच्छा व्यापार उपलब्ध होता रहेगा। कुछ वर्षों में ही इसके समुचित परिणाम हमारे सामने आयेंगे।

कुछ क्षेत्रों में कठिनाइयां होने की बात ठीक ही है। यदि खानों की भोगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है तो उन से मुकाबला नहीं कर सकती जिनकी स्थिति अच्छी है। यह एक ही अवस्था में मुकाबले में उतर सकते हैं और वह यह कि इनकी उत्पादन लागत कम हो। यह सम्भव है क्योंकि निगम के प्रयत्नों से दक्षिण में लौह अयस्क साधनों का काफी विकास हुआ है। अब यदि कोई कठिनाई है तो वह परिवहन साधनों का अभाव है। निस्सन्देह कुछ-कुछ सुविधायें इस दिशा में उपलब्ध हो रही है और राज्य व्यापार निगम के प्रयत्नों के फलस्वरूप निर्यात बढ़ रहा है।

कच्ची पटसन के निर्यात की बात कही गयी है, इस पर गत १० वर्षों से रोक लगी हुई है। इसके कारण ऐतिहासिक हैं और यह चीज़ विभाजन के बाद सामने आई है। हमारे देश के किसानों ने इसे अनुभव किया और आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष हमारा पटसन का उत्पादन हमारी ज़रूरतों से अधिक हुआ है। परन्तु फिर भी हमें पटसन का आयात करना पड़ता है क्योंकि अभी उसकी किस्म का काफी सुधार करना है। इस मामले में निर्यात का औचित्य तब ही सिद्ध हो सकता है यदि आन्तरिक खपत से उत्पादन अधिक हो। मैं इस युक्ति से सहमत नहीं कि उत्पादन शुल्क हटाये बिना हम इसे बेच नहीं सकते और हमें प्रोत्साहन देने के लिये कुछ करना चाहिये। यह बात इससे प्रकट है कि जनवरी में पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में पटसन का दाम ४ रुपये मन कम था। जब पाकिस्तान ऐसा कर सकता है तो हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम उसी प्रकार का और उससे अच्छी किस्मों का पटसन उत्पादित कर सकें। हमें इस कारण भी सचेत रहना होता है क्योंकि हम आयात करने वाले देश भी हैं। हमें यही प्रयत्न करना चाहिये कि उत्पादन का व्यय कम करके ऐसी व्यवस्था करें कि चीजें सस्ती उपलब्ध हों। निर्यात की दृष्टि से ही नहीं, इस दृष्टि से भी यह बात आवश्यक है क्योंकि उत्पादन करने वाले अन्य देशों से भी हमारा मुकाबला हो रहा है। जब तक हम अपने उद्योगों के लिये सस्ते दामों पर कच्चे माल की व्यवस्था नहीं कर सकते तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता और हमारे उद्योग को, जिसका ८० प्रतिशत आधार निर्यात है, नुक़सान होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)]

लेकिन इस वर्ष भी राज्य व्यापार निगम ने कुछ निर्यातों को एक दिशा में निमन्त्रित करने का प्रयत्न किया है। यदि सब हालात ठीक रहे हैं तो हम अगले वर्ष भी निर्यात करेंगे। परन्तु हम केवल सहायता के आधार पर निर्यात का अन्दाजा लगाना ठीक नहीं समझते। हथ-करघा उद्योग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं छट के आंकड़े आपको बताता हूं जो वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती रही है। १९५५-५६ में यह १६९ लाख रुपये थी, अगले वर्ष में यह २३० लाख रुपये कर दी गई और फिर यह २५९ लाख हो गई। १९५८-५९ में इसका अन्दाजा ३२५ लाख रुपये का

[श्री नारायण स्वामी]

है। यह छूट हथ करघा कपड़े के उत्पादन के कुछ अंश को दी जाती है जहां कि उत्पादन बढ़ रहा है। १९५२ में उत्पादन ११००० लाख गज़ था जब कि १९५८ में यह १७९८० लाख गज़ हो गया। १९५७ में केवल ३५९० लाख गज को ही छूट प्राप्त हुई है मेरा कहना यह है कि इसका कहीं तो अन्त होना चाहिये। उत्पादन तो बढ़ेगा ही और इसका कारण छूट नहीं है प्रत्युत अन्य विकास सम्बन्धी कार्य है और अन्य वे सुविधायें हैं जिनकी व्यवस्था की जा रही है : अतः हमें विकास सम्बन्धी कार्यों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और रोज़गार भी। यदि आप उसी तरह चलते रहें तो कहीं तो छूट को समाप्त करना ही होगा। यह मैं मानता हूं कि किसी आर्थिक सुविधा को वापिस लेना बड़ा कठिन कार्य है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार छूट वापिस ले लेगी, परन्तु मैं सदन को, राज्य सरकारों और सामान्य जनता से कहता हूं कि क्या हमें अब विकास व्यय पर ध्यान देना चाहिये अथवा नहीं।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमें आशा थी कि हम निर्यात बढ़ा कर अपनी वित्तीय स्थिति सुधार लेंगे। परन्तु यह बड़ खदे की बात है कि आज भी हालत अच्छी नज़र नहीं आती है। एक बार हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि 'उत्पादन करो अथवा नष्ट हो जाओ।'' मेरा यह कहना है कि "निर्यात करो अथवा ख़त्म हो जाओ।" मेरा अपना मत है कि जब तक बाज़ार गवेषणा सेवा (मार्केट रिसर्च सर्विस) नहीं बनाई जायेगी तब तक निर्यात नहीं बढाया जा सकता है। और इसीलि ये मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री निर्यात गवेषणा परिषद् बनाये जो हमारी वस्तुओं के लिय नया बाजार खोजें।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में विभिन्न देशों को किये जाने वाले निर्यात के लक्ष्य बताये गये हैं तथा यह बताया गया है कि हमारे शिष्टमंडल बाहर गये। परन्तु यह नहीं बताया गया कि इन शिष्टमंडलों ने क्या काम किया। मुझ इसका बड़ा दुःख है कि हमारा निर्यात कम होता जा रहा है। मैंगानीज़ अयस्क तथा लौह अयस्क के, जिसको राज्य व्यापार निगम निर्यात करता है, निर्यात में भी कमी हो गई है। और इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारे संगठन में कहीं पर कुछ गड़बड़ है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और निर्यात बढान में उचित कार्यवाही करेंगे।

आयात नीति के बारे में यह कहना चाहता हूं, कि सरकार को मशीनों का आयात करने के लिये बाज़ार के मूल्यों की सूची बनानी चाहिये जिससे सभी देशों के मशीनों के मूल्य मालूम हो जायें और उसी आधार पर मशीनों का आयात करना चाहिये।

राज्य व्यापार निगम बनाते समय कहा गया था कि यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। परन्तु इस क्रान्तिकारी क़दम को आगे बढ़ाने के लिये क्रान्तिकारी व्यवस्था नहीं की गई। इस में कुछ सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया जिनको व्यापार का कोई अनुभव नहीं था। मैं मानता हूं कि यह सभी कर्मचारी बड़े योग्य, विद्वान पदाधिकारी हैं। परन्तु व्यापार के मामले में सचिवालय के योग्य पदाधिकारी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। इस निगम के सभापति पर भी तीन बोझ लाद रखे हैं। उन्हें निर्यात सर्वद्धन का डाइरेक्टर जनरल, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एडीशनल सेक्रेटरी तथा राज्य व्यापार निगम का चेयरमैन बना रखा है और इसलिये तीनों कार्यों की ओर एक सा ध्यान देना कठिन प्रतीत होता है। मेरा सुझाव है कि राज्य व्यापार निगम का सभापति व्यापार में अनुभवी गैर- सरकारी व्यक्ति होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राय: भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार के बारे में कहा जाता है। मेरे पास भ्रष्टाचार के मामलों को सिद्ध करने के लिये प्रमाण नहीं है और न मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। केवल माननीय मंत्री का यह बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व सचिव-उपसचिव, अवर सचिव, जा गैर सरकारी संस्थाओं में सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त हो जाते हैं, मंत्रालय आकर हमारे इस समय के उप-सचिवों अवर सचिवों से मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे वर्त्तमान पदाधिकारी उनके प्रभावों में किसी प्रकार भी न आने पावें।

†**श्री बी० दास गुप्त** (प्रसलिया) : आरंभ में मैं मंत्रालय का ध्यान सिंदरी उर्वरक कारखाने की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विचार से यह आवश्यक है कि बिना कोई बिलम्ब किये इसके कार्यों को जांच की जाये, क्योंकि न तो उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो रहा है; न परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की सिफारिशों को अस्वीकार किया जा रहा है। जर्मनी से ३ करोड़ रुपये का मेथानोल गैस का संयंत्र मंगाया गया था जो दस वर्ष से बेकार पड़ा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इने कारखानों के कार्यों की पूरी तरह जांच की जानी चाहिये और जांच समिति संसद सदस्यों की बनाई जानी चाहिये।

यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है। परन्तु छोटे पैमाने के उद्योगों की पुस्तिका में यह बताया गया है कि "अत्यावश्यक विकेन्द्रीकृत उद्योग का आधार छोटे पैमाने के उद्योग हैं।" पहली चीज़ तो यह है कि क्या मंत्रालय वास्तव में विकेन्द्रीकृत समाज का आधार बनाना चाहती है। लेकिन मेरा तो अपना विचार है कि इसका आधार कुटीर उद्योग है। ऐसा ही माहत्मा गांधी ने भी कहा था। मुझे इसका बड़ा खादी है कि सरकार तथा योजना आयोग दोनों ने इसकी बड़ी उपेक्षा की है। मैं जानता हूं कि खद तथा ग्रामोद्योग आयोग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये है। परन्तु मैं यह भी जानता हूं कि सरकार गंभीरता से कभी भी इसके सम्बन्ध में कोई काम नहीं करती। मेरा कहना है कि जब तक कुटीर उद्योगों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक देश से गरीबी कभी भी दूर नहीं होगी।

१०, जनवरी, १९५८ को योजना आयोग के उप-सभापति, श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि भारत में ७ करोड़ गांव वाले ८ महीनों तक बेकार पड़े रहते हैं। यदि हम १९५०-५१ की कृषि जांच समिति के प्रतिवेदन को देखें तो पता लगेगा कि एक पुरुष तथा स्त्री की औसत मजूरी क्रमश: १७·५ आने तथा १०·३ आने प्रतिदिन थी; अर्थात् दोनों का औसत १३.९ आने प्रतिदिन होता है। यदि उप-सभापति के कथनानुसार ७ करोड़ बेकार आदमियों को काम नहीं मिला है तो इसका अर्थ हुआ कि ७ करोड़ व्यक्ति काम के न होने के कारण १४५६ करोड़ रुपये वार्षिक का नुक़सान उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि इन ७ करोड़ व्यक्तियों को कुटीर उद्योग में लगाया जाये तो इस प्रकार यह हानि कम की जा सकती है। इसलिये औद्योगिक कार्यक्रम के विकास के लिये तथा बेकारी दूर करने के लिये हमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिये।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनतपुर) : समय थोड़ा होने के कारण मैं थोड़ी बात कहुंगा तथा आशा करूंगा कि मंत्रालय मेरी थोड़ी बातों में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। मोटरगाड़ी समिति की नियुक्ति सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई थी परन्तु इसमें किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को न देख कर निराशा हुई। मैं आशा करता हूं इसमें एक गैर-सरकारी व्यक्ति नियुक्त कर दिया जायेगा तथा यह समिति मोटर गाड़ियों के अधिक मूल्यों की जांच करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नागी रड्डी]

३ मार्च, १९५९ को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार ने बताया था कि सहकारी समितियों के बाहर के हथकरघा जुलाहों के सम्बन्ध में हथकरघा बोर्ड की उप-समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इनजुलाहों को सूत तथा रंग मिलने में बड़ी कठिनाई हो रही है और इसलिये ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिये जिससे सस्ते मूल्य पर रंग तथा सूत इन जुलाहों को मिल सके।

प्रत्येक वर्ष माननीय सदस्य कुछ राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन को सभा में बताते हैं और इस पर प्रायः चर्चा होती है। १३-३-५९ को विवाद का उत्तर देते हुये श्री मनुभाई शाह ने औद्योगिक पिछड़ेपन के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसका मुझे बड़ा खेद है। उन्होंने बताया कि विश्व की औद्योगिक तथा प्रोद्योगिकीय प्रगति बड़ी शीघ्रता से हो रही है और उसके साथ-साथ अपनी प्रगति बनाये रखना बड़ा कठिन काम है तथा इसका भी निश्चय करना बड़ा कठिन है कि भारत का कौन सा भाग अल्प-विकसित है तथा कौन सा पूरी तरह विकसित है। इसके अतिरिक्त यदि केन्द्र राज्यों को अपने-अपने राज्य में कारखाने बनाने की अनुमति दे दे तो ऐसा करना भारत की एकता के लिये घातक सिद्ध होगा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दक्षिण में इस प्रकार की नीति का बड़ा विरोध हो रहा है तथा बड़ा असंतोष फैला हुआ है। मेरा अपना यह विचार है कि यदि भारत की एकता बनाये रखनी है तो सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिये कि देश के अल्प विकसित क्षेत्र पीछे न रह जाय।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि एक विशेष परियोजना अथवा कारखाना एक विशेष गांव में बनाना बड़ा खतरनाक होगा क्योंकि इससे गांवों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जायेगी।

†**श्री नागी रेड्डी** : मैंने उनके भाषण के वाक्य को ज्यूं का त्यूं पढ़ा है। कृपा करके वह १३-३-५९ के अपने भाषण को पढ़ें।

अब राज्यवार समवायों के वितरण को लीजिये आन्ध्र में केवल ५३० समवाय हैं। जब कि समस्त देश में २८,००० समवाय हैं। प्रतिव्यक्ति आय में आन्ध्र का बारहवां नम्बर हैं। जब अखिल भारतीय औसत आंकड़े ३२६ हैं तब आन्ध्र के २९७ आंकड़े हैं। उद्योगों के विस्तार तथा स्थापना के लिये आन्ध्र को केवल १५ लाइसेंस दिये गये हैं। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को राज्यों में समानरूप से लाइसेंस आदि देने चाहियें।

आयात, निर्यात व्यापार में यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि आज भी विदेशी आधिपत्य है। भारत के रिजर्वबैंक के बुलेटिन को पढ़ने पर पता लगता है कि चाय में विदेशियों का ७० प्रतिशत और तम्बाकू में ३९ प्रतिशत नियंत्रण है। खनिज तेलों के आयात में शत-प्रतिशत नियंत्रण है। इसलिये हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे आयात, निर्यात पर से विदेशी नियंत्रण समाप्त हो जाये।

आयात, निर्यात के लाइसेंस कुछ निश्चित व्यक्तियों को दिये जाते हैं तथा यह व्यक्ति इनको अन्य व्यक्तियों को बेच देते हैं। मैं एक लाइसेंस का नम्बर बताता हूं जो इस प्रकार बेचा गया। वह लाइसेंस नम्बर, ०६२४० है और यह १,१७,३०० रुपये का है और इसकी तारीख ७-६-५६ है। मैं नाम भी बता सकता हूं।

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य नाम बतायें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** : बहुत अच्छा। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों के सेवा नियम बनाये जाने चाहिये। आकस्मिक छुट्टी जो १५ से १० की गई है उनको १५ की जानी चाहिये तथा उन पर शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेन्ट्स अधिनियम लागू किया जाना चाहिये।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मेरे सहयोगी श्री मनभाई शाह उत्पादन और उद्योगों के सम्बन्ध में कह चुके हैं। अतः मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से नहीं बताऊंगा तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि मोटे तौर पर हमारा उत्पादन संतोषजनक रहा है। निसंदेह कपड़े का उत्पादन कुछ घटा है, चीनी के उत्पादन में भी कुछ कमी हुई है तथापि अन्य चीजों का उत्पादन बढ़ा है। प्रतिवेदन में यह बात स्पष्टतः बताई गई है। मनुभाई शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्रों को स्थापना कर रही है। वस्तुतः भारी मशीन संयंत्र तथा ढलाई संयंत्र (फाउन्डरी फोर्ज प्लांट) की स्थापना के लिये एक निगम भी बनाया गया है। क्योंकि इससे उन उद्योगों के लिये मशीनें तैयार की जायेंगी जो इस समय मौजूद हैं, या जिन की स्थापना भविष्य में की जायेगी।

उक्त संयंत्रों के अलावा हमने अल्म्यूनियम, रसायन, दवाइयां तथा नकली रबर इत्यादि के उद्योगों की स्थापना करनी है। उपभोक्ता उद्योगों में हमने कागज तथा अखबारी कागज़ के उद्योगों की स्थापना करनी है। अतः अभी नये उद्योगों के विकास के लिये पर्याप्त क्षेत्र हैं जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्र दिलचस्पी ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में दोनों क्षेत्रों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिये। इसके विपरीत प्रत्येक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के रवैये की प्रसंशा करनी चाहिये। चाहे सरकारी क्षेत्र हो या गैर-सरकारी, उन्हें चाहिये कि वे नये उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये पूरा प्रयत्न करें। गैर-सरकारी क्षेत्र को केवल इतना ध्यान रखना चाहिये कि अब समय बदल गया है इसलिये यदि वे उद्योगों की स्थापना करें तथा उन्हें सफल और विकसित बनाना चाहें तो उन्हें उद्योग तथा देश के श्रमिकों का भी ध्यान रखना होगा। औद्योगिकों की नई पीढ़ी इस बात से अवगत है तथापि मैं चाहता हूं कि पुरानी पीढ़ी के औद्योगिक भी इस बात के महत्व को समझें और इस प्रकार कार्य करें जिससे हमारे लिये विशेष कठिनाइयां न पैदा हों।

श्री स० म० बनर्जी औद्योगिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का विरोध करते हैं। तथापि जब कोई मिल बन्द होती है तो वे ही सबसे पहिले आ कर यह कहते हैं कि मिल मालिक ने उस मिल को चलाना चाहिये। यदि वह उसे नहीं चलाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। इससे उनका अभिप्राय यह रहता है कि उत्पादन बढ़े और बेरोजगारी दूर हो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है कि उत्पादन बढाया जाय और बेरोजगारी दूर हो। यदि हमने उत्पादन बढ़ाना है तो वर्तमान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण कार्य करना है तथापि हम गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य में बाधा नहीं पहुंचायेंगे। इसलिये जिन लोगों के पास यथोचित संसाधन हैं, उन्हें उनसे देश का उत्पादन बढ़ाने में सहायता करनी चाहिये। मैं गैर-सरकारी क्षेत्र से ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि मैं जनता हूं कि हमारे देश का सर्वोच्चहित इसी में है कि प्रत्येक क्षेत्र उत्पादन वृद्धि में सहयोग करे।

श्री मनुभाई शाह ने भी इस सम्बन्ध में एकाधिकारिता का उल्लेख किया है। यह एकाधिकारिता दो प्रकार की है पहिली यह कि बड़े उद्योगपति और भी बड़े बनना चाहते हैं। हम उन्हें वैध रूप से नहीं रोक सकते तथापि सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर रही है। प्रश्न यह है कि नये उद्योगपतियों का नये उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित क्यों न किया जाये। निसंदेह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

बड़े उद्योगपतियों को अधिक सुविधायें प्राप्त हैं, वे विदेशी फर्मों के सरलता से बातचीत कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथापि नये उद्योगपति आगे आकर नये उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। कई उद्योग पतियों ने विभिन्न उद्योगों की स्थापना भी की है। तथापि इस दिशा में हमें अभी बहुत प्रगति करनी है। आगे बढ़ने की आकांक्षा उचित है तथापि मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में बहुत बड़े समवाय या व्यापार संघों के लिये कोई स्थान नहीं है। हमारे देश में कोई व्यापार संघ नहीं है तथा पि हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम उपक्रमी व्यक्तियों के बीच का विभेद दूर करें न कि उसे बढ़ायें। सहायक उद्योग धंधों की स्थापना कर इस विभेद को रोका जा सकता है। बड़ी मिलों को सभी वस्तुएं अपनी मिलों में बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। उन्हें संयोजक संयंत्र के रूप में कार्य करना चाहिये। अन्य कल पुर्जे इत्यादि छोटे उद्योगों में कारखाने से दूर भी बनाये जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे कारखाने के निकट ही बनाये जांय। इससे परिवहन की कठिनाइयों में वृद्धि नहीं होगी अपितु परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी। अन्य देशों में भी बहुत दूरी से औजार, पुर्जे इत्यादि को संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। इसलिये मेरे विचार से सहायक उद्योग खोलने के विचार को प्रोसाहन देना चाहिये। सहायक उद्योगों से मेरा तात्पर्य उन उद्योगों से है जो विभिन्न उद्योगों की मशीन सबन्धी आवश्यकता को पूरा करतावे एक ही उद्योग वे अंतर्गत नहीं रहेंगे। तात्पर्य यह है कि ये उद्योग स्वतंत्र रहेंगे। छोटे उद्योग होने के नाते उनका उत्पादन व्यय भी कम होगा।

यद्यपि सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में हमारे पास कोई विशेष विधि नहीं है तथापि जब भी हमने इस सम्बन्ध में बड़े उद्योगपतियों से बातचीत की है उन्होंने इस विचार का विरोध नहीं किया है। हम इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित कार्यवाही करनाचाहते हैं। यदि इस सम्बन्ध में हमारे परामर्श, सलाह और चर्चाओं का कोई फल नहीं होगा तो हम इस सम्बन्ध में कोई विधान बनायेंगे, जिससे इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो सके। वस्तुतः जब मैं एकाधिकारिता और बड़े-बड़े उद्योगों के विरुद्ध कहता हूं तो मेरा तात्पर्य यह होता कि आज एक उद्योगपति और दूसरे उद्योगपति के बीच जो अन्तर है उसमें कमी हो। हम उनके बीच के अन्तर को और गहरा न कर, पाटना चाहते हैं, जिससे कि दोनों पक्षों के लिये कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न किये बिना ही हमें इस प्रयोजन में सफलता प्राप्त हो सके।

श्री सोमानी ने यह कहा है कि हमें गैर-सरकारी क्षेत्र को विदेशी साझीदारों से समझौता करने के मामले में कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिये। भारतीय तथा विदेशी फर्मों के बीच साझेदारी से प्रारम्भ किये गये उद्योगों के सम्बन्ध में हमने यह सामान्य नीति स्वीकार की है कि नये प्रकार के उत्पादनों और ऐसे उत्पादनों में जिस में अनुभव और विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है विदेशी पूंजी का भरसक स्वागत किया जायेगा। स्वभावतः ही हमारा अभिप्राय यह रहता है कि स्वामित्व तथा सन्चालन सम्बन्धी आधिकांश हित भारतीय हाथों में रहे। तथापि यह नियम अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय हित में होने पर सरकार आवश्यक उद्योगों के सम्बन्ध में भी साझेदारी की अनुमति दे देती है। वस्तुतः हम प्रस्तावों पर बारीकी से और व्यापक रूप में जांच करते हैं। मेरे विचार से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने के सम्बन्ध में कोई विलम्ब या हतोत्साह करने वाली बात नहीं की जाती है।

कारों के सम्बंध में मैं यह स्वयं अनुभव करता हूं कि यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस देने की प्रणाली लागू करनी पड़ेगी। तथापि जैसा कि श्री मनुभाई शाह ने कहा था स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब कि कारें अधिक संख्या में बनाई जाये। हमने उन्हें विदेशी मुद्रा का अधिक कोटा दिया है। मेरे विचार से तीन या चार महीनों में इस स्थिति में सुधार हो

जायेगा। निर्माताओं ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया है। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मैं सभा को यहां तक आश्वासन देने को तैयार हूं कि हम युद्ध से पहिले की तरह ही कारों के लिये लाइसेंस देने की प्रणाली लागू कर देंगे। राज्य सरकार लाइसेंस देने का काम अपने हाथों में ले लेगी। छोटी कारों के निर्माण के लिये हम एक समिति नियुक्त कर चुके हैं। उस समिति के सम्बन्ध में यह कहना गलत है कि वह बिल्कुल सरकारी समिति है। निस्संदेह उसमें मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं तथापि उसमें योजना आयोग के प्रतिनिधि भी हैं। उसमें प्रतिरक्षा मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि है, क्योंकि यह मंत्रालय भी अपने प्रयोग के लिये कारों का निर्माण करने जा रहा है। समिति में लखनऊ विश्वविद्यालय के निवृत्तिप्राप्त अर्थशास्त्री श्री दास गुप्त भी हैं। मेरे विचार से समिति में उपयुक्त लोग ही हैं। यदि सदस्य चाहें तो मैं समिति के सदस्यों से, सभा के सदस्यों से मिलने के लिये कह सकता हूं। वे आपस में इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं। बाद में यदि हमें कोई गैर-सरकारी उपयुक्त व्यक्ति मिला तो हम उसको भी समिति में शामिल कर सकते हैं। मेरे विचार से समिति में एक ही प्रकार के व्यक्ति होने चाहिये, समिति को खिचड़ी नहीं बन जाना चाहिये। यह समिति छोटी कारों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करेगी। इस समय हमारे देश में वास्तविक कठिनाई यह है कि हमारे देश में बहुत थोड़ी कारें बनती हैं क्योंकि इन कारों की खपत बहुत कम है। एक निर्माता ने आकर मुझे यह आश्वासन दिया था कि यदि हम कारों की बिक्री को १५००० से २०००० तक बढ़ा सकें तो वह कारों के दाम तत्काल १००० रू० कम करने को तैयार है। वस्तुतः हमारे देश में कम उत्पादन होने के कारण उनकी लागत अधिक आती है। समिति इस पहलू पर भी विचार करेगी। भारत में इस समय कोई भी निर्माता कार के सभी पुर्जे देश में ही नहीं बनाता है। तथापि उत्तरोत्तर अधिक पुर्जे बनाये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ एम्बेसेडर कार के ६० से ६५ प्रतिशत पुर्जे देश में ही बनाये जाने लगे हैं। अन्य कारखानों में भी स्वदेशी पुर्जों के निर्माण में वृद्धि हो रही है। वास्तवमें वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस बात का पुरजोर प्रयत्न करता है कि स्वदेशी उत्पादन की वृद्धि की जाय और विदेशों से आयात किये जाने वाले पुर्जों की संख्या घटाई जाय।

श्री सोमानी ने कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कर की छूट दी जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में देश के सभी भाग अपने को पिछड़े क्षेत्र कहने लगेंगे। तथापि इस बात का निश्चय राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। इसलिये इस मामले पर विचार करने में कुछ समय लगेगा। तथापि उनका अभिप्राय यह है कि देश के पिछड़े भागों का विकास करने के लिये नये उद्योगों की स्थापना की जाय और उपक्रमियों को कुछ सुविधायें प्रदान की जाय जिससे वे उनका संचालन भली प्रकार कर सकें। पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में मेरा विचार कुछ और है जिस सम्बन्ध में मैं बाद में निवेदन करूंगा।

श्री सोमानी ने वस्त्र उद्योग का भी जिक्र किया है। मैं जब भी वस्त्र उद्योगपतियों से बातचीत करता हूं वे उस उद्योग की ऐसी निराशाजनक तस्वीर खींचते हैं कि मैं स्वयं कुछ समझ नहीं पाता हूं। निस्संदेह वस्त्र उद्योग की स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं है तथापि यह कहना कि इन महीनों में यह स्थिति और भी खराब हो गई है बिल्कुल गलत है। निस्सन्देह इस उद्योग पर संकट आया तथापि सरकार ने कुछ ऐसी वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता दी पक उसकी स्थिति अपेक्षाकृत सुधर गई है। उदाहरण के लिये अक्टूबर, १९५८ में बिना बिक्री कपड़े की गांठों की संख्या ६ लाख से अधिक थी, जो इस समय ४ लाख है। वह भी उनके केवल ४ सप्ताहों का उत्पादन है। यदि हम बिकी हुई लेकिन निकासी न की गई गांठों को लें तो यह ७ सप्ताहों का उत्पादन है। वस्तुतः

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

कानपुर में यह संकट सबसे विकट है, वहां के कारखाने अभी भी कठिनाई में पड़े हैं। तथापि वहां भी स्थिति कुछ सुधरी है।

जहां तक मिलों के बन्द होने का प्रश्न है स्थिति बदलती रहती है। कुछ मिलें बन्द होती हैं या बन्द होने की धमकी देती हैं तो कुछ मिलें खुलने लगती हैं। इसलिये सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि लाभ हो या घाटा, हर मिल हमेशा चलती रहे। १९५८-५९ की अवधि में केवल दो मिलें बन्द हुई जब कि ११ मिलें खुलीं। तथापि १९५९ में बरार की तीन या चार मिलों ने बन्द करने की धमकी दी है या वे मिलें बन्द हो गई हैं। स्वतंत्र उद्योग में सरकार प्रत्येक मिल के लिये चाहे वह घाटे से चले या नुक्सान में उसका दायित्व नहीं ले सकती है। केवल कुशलता और लाभ से काम करने वाली मिलें ही सफलतापूर्वक काम कर सकती हैं। तथापि रोजगार को दृष्टि में रखते हुये कपड़ा आयुक्त संगठन इस बात का भरसक प्रयत्न करता है कि मिलें पुनः खुल जांय उनके प्रयत्न से कई मिलों ने अपने नोटिस वापस भी लिये हैं।

अभी हाल कानपुर की एक पटसन मिल ने बन्द करने का नोटिस दिया और कहा कि उसने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुमति ले ली है। तथापि उसको बताया गया कि सरकार उससे सहमत नहीं है और यदि उसे मशीनों को बदलने के लिये ऋण या आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो सरकार उसे देने को तैयार है। फलतः वह नोटिस अनिश्चित काल के लिये वापस ले लिया गया है।

यह कहा गया है कि कपड़ा मिलें तब तक बन्द रहेंगी जब तक उनकी मशनों को बदलने के लिये काफी रुपया न दिया जाय। हाल में राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने कपड़ा उद्योगों को ऋण सम्बन्धी अधिक सुविधायें प्रदान की हैं। कपड़ा मिलों ने इस सुविधा से कोई लाभ नहीं उठाया है। लेकिन पटसन मिलों ने इस सहायता से पूरा लाभ उठाया। आज स्थिति यह है कि पटसन मिलों की हालत बहुत अच्छी है और उन्होंने अपनी मशीनें बदल ली हैं और अब वह पहिले से अच्छी स्थिति में हैं। वस्तुतः इस सम्बन्ध में मिलों को सरकार द्वारा लिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वस्तुतः वास्तविक समस्या एथर्टन मिल के बारे में थी। इस सम्बन्ध में जांच को गई और अब राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या वे इस समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर सकते हैं। मेरे विचार से उन्होंने इस सम्बन्ध में निश्चय कर लिया है और यदि राज्य सरकार इस मिल को चलाना चाहेगी तो हम भरसक उनकी मदद करेंगे।

राज्य व्यापार निगम ने कच्चे पटसन के निर्यात के लिये एक योजना बनाई है। इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई थीं। क्योंकि निर्यातकर्त्ताओं ने कच्चे पटसन का, जो उनके द्वारा खरीदा या राज्य व्यापार निगम द्वारा उन्हें भेजने के लिये दिया गया था, निर्यात करना बन्द कर दिया था। अब आशा है कि निर्यात होने वाला माल इस महीने के अंत तक भेज दिया जायेगा। २३००० गांठों के सम्बन्ध में ठेका हो चुका है यह व्यवस्था की जा रही है कि ५०००० गांठों का निर्यात किया जा सके।

राज्य व्यापार निगम पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में यथा बिहार, उड़ीसा' पश्चिमी बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में सहकारी बिक्री समितियों द्वारा पटसन की खरीद कर रहा है। जनवरी १९५९ में राज्य व्यापार निगम ने २,३०,००० मन पटसन की खरीद के आदेश दिये थे। अब स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है। मैं आशा करता हूं कि अब निर्यात कर्त्ताओं को किसी विशेष असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आसाम बाटम के लिये राज्य व्यापार निगम २३.५० रु० दे रहा है जो बाजार दर से २ या ३ रु० ऊंची कीमत है। मैं नहीं जानता कि आज क्या स्थिति

है। यदि हम इससे रेलवे भाड़ा, कर तथा अन्य व्यय निकाल देंं तो इस प्रकार राज्य व्यापार निगम सहकारी समितियों को विभिन्न क्षेत्रों में १७.५० रु० से २२.४५ रु० प्रति मन को कीमत देता है। वस्तुतः मंत्रालय द्वारा किये गये कार्य से कम से कम इस बीच स्थिति में सुधार हो गया है। भविष्य में भी हम स्थिति पर गौर करते रहेंगे। निर्यातकर्त्ता तथा उत्पादनकर्त्ता दोनों के हितों पर ध्यान दिया जायेगा।

अब मैं चाय को लेता हूं। चाय के निर्यात की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। चाय के निर्यात ने हमें निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयों से बचाया है। श्री टांटिया ने आसाम के कछार क्षेत्र में चाय उद्योग के विकास का उल्लेख किया है। उन्होंने उन क्षेत्रों का भी उल्लेख किया है जो पिछड़े हुये हैं उदाहरणार्थ दक्षिण मद्रास और आसाम तथा बंगाल के कुछ अंश। वास्तविक समस्या वहां के निवासियों को अपने बागानों तथा चाय की किस्म का सुधार करने के लिये आर्थिक सहायता देने से सम्बन्धित है। अच्छी किस्म के चाय के बगीचे तो बैंकों से ऋण ले सकते हैं। वास्तविक समस्या मध्यम प्रकार के और साधारण प्रकार की चाय के बगीचों के सम्बन्ध में है।

मध्यम प्रकार के बगीचों के मामले पर भारत रक्षित बैंक, चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों की एक समिति में विचार किया गया तथा इन बगीचों को सहायता देने के लिये एक योजना बनाई जा रही है और मुझे आशा है तत्सम्बन्धी निश्चय शीघ्र हो कर लिया जायेगा।

समस्या वस्तुतः सामान्य प्रकार के चाय के बगीचों के सम्बन्ध में है। उनकी फसल उनकी कार्यकारी पूंजी निकालने के लिये रेहन में रखी होती है। अतः वे पूंजी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतः मंत्रालय ऐसी योजना बना रही है कि इस प्रकार के बगीचों को सहायता दी जा सके। इस समस्या पर पुरजोर विचार किया जा रहा है।

यह सुझाव गलत है कि बगीचे नष्ट होने दिये जांय। ये हमें अच्छी तथा सामान्य दोनों किस्म की चाय का उत्पादन बढ़ाना है। तथा उसकी किस्म में सुधार करना है। अतः इन बगीचों को नष्ट नहीं होने दिया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि हम इन क्षेत्रों के विकास के लिये कोई योजना बनाने में सफल होंगे।

वित्त मंत्री ने अपने बजट में चाय उद्योग को कुछ वित्तीय रियायतें प्रदान की हैं। उर्वरकों इत्यादि के सम्बन्ध में हम भी उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। आशा है इस उद्योग का यथोचित विकास होगा।

हमारे देश में छोटे पैमाने के उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः यह उद्योग का लोकतंत्रीकरण है। इसलिये जब हम पिछड़े क्षेत्रों की बात कहते हैं या यह कहते हैं कि सरकार कुछ क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही है तो हमें ध्यान रखना चाहिये कि यह समस्या छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा ही हल हो सकती है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है, उनकी स्थापना वहीं की जा सकती है जहां कोयला या बिजली उपलब्ध होती है। अतः उन क्षेत्रों में केवल छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। वस्तुतः हमें छोटे पैमाने के उद्योगों की विकास सम्बन्धी नीति बदलनी होगी, हमें उनके उत्पादन में विशेष चिह्न लगाना चाहिये और फिर दूसरे क्षेत्र में उस विशेष वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाना चाहिये। छोटे पैमाने के उद्योगों में स्वदेशी संसाधन तथा विदेशी मुद्रा की बचत होती है। क्योंकि उनके

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

उपयोग की मशीनों का निर्माण हमारे देश में हो सकता है। उत्पादन अधिक होने से तत्सम्बन्धी संकट भी दूर हो जायेगा। अतः मेरा विचार है कि हम इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न कर सकते हैं।

हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या भी विकट है। छोटे पैमाने के उद्योग हमारे देश के नवयुवकों की सहायता कर सकते हैं। इस समय स्थिति यह है कि गांवों के नवयुवक मैट्रिक या इण्टर पास करने के बाद शहर चले जाते हैं और वहां नौकरी करना चाहते हैं। उन्हें वहां क्लर्कों या इसी प्रकार का अन्य कार्य मिल सकता है। वस्तुतः हम छोटे कस्बे और गांवों में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं इसलिये हमारी योजना यह है कि गांवों और खंड विकास क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की जाय। इस समय हम प्रयोग के रूप में २० ग्रामीण औद्योगिक बस्तियों की स्थापना कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम अपने नवयुवकों को वित्तीय सहायता और टैक्नीकल जानकारी देवें तो वे इन सुविधाओं का लाभ उठा कर गांवों में उद्योगों की स्थापना करेंगे। यदि यह योजना सफल रहेगी तो निस्सन्देह इसका व्यापक प्रभाव होगा और इससे हमारी जनता का पर्याप्त लाभ होगा।

मेरे विचार से नये उपक्रमी के समक्ष अधिक कठिनाइयां नहीं आनी चाहियें। उसे यह ज्ञात होना चाहिये कि किन उद्योगों में विस्तार तथा विकास की गुंजायश है। उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि उसे वित्तीय सहायता कहां से मिलेगी तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त होगी। इसके अलावा उद्योग की स्थिति, वस्तुओं की बिक्री इत्यादि के सम्बन्ध में भी उसे पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसे इस सम्बन्ध में यथोचित जानकारी देवें जिससे उसे अपने क्षेत्र में पर्याप्त प्रोत्साहन मिले।

गृह-उद्योगों का अपना अलग महत्व है। तथापि उन्हें अपनी टेकनीकों के सुधार के सम्बन्ध में स्वयं प्रयत्न करना चाहिये। खादी आयोग तथा योजना आयोग एक ऐसी योजना बना रहा है जिससे कि गृह उद्योगों में लगा हुआ व्यक्ति ६० रु० से १०० रुपये तक कमा सके। वस्तुतः इस सम्बन्ध में एक सुचारु योजना तैयार हो चुकी है तथापि अभी योजना आयोग ने उस योजना की जांच नहीं की है। तत्पश्चात् उस पर खादी कमीशन और हमारा मंत्रालय विचार करेगा।

तथापि यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इससे हमें आंशिक काम मिलता है। भारी उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा गृह उद्योगों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिये। भारी उद्योग कभी-कभी अम्बर चर्खा या बुनाई चर्खा की आलोचना करते हैं। तथापि अम्बर चर्खे की बड़ी प्रगति हो रही है। इसके दो पहलू हैं। पहिला ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों की आय में वृद्धि होनी चाहिये दूसरे इन से आंशिक रोजगार मिलना चाहिये। यदि एक किसान इससे १५ या २० रु० माहवार कमा सकता है तो उस के लिये यही बहुत फायदा है। यदि गृह उद्योगों से और अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सके तो मैं खादी आयोग को आश्वासन देता हूं कि उनकी ऐसी योजना को यथोचित वित्तीय सहायता दी जायेगी।

अब मैं हथकरघा वस्त्र निर्यात के विषय पर आता हूं। श्री अजित सिंह सरहदी ने कहा था कि कृषि सम्बन्धी औजार और मशीनों के उत्पादन में कमी हुई है तथापि जो प्रतिवेदन परिचालित किया गया है उसको देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है।

श्री अजित सिंह सरहदी ने मोजे तथा बनियान बुनने वाले उद्योगों के संकट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है उन्हें भी बाइसिकिल उद्योग की तरह एक संघ बना लेना चाहिये। यदि उद्योग ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। हम इसका स्वागत करेंगे और उन्हें यथोचित प्रोत्साहन देंगे। इस सम्बन्ध में दो एक दिन में लुधियाना से उक्त उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है अतः मैं इस सम्बन्ध में अधिक विस्तारपूर्वक नहीं कहना चाहता हूं।

अब मैं निर्यात को लेता हूं । यदि हम १९५७ और १९५८ के पहिले छः मशीनों में हुए निर्यात की तुलना करेंगे तो ज्ञात होगा कि निर्यात की मात्रा में काफी कमी आई है । पहिले कुछ महीनों में स्थिति वास्तव में विषम रही थी लेकिन तत्पश्चात् स्थिति में सुधार हुआ । १९५५ और १९५७ के आंकड़ों की तुलना करने पर ज्ञात होगा कि निर्यात में ३७ करोड़ की कमी हुई है । तथापि वर्ष के पिछले ४ महीनों में निर्यात बढ़ा है । सितम्बर में निर्यात की औसत राशि ५८ करोड़ थी, जनवरी में उसमें और भी वृद्धि हो गई है । गर्मियों में निर्यात की मात्रा कम हो जाती है । अतः मैं नहीं कह सकता कि अगले कुछ महीनों में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति रहेगी । मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि हम निर्यात में तत्काल वृद्धि करने में समर्थ होंगे तथापि हमें इस सम्बन्ध में एक दम निराश भी नहीं होना चाहिये ?

हम निर्यात की वृद्धि के लिये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय हमारी पर्याप्त सहायता कर रहा है । उन्होंने कई चीजों तथा वनस्पति तैल, तिलहन, खली, मैंगनीज अयस्क इत्यादि पर निर्यात शुल्क हटा दिया है । उन्होंने कच्ची रूई तथा चाय इत्यादि पर निर्यात शुल्क कम कर दिया है । जहाज तथा रेल भाड़े इत्यादि में भी कुछ कमी हुई है, तथापि यह रियायत संतोषजनक नहीं है इसलिये हम इस सम्बन्ध में विदेशो जहाजो कम्पनियों और रेलवे मंत्रालय से लिखा पढ़ी कर रहे हैं ।

हमने निर्यात संवर्द्धन समितियों तथा वस्तु बोर्डों से अपनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि कहा है । अभी तक इन बोर्डों का काम देश में उत्पादन बढ़ाना था अब उन्हें उन वस्तुओं के निर्यात का काम भी सौंप दिया गया है । मैं चाहता हूं कि निर्यात संवर्द्धन समितियां या बोर्ड प्रत्येक देश के लिये उन वस्तुओं के निर्यात की मात्रा का एक विशेष लक्ष्य निश्चित करें । तत्पश्चात् उसे विभिन्न निर्यातकर्त्ताओं के बीच बांट देवें और प्रत्येक निर्यातकर्त्ता से भी उस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य निश्चित करने तथा वस्तुओं की किस्म तथा विवाद इत्यादि के ध्यान को रखते हुए योजना बनाने को कहें । तत्पश्चात् उन सुविधाओं का समेकित विवरण बनायें जो कि उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक है । तत्पश्चात् उसके लिये सरकार से सहायता मांगे ।

एक या दो निर्यात संवर्द्धन समितियों ने ऐसा किया है । अतः मैं अन्य निर्यात समितियों को भी यह सलाह दूंगा कि वे भी ऐसा ही करें ।

हमने अभी हाल व्यापारिक समझौतों की रूपरेखा में जो फेर बदल करने का प्रयत्न किया है उससे भी हमें सहायता मिलेगी । पूर्वी, पश्चिमी तथा मध्य पूर्व के एशियाई देशों के साथ हमारा व्यापार घाटे में रहता था । अब हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब इन व्यापारिक संधियों का नवीकरण किया जाय तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि हमारा घाटा लाभ में बदल जाय ।

अब तक हम उन देशों से आयात ज्यादा कर रहे थे निर्यात कम । कुछ देशों के सम्बन्ध में हमारा प्रयोजन सफल हुआ है । पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमने जो समझौते किये हैं उनसे हमें और भी सहायता मिलेगी । तथापि अब भी परम्परागत निर्यात की चीजें अपना महत्व रखती हैं, यथा कपड़े, चाय जूट और तिलहन इत्यादि । यद्यपि हम अन्य चीजों का भी निर्यात करने लगे हैं तथापि हम अभी उन चीजों से पर्याप्त विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं कर सके हैं । अतः हम इन वस्तुओं की निर्यात की वृद्धि का उपाय करना है । हमारा देश अब भी कृषि वस्तुओं अर्थात् तिलहन, चाय और कहवा इत्यादि का सबसे बड़ा निर्यातकर्त्ता देश है । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका उत्पादन बढ़ाना है । जब तक हम इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे हम इन्हें सस्ते और उचित दरों पर बाहर भेजने में समर्थ नहीं होंगे ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

अभी हाल मैंने इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा है। निस्सन्देह खाद्यान्नों का उत्पादन महत्वपूर्ण है। तथापि हमें खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ नकद फस्लों का भी उत्पादन बढ़ाना चाहिये। उत्पादन बढ़ने से देश में उनकी कीमतों में वृद्धि नहीं होने पायेगी। जिसका फल यह होगा कि हम विदेशों को सस्ती कीमत पर ये वस्तुओं को भेजने में सफल हो सकेंगे। आजकल यह स्थिति है कि हम जिस चीज का निर्यात करते हैं उस वस्तु का मूल्य देश के अन्दर तुरन्त बढ़ जाता है। उत्पादन बढ़ने से कीमतों में वृद्धि नहीं होने पायेगी।

अमेरिका के साथ हमारा वस्तु विनिमय सम्बन्धी समझौता पूर्ण हो गया है। इससे हम मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने में सफल होंगे। लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हुई है। १९५५ में हमने १५ लाख टन लौ अयस्क का निर्यात किया था, जुलाई १९५८ से यह कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा ले लिया गया। जुलाई १९५८ से १९५९ के प्रारम्भ तक २७ लाख टन का निर्यात किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह मात्रा ३० लाख टन तक पहुंच जायेगी। यह कहना भी गलत है कि लौह अयस्क के निर्यात की वृद्धि से मैंगनीज अयस्क के निर्यात को धक्का लगा है। वस्तुतः लौह अयस्क दूसरे देशों को जाता है मैंगनीज अयस्क दूसरे देशों को जाता है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमारे व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। १९५७ में हमारे व्यापार सन्तुलन में ४१९ करोड़ का घाटा था। आज यह कमी केवल ३०० करोड़ है। इसका श्रेय मन्त्रालय को ही दिया जाना चाहिये। मेरे कथन का यह आशय कदापि नहीं है कि हम सदैव आयात में ही कटौती करते जाना चाहिये, इसके साथ-साथ हमें अपने देश में उत्पादन की वृद्धि करनी चाहिये। हम इस दिशा में पर्याप्त प्रगति कर रहे हैं। निर्यात में सुधार करने के तीन ही तरीके हैं। पहिला निर्यात के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देना। इस ओर हम काफी प्रयत्नशील हैं। तथापि कभी-कभी इस दिशा में कुछ कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं उदाहरणार्थ पाकिस्तान में भारत से भी अधिक रियायत दे दी हैं उन्होंने अभी हाल घोषणा की है कि वह केवल २५ प्रतिशत मुद्रा रखा करेंगे। इससे वे जिस देश से जो सामान चाहें मंगा सकते हैं। हम, जबकि अपने आयात पर काफी कटौती कर रहे हैं तो हमारे लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। तथापि आयात की कटौती के सम्बन्ध में देश के उद्योग और वाणिज्य ने हमें पूरा-पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। पाकिस्तान द्वारा दी गयी रियायतें देख कर हमारे कपड़े के व्यापारी हतोत्साह हो गये हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने यह रियायतें दी हैं अतः हमें भी यह रियायत देनी चाहियें अन्यथा हमारा निर्यात समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार के रवैये से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तथापि हम दूसरे प्रकार की रियायतें देने को हमेशा तैयार हैं यदि उन रियायतों से कुछ लाभ हो।

दूसरा तरीका जिसका श्री कृष्ण स्वामी ने सुझाव दिया है वह यह है कि उद्योग स्वयं अपने पर एक प्रकार का उपकर लगाये और इस प्रकार निर्यात किये जाने वाले माल से होने वाले घाटे की पूर्ति करें। मैंने इस विचार का सदैव समर्थन किया है। तथापि कुछ बड़े उद्योगों ने इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार नहीं किया है। केवल बाइसिकल निर्यातकर्त्ताओं ने एक निर्यात संघ बना लिया है। उन्होंने प्रत्येक साइकिल पर १० रु० उपकर लगाया है जिससे उनको प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख रुपयों की आय होगी। इस राशि का वे निर्यात की जाने वाली साइकिलों में उपयोग करेंगे। यह योजना अन्य उद्योगों द्वारा भी अपनायी जा सकती है। पंखा निर्माता भी एक एसी ही योजना बनाने की सोच रहे हैं। यदि सभी उद्योग ऐसी योजना बनायें तो उससे देश तथा उद्योग दोनों को ही लाभ हो सकता है।

यदि उक्त योजनायें नहीं अपनायी जायेंगी तो अनिवार्य निर्यात करना होगा। मैं इस संबंध में अभी विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि पिछले दो तीन महीनों में निर्यात के संबंध में काफी पूछताछ की गई है जिससे ज्ञात होता है कि उपक्रमियों में निर्यात करने की और पर्याप्त

ध्यान है। इसलिये मैं इस संबंध में निराशावादी नहीं हूं। स्वेच्छा से किये गये प्रयत्न सदैव अधिक अच्छे होते हैं। तथापि जब हमारे सामने और कोई चारा नहीं रहेगा तो हम संसद से इस बात के विधान की स्वीकृति लेंगे कि उत्पादन का एक विशेष प्रतिशत निर्यात करना अनिवार्य हो। तथापि अनिवार्य करने संबंधी नियम बनाने से हमारे विदेशी खरीदारों के मन में यह संदेह हो सकता है कि यह माल घटिया किस्म का होगा। तथापि मैं व्यापारियों को यह बता देना चाहता हूं कि जब निर्यात अनिवार्य किया जायेगा तो उसके साथ ही भेजे जाने के पूर्व उनकी जांच इत्यादि भी अनिवार्य होगी। जिससे माल की किस्म और स्तर में किसी प्रकार की गिरावट न होने पावे।

मुझे पूरी आशा है कि इस संबंध में हमें निर्यात संवर्द्धन समितियों और वस्तु बोर्डों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। निस्संदेह यह नीति दीर्घ कालीन है। इस संबंध में काफी प्रचार इत्यादि करने की आवश्यकता है। हम इस संबंध में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं तथा वस्तु बोर्डों और निर्यात संवर्द्धन बोर्डों द्वारा आवश्यक बाजार गवेषणा इत्यादि भी किया जा रहा है। वे अपने प्रतिनिधि मंडलों को भेज कर आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। इस संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ का प्रतिवेदन देखा जा सकता है। प्रतिनिधि मंडल ने बाजार का अनुसंधान करने के पश्चात् बहुत अच्छी और लाभदायक प्रतिवेदन तैयार किया है। सरकार भी इस ओर प्रयत्नशील है।

अब में राज्य व्यापार निगम को लेता हूं। विदेशी व्यापार के महानिदेशक के लिये अपने विभाग के भारी काम के अलावा इसका काम भी देखना संभव नहीं है। तथापि मेरा विचार एक योग्य गैर-सरकारी व्यक्ति को राज्य व्यापार निगम का अध्यक्ष बनाना है। राज्य व्यापार निगम की ऐसी स्थिति है कि गैर-सरकारी क्षत्र, विरोधी पक्ष तथा सरकारी पक्ष के सदस्य भी सभी उसके कार्यों की अलोचना करते हैं। इसलिये उसके अध्यक्ष का चुनाव करने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं तथा हम इस संस्था के लिये एक पूरे समय काम करने वाले अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे।

अब मैं समवाय विधि प्रशासन पर आता हूं। उक्त प्रशासन कई कम्पनियों के संबंध में काम कर रहा है इस लिये इसका काम बहुत कठिन है। कुल कम्पनियों की संख्या २८,००० है। प्रबन्धक कम्पनियों की संख्या ५००० और प्रबन्धक एजेन्सियों की संख्या ४००० है। इसलिये समवाय विधि प्रशासन के लिये प्रत्येक कम्पनी के हर मामले की ओर ध्यान देना असंभव है। तथापि उन्होंने उनके हिसाब किताब और संतुलन पत्र इत्यादि की जांच की है तथा उन्हें तालिका वद्ध किया है, और कई मामलों में कार्यवाही भी की है। इस अधिनियम बनने के बाद से अंशधारियों में काफी चेतना आ गई है। अब वे अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हो गये हैं और यह देखते रहते हैं कि कम्पनी में कोई घाटा या कोई और गोलमाल इत्यादि न होने पावे। मुझे कुछ कम्पनियों के संबंध में उनके अंशधारियों के अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। पहिले ऐसा बहुत कम होता था। लेकिन अब स्वयं अंशधारी लोग ही इस बारे में समवाय विधि प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं। श्री मोरारका ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि समवाय विधि प्रशासन में इस समय कई मामले निलम्बित पड़े हुए हैं। १७ मामलों पर पुरानी विधि के अनुसार जांच के लिये आदेश दिये गये थे। इस अधिनियम के अनुसार १६ नये मामले और लिये गये हैं। इनमें केवल ५ मामलों को छोड़ कर बाकी सब मामलों पर कार्यवाही हो चुकी है। इनमें से कुछ मामलों में कम्पनी के कार्य-कर्त्ताओं के कारण विलम्ब हुआ। वे समय पर अपने कागज-पत्र या संतुलन-पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं करते हैं। वे निरीक्षकों के सामने गवाह के रूप में पेश नहीं होना चाहते हैं। इसलिये अब हम पूरे समय काम करने वाले नये निरीक्षकों की नियुक्ति करने का विचार कर रहे हैं। अभी

तक अधीकृत लेखापालों को निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। नये निरीक्षकों की नियुक्ति से हमारे कार्य में शीघ्रता होगी। तथापि उन की नियुक्ति से हमारे व्यय में वृद्धि नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हम वर्तमान निरीक्षकों को काफी अधिक वेतन दे रहे हैं।

समवाय विधि बनाते समय तत्कालीन विधि मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि इसके उपबन्धों की त्रुटियों को दूर किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये एक समिति की स्थापना की जायेगी। उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और अब विधि मंत्रालय उस के आधार पर विधि का निर्माण कर रहा है। उसका मसविदा शीघ्र बन कर तैयार हो जायेगा। मैं इसे इसी सत्र में प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि इसी सत्र में यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। इसी बीच हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि प्रबन्धक एजेन्सियों के संबंध में क्या किया जाना चाहिये।

श्री मोरारका ने कहा है कि सरकार ने अभी तक समवाय विधि अधिनियम के धारा ३२४ के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की है। हम इस ओर सक्रियता से विचार कर रहे हैं। तथापि उनका यह संदेह कि यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो वर्तमान कम्पनियों के कार्यसंचालन और वर्तमान प्रबन्धक एजेन्सियों के पुनर्नवीकरण में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी गलत है। हमने कम्पनियों से कह दिया है कि वे पुनर्नवीकरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निस्संदेह कुछ कम्पनियों के मामले निलंबित पड़े हैं। तथापि उनका निर्णय १५ अगस्त १९६० से पहिले हो जायेगा। जो समवाय उस तारीख से पहिले अपने आवेदन पत्र नहीं भेजेंगे उससे यह समझा जायेगा कि वे उन फर्मों या उपक्रमों में प्रबन्धक एजेंसी पद्धति नहीं रखना चाहते हैं। यदि वे यह पद्धति समाप्त करना चाहते हैं तो भी हम इसका स्वागत करेंगे। तथापि यदि वे इस पद्धति को जारी रखने के लिये, आवेदन पत्र देंगे तो उस पर उचित समय पर विचार कर लिया जायेगा।

मैं समवाय विधि प्रशासन की सलाहकार समिति को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। नये आवेदन पत्रों के संबंध में, चाहे वे नये प्रबन्धक एजेंट को नियुक्त करने के संबंध में हों, चाहे पुराने एजेंट की पुन:नियुक्ति के संबंध में, हमें चाहिये कि पारिश्रमिक तथा प्रबन्धक समवाय की अवधि के संबंध में कुछ सिद्धान्तों पर ध्यान दिया जाय। यदि प्रबन्धक एजेंट सर्वसाधारण का हित करने में समर्थ है और समवाय विधि प्रशासन के संगत उपबंधों के अनुसार योग्य तथा स्वस्थ है तो उसकी पुन: नियुक्त की जा सकती है। यह बात धारा ३२६ के उपबन्धों से भी स्पष्ट ज्ञात होती है।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि यदि प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं द्वारा दो मुख्य कार्य नहीं किये जा रहे हैं, तो उनके अधिकतम पाश्रिमिक को १० प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत किया जा सकता है। जहां औसत लाभ काफी रहता है वहा भी खंड पद्धति लागू करके पारिश्रमिक के सिद्धान्त को १० प्रतिशत से कम करना अनुचित नहीं होगा। मेरे विचार से इन बातों का कम्पनियों और अंशधारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

यह भी आवश्यक है कि उनकी पुर्ननियुक्ति के समय कों १० वर्ष से घटा कर कुछ कम कर दिया जाय। क्योंकि इस अधिनियम के अधीन प्रबन्धक निदेशक केवल ५ वर्ष के लिये नियुक्त हो सकते हैं। इसलिये प्रबन्धक अभिकर्त्ताओं के कार्यकाल की अवधि भी १० वर्ष से घटा कर ५ वर्ष कर देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। निसंदेह आयोग की सिफारिश से यह अवधि १० वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आयोग पारिश्रमिक तथा पुनर्नवीकरण की अवधि के संबंध में हमारे द्वारा दिया गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही मामलों पर विचार करेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : क्या ग्रामोद्योग भवन में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तें इत्यादि पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** उन मामलों पर कुछ समय पहिले विचार किया गया था मेरे विचार से उन मामलों का निपटारा कर लिया गया है। यदि कोई नई समस्या हो तो माननीय सदस्य को उसे मेरे ध्यान में लाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य किन कटौती प्रस्तावों को पृथक रूप से मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं ?

†**श्री नागी रेड्डी :** मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या २०२४ पर पृथक रूप से मत लिया जाय।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या १६८६ पर भी पृथक मत लिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १६८६ को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १६८६ मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मतविभाजन हुआ पक्ष में ३२, विपक्ष में १०६

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कटौती प्रस्ताव संख्या २०२४ पर आग्रह नहीं किया गया है। अतः मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	६७,७७,०००
२	उद्योग	२७,२२,३६,०००
३	नमक	६८,०७,०००
४	वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े	७४,४६,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और व्यय	२,५५,६०,०००
१०७	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	१४,८६,६०,०००

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या २१ से ३५ और ११२ से ११९ पर चर्चा करेगी । जो सदस्य इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे पन्द्रह मिनट के अन्दर अपने प्रस्तावों की संख्या सभा-पटल पर दे दें

वर्ष १९५९–६० के लिये वित्त मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	वित्त मंत्रालय	१,३५,७१,०००
२२	सीमा-शुल्क .	३,६३,५२,०००
२३	संघ उत्पादन शुल्क .	७,४१,७९,०००
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर	५,१७,४०,०००
२५	अफीम	३६,०१,०००
२६	मुद्रांक .	२,५५,५२,०००
२७	लेखा-परीक्षा	९,६९,८९,०००
२८	चल-मुद्रा	३,५७,७१,०००
२९	टकसाल . . .	५,३९,३६,०००
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति-वेतन .	२३,२३,०००
३१	अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति-वेतन . .	३,१३,७२,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	४०,३३,५५,०००
३३	योजना आयोग . . .	२,०८,८७,०००
३४	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१६,५७,०००
३५	विभाजन के पूर्व के भुगतान .	२०,०९,०००
११२	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय	१०,०८,०००
११३	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय	९२,५२,३१,०००
११४	टकसालों पर पूंजी व्यय . .	४४,५०,०००
११५	सेवा-निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य	४१,५७,०००
११६	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	५,०००
११७	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	५९,३५,७९,०००
११८	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . . .	१,९४,३३,२८,०००

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : वित्त मंत्रालय सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है परन्तु खेद है कि उसके कार्य में सुनियोजन और दूरदर्शिता का अभाव है । जो बजट पेश किया जाता है वह ठीक

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार सोच विचार करके नहीं किया जाता है । जितनी राशि किसी मंत्रालय के लिए रखी जाती है या तो वह खर्च नहीं हो पाती और या कम पड़ जाती है और अनुपूरक मांग उपस्थित करनी पड़ती है । वित्त मंत्रालय को चाहिए कि वह विभिन्न मंत्रालयों की मांगों की छानबीन करके यह देखे कि वह उतनी राशि को व्यय करने में समर्थ है या नहीं । वर्तमान प्रणाली में वित्त मंत्री ऐसा करने में असमर्थ हैं । सुनियोजित अर्थ व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिये । मंत्रालय जितना व्यय कर सके उतनी ही मांग प्रस्तुत की जानी चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो अनुपूरक मांग उपस्थित की जा सकती है ।

इसके बाद कराधान की नीति को ले लीजिए । कराधान के सम्बन्ध में भी मन्त्रालय की नीति सुनियोजित नहीं है । एक वित्त मंत्री कोई कर लगाता है और दूसरा आकर उसे खत्म कर देता है । १९४७ में पूंजी लाभ कर लगाया गया जो १९४९ में खत्म कर दिया गया । इसी प्रकार व्यापार लाभ कर १९४७ में लगाया गया और १९५० में खत्म कर दिया गया । यही नहीं आयकर के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ । एक वित्त मंत्री ने उसे ३००० रुपए से हटा कर ४२०० रुपये पर कर दिया । पर अगले वित्त मंत्री ने उसे फिर घटा कर ३००० रुपए कर दिया । इस प्रकार कराधान के सम्बन्ध में भी कोई आयोजन नहीं है, वह वित्त मंत्री की स्वेच्छा पर निर्भर है । नया वित्त मंत्री पुराने की बात काट कर या तो किसी कर को को खत्म कर देता है या किसी कर को फिर से लागू कर देता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन क्यों किए जाते हैं—इसका कारण वित्त मंत्री की पसन्द है अथवा बद्ध-हित व्यक्तियों का प्रभाव ? क्या कारण है कि नियोजित अर्थ व्यवस्था के आठवें वर्ष के प्रारम्भ हो जाने पर भी कोई उचित कराधान योजना देश के समक्ष नहीं रखी जा सकी है ?

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री का कार्य योजना के लिये संसाधन प्राप्त करना है । हमारे वित्त मंत्री सहायता प्राप्त करने के लिये विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं । मैं उनका ध्यान श्री मेथ्यू जे० कस्ट के लेख की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो १९५१–५४ में अमेरिकी सरकार के कानूनी सलाहकार रहे हैं । उन्होंने "भारत को अमेरिकी सहायता" शीर्षक लेख में कहा है कि भारत ने जो अनेक ऋण लिए हैं उनमें से बहुतों का पुनर्भुगतान तीसरी पंचवर्षीय योजना (१९६१–६६) में करना होगा । इन ऋणों की राशि इतनी अधिक है कि उनका समय पर भुगतान प्रायः असम्भव सा मालूम होता है । पता नहीं वित्त मंत्री इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे क्योंकि हमारी स्थिति तो बिल्कुल दिवालिए जैसी हो गई है ।

इसके बाद मैं मूल्यों की वृद्धि पर आता हूं । यदि ऋण पर उचित नियन्त्रण रखा जाता तो मूल्यों की वृद्धि को रोका जा सकता था । बैंकों द्वारा अभी भी सट्टे के लिये रुपया दिया जा रहा है भारत के रक्षित बैंक ने बैंकों को अनेक बार ऐसा न करने के लिये लिखा भी परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । मेरा निवेदन है कि कि बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर समुचित नियन्त्रण किया जाना चाहिए क्योंकि मूल्यों में वृद्धि उसी के कारण होती है । ये बैंक ही करापवंचन और विदेशी विनिमय नियन्त्रण विनियम के उल्लंघन में सहायक होते हैं । रक्षित बैंक का नियन्त्रण पर्याप्त नहीं है । मूंदड़ा और डालमिया जैसे प्रत्येक मामले में बैंकों की सहायता रहती है । इन बैंकों के पास १,५०० करोड़ रुपए हैं जो बहुत बड़ी राशि है । मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार करें—विशेषकर तीसरी योजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से क्योंकि उसके लिए विदेशी संसाधन अत्यधिक सीमित हैं ।

इसके साथ ही मैं सामान्य बीमे के प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध भी वित्त मंत्री से करूंगा क्योंकि उसे अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है । आज सामान्य बीमे की स्थिति यह है कि इस व्यापार का अन्त निकट है । बीमा अधिनियम के कारण बहुत सी विदेशी कम्पनियां अपनी शाखायें बन्द कर रही हैं । यदि सरकार इस व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दे तो न केवल इस उद्योग

को बचाया जा सकता है वरन् विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया जा सकता है। अन्यथा ये कम्पनियां ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही हैं जिसमें सरकार को भविष्य में उन्हें कुछ रियायतें मंजूर करने को बाध्य होना पड़ेगा।

इसके पश्चात् कर की वसूली के यंत्र का प्रश्न आता है। बहुत से लोग करापवंचन करते हैं। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? सरकार इस बात से भली भांति परिचित है कि करापवंचन हो रहा है परन्तु फिर भी वैसा करने वालों को दण्ड नहीं दिया जाता क्योंकि वे बड़े आदमी हैं जिनका सरकार पर प्रभाव है। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री के० के० शाह के विरुद्ध आयकर अधिकारी ने वसूली की कार्यवाही की तो उसे वैसा करने से रोक दिया गया। इसी प्रकार मद्रास के वर्तमान राज्यपाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई यद्यपि जब वह आसाम के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक बार भी आज का विवरण पत्र सरकार को नहीं भेजा था।

इतना ही नहीं, औद्योगिक वित्त निगम उन्हीं व्यक्तियों को ऋण मंजूर करता है जो इस प्रकार का अनैतिक कार्य करते हैं क्योंकि वे प्रभावशाली हैं। इस प्रकार प्रभावशाली व्यक्ति ही करापवंचन करते हैं। १० दिसम्बर, १९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर में यह बताया गया था कि आयकर की बकाया राशि १५४.६८ करोड़ रुपए है। यह राशि उन्हीं लोगों पर देय है जिन पर सरकार की कृपा दृष्टि है इसी लिये उसकी वसूली नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, यदि नीचे की श्रेणी के अधिकारी कोई कार्यवाही करने का प्रयत्न भी करते हैं तो ऊपर से उन्हें वैसा करने से मना कर दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर के फार्मों की छानबीन नहीं की जाती है। फार्म दफ्तरों में ढेर होते जाते हैं परन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण उनकी छानबीन नहीं हो पाती। यदि उनकी छानबीन की जाए तो आय बढ़ सकती है क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है।

यह कहा गया है कि प्रत्येक आय कर अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के कार्य का कोटा निश्चित है। प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित संख्या के मामलों का निपटारा करना होता है। परन्तु वास्तव में होता यह है कि अधिकारी किसी प्रकार यह गिनती पूरी करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति अपनी आय का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। उसकी आय इतनी नहीं है कि उस पर कर लगाया जा सके। परन्तु फिर भी उससे पिछले तीन वर्षों की आय का ब्यौरा मांगा जाएगा ताकि किसी तरह कोटे की संख्या पूरी हो जाए।

माननीय मंत्री इन दोषों को मानने से इंकार नहीं कर सकते क्योंकि वे सर्वथा स्पष्ट हैं। जहां तक करापवंचन का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि यदि मंत्री जी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों क्लर्कों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो करापवंचन बन्द हो सकता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उनकी मांगें पूरी की जायें उन्हें सन्तुष्ट रखा जाय।

बड़े बड़े अधिकारी तो बाहर जाकर उन्हीं लोगों के बंगलों में ठहरते हैं जिन पर कर लगाया जाना है इसलिये उनसे न्याय की आशा नहीं की जा सकती।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : क्या माननीय सदस्य ऐसे किसी अधिकारी का नाम बता सकते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : मैं नाम ही नहीं वरन् ठहरने का स्थान और तारीख भी आपको दूंगा।

इसके बाद मैं जीवन बीमे के प्रश्न को लूंगा। जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है, कर्मचारी बोनस के लिये लड़ रहे हैं। यदि माननीय मंत्री इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करें तो मुझे विश्वास है कि उसका हल किया जा सकता है।

जीवन बीमा निगम के सबसे प्रमुख कार्यकर्त्ता दफ्तर के बाहर काम करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी मांग पर भी विचार किया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रश्न पर आता हूं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की स्थिति पर विचार करें। सम्भव है आपको चावल, आटे और तरकारियों के भाव में वृद्धि की जानकारी न हो क्योंकि आप बाजार नहीं जाते होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि दूसरी अन्तरिम सहायता की मंजूरी के लिये इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से यह अपील करूंगा कि वह इन बातों का सन्तोषजनक उत्तर दें, केवल यह कह कर न टाल दें कि वे साम्यवादी दल की ओर से कही गई हैं। यदि कहीं गलतियां हैं तो उन्हें उनके सुधार का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मुझे दुख है कि मेरे पूर्ववक्ता ने यह सन्देह प्रकट किया कि हम अपने ऋणों का भुगतान कैसे कर सकेंगे। क्या माननीय सदस्य ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जब हमने अपने दायित्व को न पूरा किया हो ? माननीय वित्त मंत्री पहले कह चुके हैं कि हम अपने प्रत्येक ऋण का भुगतान करेंगे। कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि यह देश दिवालिया होने जा रहा है ? वास्तव में हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत दृढ़ सिद्ध हो चुकी है। हमने जो भी ऋण लिए हैं उन्हें विकास प्रयोजनों के लिये ही काम में लाया गया है। जिन लोगों ने यह ऋण दिये हैं उन्होंने हमारी योजनाओं को उचित मानते हुए ही वैसा किया है। हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। फसल भी इस वर्ष बहुत अच्छी हुई है। इसलिये हमारी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सन्देह की गुंजाइश ही नहीं है। विभिन्न उद्योगों की स्थापना से हमारे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

†**श्री प्रभात कार**: मैंने आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में वैसा नहीं कहा था। मेरा तात्पर्य केवल ऋणों के भुगतान से था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: यदि माननीय सदस्य देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि दिवालिएपन का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कहने से मेरे राष्ट्रीय सम्मान को आघात पहुंचता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। ऐसा कहने से देश में एक गलत वातावरण उत्पन्न होता है।

जहां तक असैनिक व्यय का संबंध है, यदि माननीय सदस्य वित्त मंत्रालय की मांगों को देखें तो ज्ञात होगा कि उसके व्यय में कितनी काट छांट की गई है। पृष्ठ ४ में यह दिया हुआ है कि संयुक्त-सचिवों के पद ८ से ६ कर दिए गए हैं, उप-सचिवों के पद १८ से १०, अवर-सचिवों के पद ३९ से २५ और सेक्शन अफसरों के पद ५९ से ३७ कर दिए गए हैं। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री को श्रेय दिया जाना चाहिए। छंटनी का कार्य बहुत कठिन होता है इसलिए वित्त मंत्री का यह कार्य अन्य मंत्रालयों का पथ-प्रदर्शन करेगा परन्तु वित्त मंत्री को इतने से ही आपने कार्य को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

समाप्ति नहीं समझ लेनी चाहिए वरन् अन्य मंत्रालयों में भी ऐसी कटौती कराने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब एक मंत्रालय में बचत हो सकती है तो दूसरों में भी उसकी संभावनाओं को पुष्टि हो जाती है जिस पर हम सदा जोर देते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री अन्य मंत्रालयों में भी व्यय कम करने के लिए कदम उठायेंगे।

मैं यह अनुभव करता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों की मांगों की चर्चा में सामान्य बातें ही अधिक कही जाती हैं, बचत की संभावना के संबंध में समुचित विचार नहीं किया जाता है। वास्तव में ऐसा कोई यन्त्र ही नहीं है जिसकी सहायता से संसद यह निर्णय कर सके कि कहां पर बचत की जा सकती है। मैंने पिछले वर्ष भी यह कहा था और इस वर्ष फिर उसे दुहराना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री का वित्तीय नियंत्रण वैसा नहीं है जैसा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में होना वांछनीय है। शासन में विकेन्द्रीकरण तो होना चाहिऐ परन्तु वित्तीय नियंत्रण रखना आवश्यक है। संसद की लोक लेखा समिति का कार्य तो शव-परीक्षा जैसा है क्योंकि वह तो २, ३ या ४ वर्ष बाद किसी विषय की जांच करती है। इसके अतिरिक्त उसके सुझावों पर मंत्रालय द्वारा समुचित ध्यान भी नहीं दिया जाता है। यही स्थिति नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में भी है। एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि हम वास्तव में बचत करना चाहते हैं तो संसद को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे उचित नियंत्रण किया जा सके। एक स्थायी वित्तीय समिति यह कार्य कर सकती है। जब तक ऐसी समिति नहीं है मैं चाहता हूं कि दो तीन छोटी-छोटी समितियां बना दी जायें जो मंत्रालयों की मांगों की परीक्षा करें और उनके संबंध में इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। ये समितियां मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठकर मांगों के औचित्य पर विचार कर सकती हैं और बचत की संभावनाओं का संकेत कर सकती हैं। फिर सभा उन पर विचार कर सकती है। अन्यथा हम जो चर्चा करते हैं वह निरर्थक है। अभी न वित्त मंत्री का नियंत्रण प्रभावी है और न लोक-लेखा समिति और इस सभा का नियंत्रण प्रभावी है। अब चूंकि हमारा व्यय बढ़ता जा रहा है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

वित्तीय नियंत्रण के संबंध में इतना कहने के पश्चात् अब मैं कुछ शब्द आयोजन के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं योजना आयोग तथा संसद और योजना आयोग तथा योजना मंत्री का संबंध अभी तक नहीं समझ सका हूं। योजना मंत्री की योजना आयोग में क्या स्थिति है? वह साधारण सदस्य हैं अथवा आयोग के प्रभारी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री योजना आयोग के सभापति हैं। फिर एक उप-सभापति हैं और कुछ सदस्य हैं। योजना मंत्री पदेन सदस्य हैं। सब मिल कर काम करते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जहां तक आयोजन का संबंध है हमारी तीसरी योजना लगभग १०,००० करोड़ रुपए की होगी। वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में उसके लिए उपबन्ध किया है। परन्तु इस संबंध में कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्रथम बात को वित्तीय नियंत्रण है जिसके बारे में मैं कह ही चुका हूं। अब मैं मितव्ययता की आवश्यकता पर जोर देना चाहता हूं। अधिकारियों को व्यय के संबंध में जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जितना व्यय किया जाए उसके बदले

†मूल अंग्रेजी में

में उतना ही कार्य भी हो। इसके लिए मेरे विचार से प्रशासकीय यंत्र का पुनर्गठन आवश्यक है। स्वयं योजना आयोग में नवजीवन का संचार किया जाना चाहिए। देश के योग्यतम में व्यक्तियों को उसमें स्थान दिया जाना चाहिए।

मंत्रिमंडल में भी परिवर्तन करना होगा। कृषि मंत्रालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय को एक में मिला देना अच्छा रहेगा। दोनों मंत्रालयों का कार्य ऐसा है कि उनका अलग रहना ठीक नहीं। एक में मिला देने से उनका कार्य अधिक अच्छा हो सकेगा। मेरे विचार से भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय का जो विभाजन किया गया है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। स्वस्थ प्रगति के लिए दोनों का एकीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त सेवाओं को गृह मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में स्थान्तरित किया जाना चाहिए। प्राय: सभी देशों में सेवायें ट्रेजरी के अन्तर्गत हैं। गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाना विदेशी शासन की देन है। इसके अतिरिक्त वर्तमान व्यवस्था में विलम्ब भी होता है क्योंकि प्रत्येक बात के लिए गृह मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय की स्वीकृति भी लेनी पड़ती हैं। इससे समस्त मंत्रालयों के कार्य में अड़चन होती है। नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने भी इस बात का अनेक बार संकेत किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेवाओं, सेवा शर्तों, वेतन आदि विषयों को वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। शासन में मितव्ययता की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है।

मैं वित्त मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं। जो हम ठीक नहीं समझते। एक सांख्यिकीय शाखा है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियंत्रण स्वीकार नहीं करती है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं यह बता देना चाहता हूं कि वह सांख्यिकीय शाखा नहीं वरन् सांख्यिक संस्था है जिसका लेखा परीक्षण नहीं हो रहा है। वह एक गैर-सरकारी निकाय है जिसको सरकार अनुदान देती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह सांख्यिकीय संस्था क्या है तथा उसका सरकार से क्या संबंध है? पहले तो यह कार्य प्रधान मंत्री के अन्तर्गत होता था। मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** इस वर्ष से वह ठेका प्रणाली के अन्तर्गत होने लगा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा इसलिये किया गया है कि संसद और नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पर्यालोकन से मुक्ति मिल जाय। पता नहीं वित्त मंत्री ऐसी बातें कैसे हो जाने देते हैं?

एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। सरकार अधिकारियों की संख्या बढ़ाती जाती है और काम उनके पास उतना नहीं होता। इससे शिथिलता उत्पन्न होती है। जब मैंने रेलवे बोर्ड के संबंध में प्रश्न किया तो रेलवे मंत्री ने बताया कि कार्य-विश्लेषण किया जा रहा है। बाद में उसका परिणाम सूचित किया गया कि कार्य कम है और कर्मचारी आवश्यकता से ज्यादा हैं। मैं इन कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए नहीं कहता परन्तु उनसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

और कुछ कार्य लिया जाना चाहिए। जब इसके संबंध में और प्रश्न किए गए तो बताया गया कि कार्य-विश्लेषण छोड़ दिया गया है। संभवत: कर्मचारियों की नाराज़गी के कारण ही ऐसा किया गया होगा। यह नीति ठीक नहीं कही जा सकती।

मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा और शासन को सुचारु बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। तीसरी योजना को सफल बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है।

श्री राम शंकर लाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस को डिमांड्स पर बोलने का अवसर दिया। और बातें कहने के पहले मैं इस मिनिस्ट्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट का नया तरीका निकाला है वह बड़ा सरल है और उसको समझने में काफ़ी आसानी मालूम होती है। प्लांड और नौन प्लांड खर्चे अलग-अलग दिखलाये गये हैं और उसके कारण बजट को समझने में बड़ी आसानी होगी। यह ज़रूर है कि हिन्दी में उसका पूरा संस्करण नहीं निकाला गया है लेकिन मुझ को उम्मीद है कि अगले साल उसका पूरा हिन्दी संस्करण निकाला जायगा। ज़ाहिर है कि हिन्दी को अगर हमें राष्ट्र और राज्य भाषा बनाना है तो हमें हिन्दी में सब काम करने होंगे।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस पत्र की ओर भी दिलाऊंगा जिसमें कि इस संसद् के ७० माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को भेजा है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे चूंकि अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं इसलिए कम से कम उनकी सहूलियत के लिए तो यह सारी चीज़ें हिन्दी में निकाली जानी ज़रूरी हैं।

एक एकोनामिक डिवीज़न बनाया है और उस एकोनामिक डिवीज़न से ७ लाख रुपये की बचत हुई है और वह हर मिनिस्ट्री में उसके काम को फैलाना चाहते हैं।

अभी मुझ से पहले जो माननीय मेम्बर बोले उन्होंने यह कहा कि एकोनामी के लिए इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाये लेकिन मेरे ख्याल में कमेटी को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक एकोनामिक डिवीज़न उन्होंने कायम कर दिया है तो उसके ज़रिए से जितनी भी सरकारी खर्चे में बचत सम्भव हो सके उतनी करनी चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्लानिंग कमिशन के खर्चे को यह ऐग्ज़ामिन नहीं कर सकता।

श्री राम शंकर लाल : हर मिनिस्ट्री में बचत करने के लिए एकोनामी डिवीज़न है। यहां का खर्चा मिनिस्ट्रीज़ के खर्चों से अलग थोड़े ही है। मिनिस्टर आफ़ पार्लियामेंटरी एफ़ेयर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट के सेक्रेटेरियट्स में अभी तक एकोनामी डिवीज़न कायम नहीं हुआ है लेकिन मेरे ख्याल में इसका दायरा उनकी तरफ़ भी बढ़ाना चाहिये। हमको

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

अपने प्लान के लिए जितना भी सम्भव हो पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि हम यह चाहते हैं कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा एकोनामी हो और लोग कम पैसों में अपना काम चलायें। इस सम्बन्ध में हमको स्वयं सब के सामने बचत करने की मिसाल रखनी होगी और अपने सब सरकारी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मुहकमों में जहां तक हो सके बचत करनी होगी और यह देखना होगा कि एक पाई भी ज्यादा खर्च न हो ।

इस मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह मिनिस्ट्री एक हैंडबुक निकालना चाहती है जिसमें कैप्टिलिस्ट स्ट्रक्चर, आडिट प्राविज़ंस, बजट डिटेल्स और कर्मशियल अंडरटेकिंग्स सम्बन्धी फीगर्स वगैरह होंगी । यह एक अच्छी बात है और इसको होना चाहिये ।

मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां तक इनकमटैक्स और वैल्थ टैक्स का सम्बन्ध है उसमें यह कोशिश की गई है कि जहां तक उन दिनों के रिटर्नस देखने का सवाल है उनको एक ही अफसर देखे । मैं समझता हूं कि यह सही चीज़ की गई है और टैक्स देने वालों के लिए यह एक अच्छी बात होगी क्योंकि दोनों के वास्ते एक ही अफ़सर रहने से जो उसका टैक्स करने का ऐंग्लि आफ विज़न होगा वह एक होगा और ऐसा होने से ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी ।

इनके अलावा मुझे दो, तीन बातें और कहनी हैं । पहली बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मकान ज्यादा से ज्यादा बनें । मकानों की हमारे देश में बड़ी कमी है लेकिन हम देखत हैं कि सीमेंट पर एक्साइज़ ड्यूटी २० रुपये टन से बढ़ा कर २४ रुपये टन कर दी गई है । अब एक तरफ़ तो हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मकान बनें और हमारी मकानों की कमी दूर हो और हम उसके लिए लोंस भी देते हैं और हर तरीके से मकान बनाने के काम को हम एनकरेज करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ़ हम यह देख रहे हैं कि मकान बनाने का सामान मंहगा होता जाता है बिल्डिंग मैटीरियल के दाम बढ़ते जाते हैं । यह दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरुद्ध पड़ती हैं और यह ठीक नहीं है । मेरे ख्याल में यह सीमेंट पर जो एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है इसको बढ़ाना नहीं चाहिये था और उसको कम कर देना चाहिये ।

खास बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे इस प्लान में और अगले प्लान में स्मोल सेविंग्स ड्राइव पर बहुत ज़ोर दिया गया है । इसी सिलसिले में अभी एस्टिमेट्स कमेटी ने जो कल अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने बतलाया है कि क्या-क्या ख़ामियां हैं और उनकी तरफ़ ध्यान दिलाया है । पहली बात तो उसने यह कही है कि स्मॉल सेविंग ड्राइव में सरकारी अफ़सर बहुत दखल देते है और यह सही बात है कि सरकारी अफ़सरों के दखल देने से यह हो सकता है कि कभी एक साल में या २ साल में कुछ ज्यादा पैसा क्लैक्ट हो जाये लेकिन अगर उससे आप बराबर प्लांस को सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा । आफ़िशिएल इंटरफ़ीएरेंस से कभी-कभी आप पैसा अधिक इकट्ठा कर लें लेकिन उससे आपके लिए अपने प्लांस को बराबर सप्लीमेंट करना मुमकिन नहीं होगा ।

दूसरी बात यह बताई गई है कि जो आपके एजेंट्स हैं वह कमिशन लेने के लिए अक्सर लोगों से मिल कर कौल्युज़न कर लेते हैं और लोगों से पैसा ज्यादा जमा करा देते हैं और फिर बाद में वह पैसा विदड्रा कर लिया जाता है । उसके लिए आपने यह कहा है कि कमिशन का रेट घटा है । इससे यह भी नतीजा हो सकता है कि इसका यह असर पड़े कि आगे चल कर उन लोगों को जो कि काम करते हैं उनको उतना उत्साह इस काम को करने का न रहे तो आपको यह भी देखना है ।

इस कमेटी ने दो, तीन सुझाव दिये हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण हैं । यह सुझाव दिया है कि हमें गांव पंचायतों, स्कूल मास्टरों और डाकखानों के जो सबपोस्ट मास्टर्स हैं उन के ज़रिए से हमको काम लेना चाहिये । उन्होंने यह भी सजेस्ट किया है कि ग्राम सेवकों से भी यह काम लिया जाये । अब अगर हमको थर्ड प्लान को सप्लीमेंट करना है तो यह करना होगा । हमें उसके लिए जो संगठन है उसको काफ़ी बढ़ाना होगा और वह गांव-गांव तक फैलाना होगा ।

[श्री राम शंकर लाल]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गांवों में अभी तक आमदनी का ज़रिया ज्यादातर खेती है। खेती की पैदावार पर वहां की आमदनी निर्भर करती है। अब जहां तक खेती की पैदावार का ताल्लुक़ है तो वह तो नेचर पर बहुत कुछ निर्भर करती है और कभी किसी साल फ़सल अच्छी हो सकती है तो किसी साल फ़सल खराब भी हो सकती है और उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। बम्पर क्रॉप होगी तो ज़ाहिर है कि आपको काफ़ी आमदनी होगी। अब पारसाल का जो एस्टिमेट लगाया गया था उसके अनुसार १०० करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान था जब कि ६६ करोड़ रुपये की ऐक्चुएली आमदनी हुई। अब इस साल बम्पर क्राप हुई है और उससे हमारे माननीय मंत्री ने यह अंदाज़ लगाया है कि ७५ करोड़ की आय हो सकेगी लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जैसी कि अब की पैदावारें है अगर उस पर ज़ोर दिया जायगा तो १०० करोड़ रुपये तक भी हम पहुंच सकते हैं।

अब जहां तक सिवारी शक्कर को ईंसेंटिव देने की बात है मैं ख़ासतौर से यह बात कहना चाहता हूं कि उसके लिए हमें टैक्स में रिआयत देनी चाहिये। अब स्माल सेविंग्स स्कीम क्लेक्शंस में आपने यह तय किया है कि एक शेयर प्रदेश को मिलेगा तो यह एक अच्छी चीज है और इससे प्रदेश वालों को हैल्प मिलेगी। आप यह डिक्लेयर कर दें कि जिस गांव से या जिस ज़िले से जितना पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसे का एक पोर्शन उसी ज़िले और गांव पर खर्च किया जायेगा। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था कर देने से जमा करने वालों को और गांव वालों को काफ़ी उत्साह मिलेगा और मेरा ख्याल है कि इससे आपकी आमदनी और बढ़ेगी।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस बजट में ३ लाख रुपये जो खंडसारी शक्कर से टैक्स की वसूली के तौर पर रक्खे गये हैं वह काफ़ी बड़ी रक़म है। खंडसारी शक्कर यह हमारी एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ग्रामोद्योग है और उसमें बहुत सारे आदमी लगे हुए हैं और खास कर हमारे प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में लाखों लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। इस में दो तरह के शक्कर बनाने वाले लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जो कि पावर के ज़रिए से शक्कर बनाते हैं क्रिस्टिल शुगर बनाते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो कि हाथ से सिवारी शक्कर बनाते हैं। यह कहा गया है कि सिवारी शक्कर वालों पर टैक्स नहीं लगेगा और जो शुगर पर टैक्स बढ़ाया गया है उसका उन पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन सवाल यह है कि जब आपके आफ़िसर्स जायेंगे, टैक्स क्लेक्टर्स जायेंगे तो वे लोग जो कि ऐक्चुएली पावर इस्तेमाल करते हैं वे इनको करप्ट करके यह लिखवा लेंगे कि यह लोग हाथ से शक्कर बनाते हैं और वे बेचारे जो कि हाथ से सिवारी शक्कर के बनाने वाले हैं वे अगर टैक्स क्लक्टर्स को खुश नहीं कर सकेंगे तो उनके लिए यह रिपोर्ट हो जायेगी कि यह पावर से शक्कर बनाते हैं और इससे तो भ्रष्चाटार ही फैलेगा। एक तो इससे करप्शन का बड़ा डर है और दूसरे इससे इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा है। तीसरी बात यह है कि आंकड़े देकर यह बतलाया गया है कि टैक्स लगने के बाद भी मुनाफे का कुछ मारजिन बचेगा। लेकिन जो लोग खंडसारी के काम में लगे हुए हैं उनके आंकड़ों के अनुसार बचत बहुत कम रहती है। तो इस को ध्यान में रख कर और रोजगार में लगे हुए लोगों की मुसीबत का ख्याल करके और इस बात का ख्याल करके कि क्लेक्शन में कितनी गड़बड़ी होगी और कितना भ्रष्टाचार फैलन का अन्देशा है, मैं अर्ज़ करूंगा कि इन लोगों को ज़रूर कोई रियायत दी जानी चाहिए, और अगर इस टैक्स के बिना काम चल सके तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए।

अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जहां तक अपील्स के डिसपोजल का सवाल है वह काम काफी तेज़ी से किया गया है।

१ अप्रैल सन् १९५६ को १,१४,६१५ अपीलें बाकी थीं, पर १ अप्रैल सन् १९५७ को १,०९,६३७ ही बाकी थीं, और १ दिसम्बर १९५८ को केवल ७५,०२६ अपीलें बाकी थीं। तो इससे प्रकट है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपील्स का डिसपोजल तो बहुत किया है। लेकिन जहां तक असेसमेंट का सवाल वह काम कम हुआ। आप देखें कि पहली दिसम्बर १९५८ को उनके पास असेसमेंट के ८,०४,६४८ केस बाकी रह गये थे और १ दिसम्बर १९५७ को ७,४९,११३ केसेज़ बाकी थे। इसके मानी यह हुए कि असेसमेंट में जल्दी नहीं हो रही है। असेसमेंट में जल्दी न होने से असेसीज़ को परेशानी होती है और दूसरे मेरा यह ख्याल है कि इससे इनकम टैक्स पर भी असर पड़ता है। तो ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि जिसमें यह असेसमेंट जल्दी से जल्दी हो सके।

वैल्थ टैक्स के बारे में इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसमें कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। और जो लोग यह टैक्स देने वाले हैं उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। पर मेरा कहना है कि इस तरह बार बार मौका देने से काम नहीं चल सकता। इसमें जल्दी करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मिनिस्ट्री की डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : उपाध्यक्ष महोदय आज हम योजना तथा वित्त विभागों पर विचार करने जा रहे हैं जो देश की अर्थ-व्यवस्था के आधार हैं। इन्हीं दोनों विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों पर देश की प्रगति निर्भर है। एक अमरीकी पर्यवेक श्री हैरीमैन ने कहा है कि भारत बड़ी कठिन परिस्थितियों में से गुज़र रहा है और जब तक समान रूप से प्रगति होती रहेगी तब तक तो ठीक है परन्तु यदि प्रगति में ज़रा भी शिथलता आ गई तो मामला बनते बनते बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय को बताना चाहता हूं कि स्थिति को समझकर दृढ़ता से आगे बढ़े और जनता को झूठे आश्वासन न दें।

आय-व्ययक को देखने पर पता लगता है कि हमने घाटे की अर्थ-व्यवस्था की है। मेरे विचार से साधारण नागरिक को इससे बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी। समवायों को १० करोड़ रुपये का उपहार दिया गया है जब कि अंशधारियों को जो लाभ मिलता था उससे भी वंचित कर दिया गया है। खांडसारी उद्योग जो एक कुटीर उद्योग है उस के बारे में प्रशुल्क आयोग ने भी बताया था कि इस आयोग को संरक्षण दिया जाना चाहिए। परन्तु इसके विपरीत इस पर कर लगाया जा रहा है। परिवहन की भी हालत अच्छी नहीं है परन्तु फिर भी डीज़ल आयल तथा टायरों पर कर लगाया जा रहा है। इससे यह कठिनाई होगी कि जो किसान अपनी वस्तुओं को शहर नहीं ला सकेंगे। मैं समझता हूं कि यदि अन्य किसी देश में योजना में इस प्रकार की गलतियाँ मिल जातीं तो वहां पर जांच करने के लिए उच्च शक्ति वाला आयोग नियुक्त कर दिया जाता परन्तु हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा मुख्य बातों को भुला दिया जाता है।

मैं एक बात यह भी बता देना चाहता हूं कि २१ वीं कांग्रेस में श्री ख्रुश्चेव ने रूस में कहा था कि वह एक नया आर्थिक युद्ध आरम्भ करना चाहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि आयात तथा निर्यात के मामलों में समाजवादी तथा पूंजीवादी विश्व में आर्थिक युद्ध होने वाला है। परन्तु बड़े दुख की बात है कि योजना आयोग अथवा वित्त मंत्रालय किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि योजना तथा वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे। यह बताने से मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विरोधी हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि अब योजना आयोग को यह निश्चित कर देना चाहिए कि इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में कम से कम एक थोड़ा सा भाग समाजवादी ढंग का हो जिसमें पूंजीवाद का कोई हाथ न हो।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री खाडिलकर]

अब मैं आपको बताता हूं कि सरकारी क्षेत्र में हमने क्या क्या कार्य किए हैं। हमने राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कोटे उद्योग निगम, हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स, इंडियन एक्सप्लोसिव, हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड, हिन्दुस्तान मशीनी औजार, नेशनल इंस्ट्रूमैंट्स, हिन्दुस्तान साल्ट, सिन्दरी कारखाना, नाहन ढलाई भट्टी, हिन्दुस्तान केबल्स, तथा निर्यात जोखिम बीमा निगम बनाये हैं जिनमें ३,२३१ लाख रुपये व्यय किए गए हैं। परन्तु यदि १९५९-६० के प्राक्कलित लाभों को देखें तो पता लगता है कि राज्य व्यापार निगम में लगभग १२ लाख रुपये, नेशनल इंस्ट्रूमेंट में २९ लाख रुपये, सिंदरी कारखाने में ८५ लाख रुपये मिलने की आशा है जबकि अन्य सभी संस्थाओं में कुछ भी मिलने की आशा नहीं है। और इसीलिये मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र का दीवाला निकल चुका है।

एक अर्थशास्त्री, प्रो० शिनोय ने जो कुछ कहा है वह संक्षेप में इस प्रकार है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने वाला तथा आयात पर नियन्त्रण रखने वाला आय-व्ययक बनाने से बड़े बड़े व्यापारी अधिक धनी होते जाते हैं तथा निर्धारित आय के व्यक्ति जैसे मजदूर, कर्मचारी पिसते जाते हैं। राष्ट्रीय आय का ३ से ४ प्रतिशत थोड़े संख्या वाले उद्योगपति जमा करते जाते हैं। इसलिये मूल्यों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करना ही इस पर काबू पाने का उपाय है।

मेरे मित्र श्री फीरोज गांधी ने व्यय के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूंगा। केवल इतना बताना चाहता हूं कि १९४८-४९ में प्रशासन पर १,६२५ लाख रुपये व्यय होते थे तथा १९५९-६० में ५,४५६ लाख रुपये रुपये व्यय हुए। मैं मानता हूं कि नयी विकास योजनाओं के कारण व्यय बढ़ा परन्तु मंत्रालय ने व्यय पर नियन्त्रण लगाने के सम्बन्ध में भी काम किए। मुझे पता लगा है कि मंत्रालय की मितव्ययता करने वाली व्यवस्था में केवल इतना ही किया जाता है कि एक निश्चित राशि निर्धारित कर ली जाती है कि इतना प्राक्कलित व्यय में से कम व्यय किया जायगा। मैं इतना करना पर्याप्त नहीं समझता हूं। मेरा सुझाव है कि रूस के समान एक राज्य नियन्त्रण मन्त्रालय बनाया जाना चाहिये जो अचानक दौरे करे और देखे कि नियुक्तियां उचित काम के लिये की गई हैं अथवा नहीं।

हमें बताया जाता है कि हमारे कर ठीक हैं तथा कर अपवंचन नहीं हो रहा है। परन्तु मेरा विचार है कि देहातों तथा नगरों सभी जगहों पर ऐसी धारणा फैलती जा रही है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् करों का अधिक अपवंचन हो रहा है। करदाता तथा सरकार के आपसी सम्बन्ध बड़े खराब हो गये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक करदाता को वर्षवार अपनी आय का एक कार्ड बनाना चाहिये जिससे शीघ्रता से कर लिया जा सके।

संसाधनों के बारे में हमें बताया जाता है कि अल्प-विकसित अर्थ-व्यवस्था वाले हमारे जैसे देश का विकास मुद्रास्फीति अथवा विदेशी मुद्रा के द्वारा ही हो सकता है परन्तु मेरा विचार है कि यदि हम संविधान में बताये गये उपायों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने को तैयार हों तो निश्चित रूप से अपने संसाधनों का उपयोग उठाने में सफल होंगे।

इंगलैण्ड की लेबर पार्टी के एक सदस्य तथा प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री ने १९ नवम्बर, १९५८ के न्यू स्टेट्समैन (लन्दन) में लिखा है कि भारत द्वारा अधिक मूल्यों के यंत्रों को विदेशों से खरीद कर दूसरी योजना को आगे बढ़ाने का जो सहारा लिया गया है इसीसे विदेशी मुद्रा का संकट उनके सामने आया और इसीलिये दूसरी योजना को उन्हें कम करना पड़ा तथा तीसरी योजना पर भी उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस आधार पर अपनी नीति का पुनः मूल्यांकन करें। मैं यह भी चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री भू-राजस्व को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करें, क्योंकि शहरों पर तो बहुत कर लग चुके हैं परन्तु देहातों पर गत ३० वर्षों से चला आ रहा कर ही लगा हुआ है।

अन्त में, मैं वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से यह कहना चाहता हूं कि यह दोनों जनता में इस प्रकार की भावना नहीं फैला पाये हैं कि विकास उनकी भलाई के लिये किया जारहा है। आज जनता में ऐसी भावना है कि इन सभी योजनाओं से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी आप दोनों पर ही है और इसलिये मेरी अपील है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करें और प्रशासन में इस प्रकार के परिवर्तन करें जिससे समस्त देश की विकास योजनाओं के लिये जनता में उत्साह पैदा हो।

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये--

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
२१	२५७	श्री स० म० बनर्जी .	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को लाभांश (बोनस) देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	२५८	श्री स० म० बनर्जी .	देश में समान बिक्री-कर रखने में असफलता।	१०० रुपये
२१	२६१	श्री स० म० बनर्जी .	वेतन आयोग के प्रतिवेदन को को प्रस्तुत करने में शीघ्रता करने मे असफलता।	१०० रुपये
२१	२०४६	श्री प्रभात कार .	दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब।	१०० रुपये
२१	२०४८	श्री प्रभात कार .	सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	२०४९	श्री प्रभात कार .	अल्प बचत योजना का प्रचार करने के ठीक तरीके निकालने में असफलता।	१०० रुपये
२१	२०५०	श्री प्रभात कार .	गैरसरकारी क्षेत्र में विदेशों द्वारा दी जाने वाली सहायता को संसद् के समक्ष रखने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	२०५१	श्री प्रभात कार .	बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	२०५२	श्री प्रभात कार	मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये ऋण पर नियन्त्रण रखने में असफलता।	१०० रुपये
२१	२०५३	श्री प्रभात कार	खाद्यान्नों पर अग्रिम धन देने वाले बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	१०० रुपये
२१	२०५४	श्री प्रभात कार	स्टॉक एक्सचेंज के सट्टेबाजों को बैंक से अग्रिम धन देने पर रोक लगाने में असफलता।	१०० रुपये
२१	२०५६	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर कर्मचारियों के व्यक्तिगत अभ्यावदनों को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	२०५७	श्री त० ब० विट्ठल राव	सभी नगरों में आय-कर कर्मचारियों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	२०५८	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाने में विलम्ब।	१०० रुपये
२१	२०५९	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर विभाग के नान-गजेटेड कर्मचारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने के नियम।	१०० रुपये
२१	२०६०	श्री त० ब० विट्ठलराव	सभी राज्यों के आय-कर कर्मचारियों के संगठनों तथा संघों के कार्यकर्त्ताओं को सुविधायें देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
२१	२०६१	श्री त० ब० विट्ठलराव	केरल के आय-कर आयुक्त के मुख्य कार्यालय की केरल राज्य में ही स्थापना।	१०० रुपये
२१	२०६२	श्री त० ब० विट्ठल राव	आय-कर विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों तथा नोटिस देने वालों को बैठने की सुविधा।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	२०६३	श्री त० ब० विट्ठलराव	नये-करों की क्रियान्विति के कारण काम बढ़ जाने से कर्मचारियों की अपर्याप्तता।	१०० रुपये
२१	२०६४	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर विभाग के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी का अनियमित रूप से दिया जाना।	१०० रुपये
२१	२०६५	श्री प्रभात कार	. आय-व्ययक में आयोजन की कमी	१०० रुपये
२१	२०६६	श्री प्रभात कार	. विभिन्न मंत्रालयों को विभिन्न शीर्षों के अधीन विशाल अधिक्य ।	१०० रुपये
२१	२०६७	श्री प्रभात कार	. अखिल भारतीय ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण की सिफारिशों को लागू करने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	२०६८	श्री प्रभात कार	. कृषि ऋण की बुरी दशा।	१०० रुपये
२१	२०६९	श्री प्रभात कार	. भारत के रिज़र्व बैंक के कृषि ऋण विभाग का कार्यवहन	१०० रुपये
२१	२०७०	श्री प्रभात कार	. किसानों को पर्याप्त ऋण देने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	२०७१	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम का कार्यवहन	१०० रुपये
२१	२०७२	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२०७३	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम के क्षेत्र कर्मचारियों के विवाद निबटाने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	२०७४	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लाभांश विवाद निबटाने में असफलता ।	१०० रुपये
२१	२०७५	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति ।	१०० रुपये
२१	२०७६	श्री प्रभात कार	. जीवन बीमा निगम की जनता पालिसी की असफलता ।	१०० रुपये
२१	२०७७	श्री प्रभात कार	. विनिमय नियंत्रण के बारे में रिज़र्व बैंक की नीति ।	१०० रुपये
२१	२०७८	श्री प्रभात कार	. ग्राम्य ऋण तथा सहकारी समितियों के बारे में रिज़र्व बैंक का कार्यवहन ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	२०७९	श्री प्रभात कार	. विनिमय नियंत्रण नियमों को कठोर बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२०८०	श्री प्रभात कार	. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम धन पर रिजर्व बैंक द्वारा पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२०८१	श्री प्रभात कार	. छोटे बैंकों के विलीनीकरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२०८२	श्री प्रभात कार	. भारत के रिज़र्व बैंक की लाइसेंस देने की नीति ।	१०० रुपये
२१	२०८३	श्री प्रभात कार	. बैंकों का राष्ट्रीयकरण . .	१०० रुपये
२१	२०८४	श्री प्रभात कार	. सामान्य बीमा समवायों का कार्यवहन ।	१०० रुपये
२१	२०८५	श्री प्रभात कार	. सामान्य बीमा समवायों पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२०८६	श्री प्रभात कार	. सामान्य बीमा व्यापार में कदाचार को रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२०८७	श्री प्रभात कार	. सामान्य बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण ।	१०० रुपये
२१	२१००	श्री प्रभात कार	. औद्योगिक वित्त निगम का कार्यवहन ।	१०० रुपये
२१	२१०१	श्री प्रभात कार	. औद्योगिक वित्त निगम का कार्यवहन ।	१०० रुपये
२१	२१०२	श्री प्रभात कार	. भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम का कार्यवहन ।	१०० रुपये
२१	२१०३	श्री प्रभात कार	. री-फाइनेन्स कारपोरेशन का कार्यवहन ।	१०० रुपये
२१	२१०४	श्री प्रभात कार	. विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जल्दी जल्दी अनुपूरक मांगों का प्रस्तुत किया जाना ।	१०० रुपये
२१	२११७	श्री त० ब० विट्ठलराव	नगरों में मंत्रालयों के अधीन कार्यालय के लिये अपर्याप्त भवन ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	२११८	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर कार्यालय में गन्दगी	१०० रुपये
२१	२११९	श्री त० ब० विट्ठलराव	विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को पदोन्नति देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२१२०	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर विभाग में युद्ध-सेवा के कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा उनके वेतन को निश्चित करना ।	१०० रुपये
२१	२१२१	श्री त० ब० विट्ठलराव	रियासतों के भूतपूर्व कर्मचारियों के वेतन निश्चित करना तथा उनकी वरिष्ठता ।	१०० रुपये
२१	२१२२	श्री त० ब० विट्ठलराव	पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर के आय-कर आयुक्त के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करना ।	१०० रुपये
२१	२१२३	श्री त० ब० विट्ठलराव	निर्धारण अभिलेखों (असेसमेन्ट रिकार्ड) के लिए अपर्याप्त स्टेशनरी तथा फर्नीचर का दिया जाना ।	१०० रुपये
२१	२१२४	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर विभाग की विभागीय परीक्षाओं के लिए निर्धारित नियम ।	१०० रुपयों
२१	२१२५	श्री त० ब० विट्ठलराव	आय-कर विभाग में भरती तथा पदोन्नति ।	१०० रुपये
२१	२१२६	श्री त० ब० विट्ठलराव	पंजाब, जम्मू, तथा काश्मीर के आय कर आयुक्तों को शिमला से अमृतसर ले जाना ।	१०० रुपये
२१	२१२७	श्री स० म० बनर्जी	अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२१	२१२८	श्री स० म० बनर्जी	रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२१	२१२९	श्री स० म० बनर्जी	. जीवन बीमा निगम के अधीन क्षेत्र पदाधिकारियों का श्रेणीकरण	१०० रुपये
२१	२१३०	श्री स० म० बनर्जी	. आय-कर बकाया की उगाही	१०० रुपये
२१	२१३१	श्री स० म० बनर्जी	. वेतन आयोग के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब ।	१०० रुपये
२१	२१३२	श्री स० म० बनर्जी	. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को लाभांशों का भुगतान ।	१०० रुपये
२१	२१३३	श्री स० म० बनर्जी	. अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर .	१०० रुपये
२१	२१३४	श्री स० म० बनर्जी	. बिक्री कर को समान आधार पर लागू करना ।	१०० रुपये
२१	२१३५	श्री स० म० बनर्जी	. कर अपवंचन बढ़ना .	१०० रुपये
२२	२०८८	श्री प्रभात कार	. सोने का तस्कर व्यापार रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
२२	२१११	श्री प्रभात कार	. सीमान्त पर सीमा शुल्क का अपवंचन रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
२३	३९९	श्री सुगन्धि .	. बीजापुर जिले में शुल्क इकट्ठा करने के लिये कार्य कुशल कर्मचारी-व्यवस्था का अभाव	१०० रुपये
२४	२०८९	श्री प्रभात कार	. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का कार्य-वहन ।	१०० रुपये
२४	२०९०	श्री प्रभात कार	. सर्व साधारण को गरीबी का ध्यान रखते हुए कर नीति में परिवर्तन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२४	२०९१	श्री प्रभात कार	. कर की उगाही की व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२४	२०९२	श्री प्रभात कार	. कर उगाहने की व्यवस्था में में खराबियां ।	१०० रुपये
२४	२०९३	श्री प्रभात कार	. आय कर जांच आयोग द्वारा निर्धारित आय-कर उगाहने में असफलता ।	१०० रुपये
२४	२०९४	श्री प्रभात कार	. आय-कर की बढ़ती हुई बकाया	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२४	२०९५	श्री प्रभात कार	. कर अपवंचन तथा कर कम देने के बारे में कोई कार्यवाही करने में असफलता ।	१०० रुपये
२४	२०९६	श्री प्रभात कार	. विभाग में अनियमितताओं को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
२४	२०९७	श्री प्रभात कार	. निर्धारण तथा अपील के मामलों को निबटाने में विलम्ब ।	१०० रुपये
२४	२०९८	श्री प्रभात कार	. कर अपवंच कों का पता लगाने के लिए स्थानीय सलाहकार के संस्थाओं का सहयोग पाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२४	२०९९	श्री प्रभात कार	. कर अपवंचकों के लिए प्रभावपूर्ण दण्ड देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
२५	२११३	श्री प्रभात कार	. कलकत्ते के अफीम के अड्डों को बन्द करने में असफलता ।	१०० रुपये
३०	२११४	श्री प्रभात कार	. राजाओं के परिवारों को राजनैतिक पेन्शन देना बन्द करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३०	२११५	श्री प्रभात कार	. जीवन यापन का व्यय बढ़ जाने के अनुरूप पेन्शन बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३०	२११६	श्री प्रभात कार	. कम वेतन पाने वालों को सहायता देने में असफलता ।	१०० रुपये
३३	२१०५	श्री प्रभात कार	. अगली योजना बनाने के लिए विस्तृत आंकड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३३	२१०६	श्री प्रभात कार	. विभिन्न परियोजनाओं में धन का अपव्यय रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
३३	२१०७	श्री प्रभात कार	. विभिन्न राज्यों के योजना लक्ष्यों को पूरा करने में असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३३	२१०८	श्री प्रभात कार	योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित कार्य की आवश्यकता।	१०० रुपये
३३	२१०९	श्री प्रभात कार	योजना लक्ष्यों को क्रियान्विति ।	१०० रुपये
३३	२११०	श्री प्रभात कार	राज्यों में परियोजनाओं के कार्य-वहन का अधीकरण करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं कि आपने मेरा नाम पुकारा, तो मैं यहां नहीं थी । मेरा ट्रंक-काल आया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने गिला किया था कि मैं आपको बुलाता नहीं हूं और अगर मैं बुलाता हूं, तो आप होते नहीं हैं ।

सुश्री मणिबन पटेल : ट्रंक-काल का तो कोई इलाज नहीं है ।

अभी पिछले शनिश्चर और रविवार को मै मोटर से भरतपुर, अलवर गई थी । रास्ते में मैंने दोनों तरफ खेतों को पानी से भरा देखा । किसी जगह कमर तक पानी भरा था और किसी जगह कंधे तक पानी भरा था । मैंने तलाश की, तो इस तरह से बीस हजार एकड़ में अभी भी पानी भरा पड़ा है । करीब दो लाख एकड़ में पानी था । पांच महीने पहले बाढ़ आई थी । अभी तक उसका कोई रास्ता नहीं निकला है । मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपने आयोजन-पंच को कुछ दखल देना चाहिये । पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों की सरहद वहां होने के कारण इस मामले में कुछ होता नहीं है । अपने इधर के इरिगेशन मिनिस्टर भी वहां गये थे । इंजीनियर्ज़ को ले गये थे । उन्होंने देखा । उसका रास्ता एक ही है कि पानी को किसी तरह से नदी में बहना चाहिये और यह करने के लिये कुछ उत्तर प्रदेश के खेत और कुछ राजस्थान के उसमें जाते हैं । और इन राज्यों को इसके लिये राजी करने के लियेहमारे आयोजन-पंच को दखल देना चाहिय । एक तरफ हम अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिये कोशिश कर रहेहैं, आन्दोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ में अगर हम चुप बठेंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा ? इस साल की रबी की फसल तो बेचारों की खत्म हो गई । किसान हमारी तरफ़ देख कर भगवान के भरोसे बैठे हैं और अब दो महीने के बाद फिर वर्षा की ऋतु शुरू हो जायेगी । अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो इनका हाल क्या होगा ? और यह अच्छा है कि वहां के किसान भले हैं और किसी के हाथ में फंसे नहीं हैं, नहीं तो बेकारण हमारे ऊपर ऊधम मच जायेगा । खाली इंजीनियर बार बार जाये और देखता रहे, कागज़ पर प्लान करता रहे, इससे हमारा काम नहीं चलेगा । इसमें तीनों राज्यों के चीफ़ मिनिस्टर या इंजीनियर्ज़ को बुला कर, मशविरा करके इसका रास्ता निकालना चाहिये । इतना ही नहीं, इसको फ़ालो-अप करना चाहिये और शीघ्रता से यह काम हो जाय, यह देखने की बहुत ज़रूरत है ।

एक और बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । बम्बई राज्य में तापी नदी पर की काकड़पारा की योजना १९४९ में शुरू हुई थी और पहले वह दिल्ली सरकार के पास थी । तब वायदा किया गया था कि १९५४ में वह बिल्कुल पूरी हो जायेगी और उसमें उकई की योजना के लये लोगों ने पैसा भी जमा करके दिया है । इस तरह से पैसा जमा करने का काम चम्बल में कुछ

हुआ है, परन्तु बाकी किसी जगह में लोगों की तरफ से पैसा जमा करने का काम नहीं हुआ है। उसके बाद एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट से यह काम राज्य के सुपुर्द किया गया और आज तक यह काम पूरा नहीं हुआ है और अभी भी मालूम नहीं कि कब पूरा होगा। इससे वहां के लोगों को काफी सदमा पहुंचा है। और खाली सदमा छोड़ दें, परन्तु अगर यह योजना पूरी होती, तो हमारी कैश क्राप्स और फूड क्राप्स कितनी बढ़ जाती, यह काकड़पारा योजना की किताब को पढ़ें, तो आपको पूरा ख्याल होगा। मेरी विनती है कि इस तरह से जहां भी किसी कारण से राज्यों में कोई काम न होता हो, किसी कारण से उनके पास कोई चीज़ की कमी हो, या रुकावट पड़ती हो, तो इसमें आयोजन-पंच को बीच में पड़ना चाहिये और पूरा करवाना चाहिये। आखिर इसके ओवरहैड चार्जिज तो किसानों पर ही पड़ेंगे और पीछे आप बेटरमेंट चार्जिज़ उनसे ज्यादा लेंगे, यह बड़ा अन्याय होगा, यह मुझे लगता है। परन्तु हमारा जो अन्न पैदा करने का प्रयत्न है, यह प्रयत्न इस तरह से ढिलाई से काम चलने से और भी ढीला हो जाता है।

ऐसा ही एक मामला मही नदी का है। मही कैनाल के लिये राजस्थान में कडाना डैम बांधना पड़ेगा। अगर इसमें भी सेन्टर से दखल न दिया जायेगा, मतलब यह कि अगर राजस्थान सरकार और बम्बई सरकार दोनों को बिठा कर इसका फैसला नहीं किया जायेगा, तो यह भी इसी तरह से ढिलाई में पड़ता जायेगा और काम ठीक से नहीं होगा और शीघ्र नहीं होगा।

एक तरफ हम फ़र्टिलाइज़र की बात करते हैं और लोग चारों तरफ ऐसी शिकायत करते हैं कि आर्टिफ़िशियल खाद नहीं मिलती है। दूसरी तरफ़ आरे मिल्क कालोनी में जो गोबर है, उस में से कितना समुद्र में जाता है, यह सोचा गया है। इस सारे गोबर का उपयोग किस तरह से किसान कर सके, इस को सोचना चाहिये। आज रेलवे फ्रेट इतना पड़ता है कि किसान यह सारा गोबर नहीं ले जा सकता है। अभी कुछ रियायत रेलवे मंत्रालय ने दी है, तो उसका अर्थ कर्मचारी कहीं कहीं ऐसा करते हैं कि हम तो खाली मेन लाइन्ज़ पर देंगे। । ब्राड-गेज है, मगर मेन लाइन पर का स्टशन न हो, ब्राड-गेज से ब्रांच लाइन में ले जाना हो, ताप्ती वैली ब्रांच लाइन में ले जाना हो, तो व कहते हैं कि हम नहीं देंग। इस बारे में सोचन की ज़रूरत है और इस में जो रास्ता निकल सकता है, वह निकालना चाहिये। इतना ही नहीं, परन्तु देश भर में और जगह जहां भी आपको डेयरी बनानी हो, अगर आरे के पैटर्न पर डेयरी बनानी हो--दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, नागपुर में हो, कहीं भी हो--,एक स्थान पर जानवरों को जमा करना हो, तो यह सोच लेना चाहिय कि जो गोबर निकलेगा, उसका पूरा उपयोग कैसे होगा, किस तरह से उसका निकाल होगा, क्योंकि सब जगह समुद्र नहीं मिलने वाला है और अगर मिले भी, तो भी यह बड़ी कीमती चीज़ है, इसको फेंक दिया जाय, इस तरह से नहीं होना चाहिये।

जब तक हमारे यहां अन्न की मापबन्दी नहीं थी--राशनिंग नहीं थी, तब तक देहात में काफ़ी लोग पड़े थे, जो रोज़ गहूं नहीं खाते थे. जो कोर्स ग्रेन खाते थे और आज की जितनी मेहनत मज़दूरी करते थे, आज हमने मापाबन्दी के कारण सब को—करीब करीब काफ़ी लोगों को—गेहूं और चावल की आदत डाल दी है। अब ये इतने मिलते नहीं हैं, तो तकलीफ़ होती है। जो कोर्स ग्रेन देश में उत्पन्न होता है, उस की भी साथ साथ गिनती की जाय, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कमी होने की हम दहशत करते हैं, उतनी हमारे यहां अन्न की कमी नहीं है।

मेरी समझ में नहीं आता है कि रेलों के हेर फेर में जो तकलीफ होती है, उससे क्यों लोगों को बचाया नहीं जाता है। देहातों में जो अन्न पैदा होता है उसको जमा करके शहरों में ले जाया जाता है और बाहर से जो आता है, परदेश से जो आता है, उसको गांवों में दिया जाता है, यह किस तरह का वितरण है, मेरी समझ में नहीं आया है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बाहर का

जो गेहूं आता है वह डबल रोटी बनाने के लिये या किसी और काम के लिये तो अच्छा होता है परन्तु हमारी जो रोटी होती है, उसे बनाने के लिये वह अच्छा नहीं होता है। मेरा यह अनुभव है। मैं समझती हूं कि जब शहरों के लोग सब प्रकार की सुविधायें भोगते हैं, तो अगर कुछ अन्न के बारे में असुविधा भोग लें, थोड़ी सी असुविधा भोग लें, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। हां, उनके पास अखबार हैं, वे पढ़े लिखे हैं, शोर मचा सकते हैं लेकिन जो देहात के लोग हैं, जो कि पैदा करते हैं वे ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते मैं चाहती हूं कि उनकी ओर आपका अधिक ध्यान जाना चाहिये। रेलों में इतना अन्न हेर फेर किया जाता है इसमें मैं समझती हूं इस तरह कि कुछ कम हो सकता है सोचने की आवश्यकता है।

मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने कुछ रिट्रेंचमेंट का ज़िक्र किया और कहा कि खाली एक अफसर नियुक्त करने से क्या होता है। मैं चाहती हूं कि मुझे समझाया जाये कि अगर रिट्रेंचमेंट किया जाता है, तो यही लोग चिल्लाते हैं कि किसी को निकाला न जाये और बेकार हो गये हैं और उनके लिये कुछ किया जाना चाहिये और जब रिट्रेंचमेंट नहीं किया जाता है तो कहा जाता है कि स्टाफ बहुत ज्यादा है और रिट्रेंचमेंट होना चाहिये। इस वास्ते में चाहती हूं कि मुझे बतलाया जाये कि यह मामला किस तरह से हल किया जा सकता है। एक तरफ यह कहा जाये कि रिट्रेंचमेंट हो और दूसरी तरफ यह कहा जाये कि लोगों को निकाला नहीं जाना चाहिये, ये दोनों बातें कैसे सम्भव हो सकती हैं। मुझे तो यह विरोधाभास ही लगता है। पहले तो सरकारी नौकरी में घुसना ही आसान नहीं है और अगर किसी तरह से कोई घुस जाता है तो उसको निकालना और भी तकलीफ का काम हो जाता है। मैं समझती हूं कि आपने इस तरह का हुक्म तो दिया ही होगा कि किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले वित्त मंत्रालय को पूछ लिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं जानना चाहती हूं कि क्या छोटे क्लार्क या चपड़ासी की नियुक्ति करने से पहले आपकी रज़ा-मन्दी लेना आवश्यक है? आपके यहां यह भी एक तरीका है कि पहले पहल किसी को टैम्पोरेरी तौर पर रखा जाता है, छः महीने या बारह महीने के लिये और बाद में उसको पक्का कर दिया जाता है। इस तरह से हर साल कितने व्यक्ति सरकारी नौकरियों में आते हैं, इसका पता लगाने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जब हम आज़ाद हुयें थे तब हमारे पास सात या नौ हजार के करीब चपड़ासी थे लेकिन आज उनकी तादाद १९,००० के करीब पहुंच गई है, यह किस तरह से हुआ है, यह मैं ज़ानना चाहूंगी। अगर उनका रिट्रेंचमेंट करने की बात आय भी, तो मैं मानती हूं कि हम उसमें कभी सफल नहीं हो सकते हैं।

यह भी कहा जाता है कि जो काम है वह कोओप्रेटिव ढंग से होना चाहिये, सभी की कोओप्रेशन ली जानी चाहिये और सब को उसमें हाथ बटाना चाहिये। अधिकतर लोग किसी के भी पक्ष के वे चाहे क्यों न हों, इस चीज़ को मानते हैं और चाहते हैं कि यह हो। परन्तु अगर इसमें सफलता पानी हो तो फिर इस विभाग में चाहे वह केन्द्र का हो या राज्यों का हो, जो कर्मचारी हैं वे ऐसे होने चाहियें जो कि इस चीज़ में श्रद्धा रखते हों और ऐसे ही अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहियें। अगर ऐसा किया गया तो हमें सफलता मिल सकती है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

परन्तु अगर ऐसे कर्मचारी रखे गये जिनकी बिल्कुल इसमें श्रद्धा न हो, जो बिल्कुल ही इसके खिलाफ हों और खुल्लमखुल्ला इसका विरोध करते हों और ऐसे कर्मचारियों के हाथ में इस विभाग की बागडोर दी गई तो हमें अपने काम में सफलता मिल नहीं सकती है। बल्कि मैं तो समझती हूं कि ऐसे व्यक्ति इस काम में रोड़ा ही अटकाते हैं। मैं भरतपुर गई थी और वहां मुझसे इस बारे में

शिकायत की गई कि तीन महीने हो गये अभी तक सोसाइटियों को रजिस्टर नहीं किया गया है। इस तरह की शिकायतें मेरे पास और राज्यों से भी आई हैं। इस वास्ते मेरी आयोजना पंच से और माननीय मंत्री महोदय से विनती है कि कृपा करके इस बारे में आप ज़रा देखें और राज्यों में भी आप देखें कि किस तरह से काम हो रहा है और उसकी जांच करें। यह देखना आपका कर्तव्य है कि इस विभाग में जो कर्मचारी हों वे काफी इसमें दिलचस्पी रखने वाले हों और कुछ ड्राइव वाले भी हों और ऐसे हों जो सहकार से, सहानुभूति से काम करें, ऐसे न हों जो हमेशा ही दखल देते रहें और रोब जमाने की कोशिश करते रहें।

आप देश में शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं और सब की यह इच्छा है कि देश में शिक्षा बढ़े और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, स्त्री, पुरुष शिक्षा पावें और इसके लियें सब तरह से कोशिश की भी जा रही है। हम सभी की यह इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हमारे लोग शिक्षा पा करके काम करने लायक हो जायें। इसके लिये हर प्रकार की कोशिश की जा रही है। परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब हमारे यहां यह आग्रह रहेगा कि हर एक बात अंग्रेज़ी में सीखनी चाहिये और अंग्रेज़ी में लिखानी चाहिये और हमारी यूनिवर्स्टी कमिशन भी यही कहे कि अंग्रेज़ी का इतना स्टेंडर्ड होगा, तभी हम पैसा देंगे तो यह काम कैसे बनेगा। इस सम्बन्ध में आयोजना पंच को क्या सोचना नहीं चाहिये कि पालिसी बना कर के कमिशन से यह कहे कि उसके मुताबिक जो पैसा दिया जाता है, उसका वितरण वह करे। मैं समझती हूं कि अगर यह कहा जाय कि कोई भी भाषा हो, उसका स्तर यह होना चाहिये, इतना होना चाहिये, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये और यह नहीं कि अंग्रज़ी में इतना स्तर हो तभी पैसा मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा होगा। यही कहना कि अंग्रज़ी का इतना स्तर हो तभी पैसा मिलेगा, यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

एक और बात मैं कहना चाहती हूं। आजकल कुछ लोगों ने यह पेशा अखत्यार कर लिया है कि ब्लैकमेल किया जाये। कहीं से भी कोई व्यक्ति निकाला गया हो तो वह आदमी सरकार को बेनाम या दस्तखत करके चिट्ठी लिखता है किसी के बारे में कुछ और किसी दूसरे के बारे में कुछ और इस सारी चीज़ की तलाश की जाये, जांच की जाये, यह तो मैं समझ सकता हूं और कहीं से भी कोई भी बात मिले, उसकी जांच अवश्य होनी चाहिय लेकिन साथ ही साथ इसकी तलाश भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति से यह खबर मिली है, वह व्यक्ति कौन है, कैसा है और उसने कोई ब्लकमैंल की है या नहीं ? ऐसा कोई आदमी अगर करता है कोई व्यक्ति ऐसा धंधा करता है, ब्लैकमेल करता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिये आपको क्या ? यह मैं आपके सोच विचार के लिये आपके सामने रखती हूं।

अन्त में एक बात मैं कहना चाहती हूं। साल के आखिर तक कागज़ चलते रहते हैं, फाइलों पर चलते रहते हैं कि किस तरह से पैसा देना है क्यों देना है और क्यों नहीं देना है लेकिन जब मार्च आता है, तब पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है और आप चाहते हैं कि ३१ मार्च से पहले वह खर्च होना चाहिये। यह कैसे हो सकता है ? जब ऐसा होता है तो झूठे बिल बनाये जाते हैं, आगे की तरीख डाल कर कुछ किया जाता है या जल्दी में चीज़ खरीदी जाती है या बनवाई जाती है और इसका नतीजा यह होता है कि अच्छी चीज़ नहीं मिलती है या बनती है और काम ठीक तरह से नहीं होता है, पैसा ज़ाया जाता है। इस बारे में मेरी एक खास विनती है कि ग्रांट हो चाहे लोन हो, इधर से पैसा दिया जाये या राज्यों से दिया जाये, कसी भी संस्था को दिया जाये, किसी भी काम के लिये दिया जाये, सड़कों के बनाने के लिए दिया जाय, नहरों के लिए दिया जाय, स्कूलों के लिये दिया जाये या मकानों के लिये दिया जाये, कृपा करके वरी में या उससे पहले देने की कृपा कीजिये ताकि ऐसी व्यवस्था हो सके कि पैसे का ठीक तरह से सदुपयोग हो सके।

आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूं।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस वाद विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। श्री माथुर ने योजना आयोग और इस सभा के सम्बन्धों के बारे में शंका प्रकट की। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सम्बन्ध बहुत ही निकटतम हैं क्योंकि आयोग के सभापति प्रधान मंत्री हैं तथा योजना का अनुमोदन यह सभा करती है। दूसरे स्वीकृत योजना को निधि वित्त मंत्री देते हैं और इस प्रकार योजना के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं।

क्योंकि अब हम तीसरी योजना के बारे में विचार करने लगे हैं, इसलिये आवश्यक है कि हम पहली दोनों योजनाओं की सफलताओं पर विचार करें। पहली योजना में हमारा लक्ष्य कृषि को प्राथमिकता देने का था। दूसरी योजना में देश का औद्योगिक विकास तथा समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करने का लक्ष्य था। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि दूसरी योजना के चौथे वर्ष की समाप्ति पर भी हम पहली योजना का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं और देहाती क्षेत्रों पर १५०० करोड़ रुपया व्यय करने पर भी हम १५०० करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात कर चुके हैं।

असमानताओं तथा भेद भाव के बारे में भी मेरा मत है कि हम पर्याप्त हद तक उनको दूर नहीं कर पाये हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। प्रथम योजना की समाप्ति पर हमारी राष्ट्रीय आय १०,८०० करोड़ रुपये थी तथा प्रति व्यक्ति आय २८१ रुपये थी। राष्ट्रीय आय का ५० प्रतिशत हमारे देश की ८० प्रतिशत देहाती जनता देती है परन्तु जब देश के विकास के लिये राष्ट्रीय आय का वितरण होता है उस समय देहाती क्षेत्रों को उनके द्वारा दी हुई आय के अनुपात के अनुसार वितरण नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त देश के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास नहीं होता गांव पंचायतें नहीं बनाई गईं। बहुप्रयोजनीय गांव सहकारी समितियां नहीं बनाई गईं। इन्हीं दोनों बातों पर देहाती क्षेत्रों के सामुदायिक विकास योजनाओं का विकास आधारित है। इसलिये मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना बनाते समय हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिये।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये जितना आवश्यक था सरकार उतना काम नहीं कर पाई है। मैं ऐसे क्षेत्रों के नाम यहां पर नहीं लूंगा। मेरे क्षेत्र को लीजिये। मेरे क्षेत्र में खनिज पदार्थ, वन, कृषि संसाधन बहुतायत से हैं परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां पर अब तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। इसका कारण यही है कि यहां पर उद्योगों की स्थापना के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये। गैर-सरकारी व्यक्ति तभी कारखाने बना सकते हैं जब उन्हें अधिक लाभ की आशा हो। दो कारखाने, एक चीनी मिल तथा शोधनशाला, सरकार के सहयोग से ही बनाये जा सके हैं। आसाम में ११,०३६,००० किलोवाट पनबिजली बनाई जा सकती है। परन्तु अभी तक इस बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और जो कुछ थोड़ी बहुत बिजली बनाई भी गई है, उसको रेलवे, कोयला खानों आदि को दिया गया है; औद्योगिक परियोजनाओं को नहीं दिया गया है। जूट का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में अर्थात् ११ लाख गांठें होता है परन्तु कोई जूट मिल नहीं बनाई गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि तीसरी योजना बनाते समय हमें इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि दूसरी योजना की कमियां दूर हो जायें और देश के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो ।

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक) के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९

[————————]

२६ चैत्र, १८८१ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५५९५—५६१९

तारांकित प्रश्न संख्या

१८५४	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर	५५९५—९७
१८५५	विदेशी प्राचीन ग्रन्थ .	५५९७—९८
१८५६	प्लेनेटेरियम (कृत्रिम नभोमंडल)	५५९८
१८५७	फेरो-मेंगनीज़ संयंत्र	५५९९—५६०१
१८५९	टाटा की ट्रकें . . .	५६०१—०२
१८६०	दिल्ली में झुग्गियों और झोंपड़ियों सम्बन्धी समिति	५६०२—०४
१८६३	"पद्म भूषण" स्वीकार करने से इन्कार	५६०४—०५
१८६५	उड़ीसा में लोह अयस्क .	५६०५—०७
१८६७	तेइसवां इंडियन मांटेसरी ट्रेनिंग कोर्स	५६०७—०८
१८६९	अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल	५६०८—०९
१८७०	वरिष्ठ सेवा समिति प्रतिवेदन . .	५६०९—११
१८७२	उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार का जम्मू और काश्मीर राज्य तक विस्तार . .	५६११—१२
१८७३	संघ लोक सेवा आयोग के सेवा निवृत सदस्यों द्वारा प्राइवेट फर्मों की नौकरियां स्वीकार करना . .	५६१२—१४
१८७६	जम्मू और काश्मीर में प्रवेश के लिये परमिट प्रणाली .	५६१४—१६
१८७७	सिविल इंजीनियरिंग में मद्रास सरकार का हायर ग्रेड सार्टिफिकेट	५६१६—१७
१८७८	ऋण सूचना विभाग . .	५६१७
१८८०	प्रतिरक्षा भंडार	५६१७—१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर	५६१९—५४

तारांकित प्रश्न संख्या

१८५८	बिहार के लिये इस्पात के कोटे . . .	५६१९
१८६१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची .	५६१९—२०

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१८६२	सम्पदा-शुल्क	५६२०
१८६४	इस्पात के उत्पादों की बिक्री	५६२०
१८६६	राज्य बीमा योजनायें	५६२१
१८६८	जनता बीमा योजना	५६२१
१८७१	गृह-गणना	५६२१–२२
१८७४	प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये वनस्पति और परिष्कृत तेल	५६२२
१८७५	विभागीय कैन्टीन	५६२२
१८७६	उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर रबी की फसल की कटाई	५६२३
१८८१	केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी-बूटी संगठन	५६२३
१८८२	तेल कम्पनियां	५६२३
१८८३	राष्ट्र मंडल विकास बैंक	५६२४
१७७७	फौजी कैन्टीन, नई दिल्ली	५६२४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३११४	पंजाब में स्मारक	५६२४
३११५	भारतीय नागरिकता से वंचित होना	५६२४
३११६	राज्य उपक्रम	५६२५
३११७	भारत में चीनी राष्ट्रजन	५६२५
३११८	तांबा उत्पादन	५६२५
३११९	पौंड पावना	५६२५
३१२०	डिप्लोमा संस्थायें	५६२६
३१२१	बम्बई में स्त्रियों और बच्चों के लिये पुस्तकालय	५६२६
३१२२	जम्मू तथा काश्मीर में लोहे की चादरों का कोटा	५६२६
३१२३	जम्मू तथा काश्मीर में संस्थाओं से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुदान	५६२७
३१२४	कुतुब मीनार	५६२७
३१२५	मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	५६२७
३१२६	बम्बई में बहुप्रयोजनीय स्कूल	५६२७–२८
३१२७	तस्कर-व्यापार	५६२८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१२८	बम्बई में तम्बाकू की खेती	५६२८
३१२९	छात्रवृत्तियां	५६२८
३१३०	दिल्ली के स्कूलों की इमारतें	५६२९
३१३१	गोला-बारूद	५६२९—३०
३१३२	गन्दे बिरोजे और तारपीन के तेल का कारखाना, नाहन .	५६३०
३१३३	राजस्थान में बहु-प्रयोजनीय स्कूल . .	५६३०
३१३४	छात्रावास	५६३०
३१३५	उत्तर प्रदेश में श्रम और समाज सेवा शिविर . .	५६३१
३१३६	छावनियों की भूमि नीति	५६३१
३१३७	स्टैनोग्राफर	५६३१—३२
३१३८	दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे के पास झगड़ा . .	५६३२—३३
३१३९	जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन .	५६३३
३१४०	महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय . .	५६३३—३४
३१४१	बैंक आय	५६३४
३१४२	दक्षिण में हिन्दी विश्वविद्यालय . . .	५६३४
३१४३	भाषाई अल्पसंख्यक	५६३४—३५
३१४४	सोवियत रूस से इस्पात का आयात . . .	५६३५
३१४५	स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम	५६३५
३१४६	सेना मोटर गाड़ी डिपो, अवाड़ी . . .	५६३६
३१४७	युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक वस्तुओं का निर्माण	५६३६
३१४८	लघु बचत	५६३६—३७
३१४९	पश्चिमी बंगाल के मान्यता प्राप्त कालेजों को अनुदान	५६३७—३८
३१५०	संयुक्त आय पर आयकर . .	५६३८—३९
३१५१	इस्पात पुनर्बेलन मिलें . .	५६३९
३१५२	प्रविधिक शिक्षा . . .	५६३९—४०
३१५३	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान .	५६४०
३१५४	हिन्दी में विधि सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली	५६४०
३१५५	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती	५६४०—४१
३१५६	अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद . . .	५६४१
३१५७	अहिन्दी भाषी राज्यों के शिक्षार्थियों को मैट्रिक के बाद हिन्दी शिक्षा ग्रहण के लिये छात्रवृत्तियां .	५६४१—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१५८	माध्यमिक शिक्षा	५६४२
३१५९	अन्नमलाई विश्वविद्यालय . . .	५६४२–४३
३१६०	भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों के त्यागपत्र	५६४३
३१६१	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . .	५६४३
३१६२	त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के लिये वित्तीय सहायता	५६४४
३१६३	सरकारी कर्मचारियों का स्थायी बनाना .	५६४४–४५
३१६४	गिलट . .	५६४५
३१६५	हिमालय पर्वतारोहण संस्था	५६४५
३१६६	पुरी के आलम गांव में गढ़ोश्वर मन्दिर	५६४६
३१६७	दिल्ली जन सम्पर्क समिति	५६४६
३१६८	प्रविधिक नियुक्तियां	५६४६–४७
३१६९	देवली छावनी में इमारतें . . .	५६४७
३१७०	निवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति . .	५६४७
३१७१	संयुक्त अरब गणतंत्र के विमान बल के अधिकारियों को भारतीय विमान बल अधिकारियों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण	५६४७
३१७२	मैसूर में सीसे का निक्षेप . . .	५६४७–४८
३१७३	कच्चा लोहा, मैंगनीज़ और क्रोम अयस्क की खानें .	५६४८
३१७४	उड़ीसा में खनिज सर्वेक्षण	५६४८
३१७५	उड़ीसा में उद्योग .	५६४८–४९
३१७६	इस्पात-तार के आयात के लिये लाइसेन्स .	५६४९
३१७७	विशिष्ट बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खंड समिति	५६४९
३१७८	विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध	५६४९–५०
३१७९	ब्रिटेनिका में अशुद्धियां	५६५०
३१८०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पब्लिक स्कूल छात्रवृत्तियां .	५६५०
३१८१	आन्ध्र प्रदेश में पोलीटेक्नीक संस्थायें .	५६५०
३१८२	गुलबर्गा में छात्रावास	५६५१
३१८३	शिमला में सचिवालय भवन	५६५१
३१८४	मतदान की चिह्नांकन प्रणाली	५६५१
३१८५	आयकर अपवंचन . .	५६५१
३१८६	भूविज्ञान का क्षेत्र-प्रशिक्षण शिविर .	५६५१–५२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
३१८७ ग्वालियर में जमीनें	५६५३
३१८८ प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन जमीनें	५६५३
३१८९ सवर्ण हिन्दुओं द्वारा सफाई करना	५६५३
३१९० दिल्ली में प्राइवेट स्कूल	५६५४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६५४—५५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ११ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१२ की एक प्रति।

(३) स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत लक्कद्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी,द्वीप समूह स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन सम्बन्धी नियम, १९५९, जो दिनांक १४ मार्च, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३०० में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६५५

अड़तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	५६५५

बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य	५६५५

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के बारे में श्री वारियर तथा अन्य सदस्यों के दिनांक २ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें	५६५६—५७०१

(१) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

विषय **पृष्ठ**

अनुदानों की मांगें—(क्रमश:)

(२) वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ५७०१

सैंतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा।